खण्ड-452, अंक-6
शुक्रवार, 29 माघ, शक संवत् 1926
(18 फरवरी, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	ङ-झ
प्रश्नोत्तर.... (जारी)		1
मन्त्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	...	1-2
प्रश्नोत्तर	...	2-59
आज की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या-3 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	59-60
विधान भवन के मुख्य द्वार की सड़क पर वाहनों के तेज आवागमन से सत्रकाल में आने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	60
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	...	60
बाल सुधार गृह, काकोरी, लखनऊ से बच्चों के भागने के संबंध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	...	61
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	61-62
फतेहपुर के निचली गंगा नहर प्रखण्ड में स्वीकृत 1300 क्यूसेक पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	62
सुचारु रूप से जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के लिये पम्पिंग स्टेशनों की विद्युत आपूर्ति को सेपरेट करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	62-63
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर (गाजीपुर जनपद) में कार्यरत चिकित्साधिकारी डा0 अजय अग्रवाल के अपहर्ताओं को गिरफ्तार करने एवं वाराणसी मंडल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	..	63
गोण्डा के कटरा बाजार में 33 के0 वी0 ए0 सब स्टेशन का निर्माण प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	63-64
आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत समग्र ग्राम योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण में कथित धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	64
बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोड़रा को टोन्स नदी की कटान से बचाने हेतु ठोकर बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	64
मुरादाबाद की ग्राम सभा गढ़ी में पानी की टंकी का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	64-65
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	...	65
विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर उपवेशन के एक दिन पूर्व उपलब्ध न होने पर औचित्य का प्रश्न	...	65-66
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरःस्थापित किया गया।		

विषय		पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुर:स्थापित किया गया)	...	67
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	67-77
जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज के गांव महेवा मलकिया के श्री प्रभुनाथ मांयां की पुलिस पिटाई से हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	...	77-80
वित्तीय वर्ष 2004-05 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान-		
अनुदान संख्या- 01 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	...	80
अनुदान संख्या- 02 आवास विभाग (स्वीकृत)	...	80
अनुदान संख्या- 03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	...	80-81
अनुदान संख्या- 07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	...	81
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	...	81
अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	...	81
अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	...	82
अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	...	82
अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	...	82
अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	...	82-83
अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...	83
अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	...	83
अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	...	83
अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	83
अनुदान संख्या- 21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	84
अनुदान संख्या- 22 खेल विभाग (स्वीकृत)	...	84
अनुदान संख्या- 23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	84
अनुदान संख्या- 25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	84
अनुदान संख्या- 26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	...	85
अनुदान संख्या- 31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	...	85

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या- 32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...	85
अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...	85-86
अनुदान संख्या- 35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	...	86
अनुदान संख्या- 36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	...	86
अनुदान संख्या- 38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	86
अनुदान संख्या- 39 भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	86-87
अनुदान संख्या- 40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	87
अनुदान संख्या- 42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	87
अनुदान संख्या- 43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	87
अनुदान संख्या- 44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	87
अनुदान संख्या- 48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	...	88
अनुदान संख्या- 49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	88
अनुदान संख्या- 50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	88
अनुदान संख्या- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	...	88
अनुदान संख्या- 52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	89
अनुदान संख्या- 53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	...	89
अनुदान संख्या- 55 लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...	89
अनुदान संख्या- 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत)	...	89
अनुदान संख्या- 59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	...	90
अनुदान संख्या- 60 वन विभाग (स्वीकृत)	...	90
अनुदान संख्या- 61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	90
अनुदान संख्या- 63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	...	90
अनुदान संख्या- 65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	...	91
अनुदान संख्या- 67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	91
अनुदान संख्या- 71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	91
अनुदान संख्या- 72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	91
अनुदान संख्या- 73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	92

विषय		पृष्ठ सं.
अनुदान संख्या- 76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	...	92
अनुदान संख्या- 77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	...	92
अनुदान संख्या- 78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	...	92
अनुदान संख्या- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	...	93
अनुदान संख्या- 80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	...	93
अनुदान संख्या- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	...	93
अनुदान संख्या- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	...	93-94
अनुदान संख्या- 84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	...	94
अनुदान संख्या- 86 सूचना विभाग (स्वीकृत)	...	94
अनुदान संख्या- 89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत)	...	94
अनुदान संख्या- 90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	...	94-95
अनुदान संख्या- 91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	...	95
अनुदान संख्या- 92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	...	95
अनुदान संख्या- 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	95
उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 (पारित)	..	95-102
नियम- 51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	103-104
सत्थियां	...	105-106

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उपस्थित सदस्य - 317

1- अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	27-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
2-अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	28-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ	बाराबंकी
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	गोप, श्री	
4-अजय कुमार, डा0	बागपत	29-अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
5-अजय राय, श्री	वाराणसी	30-अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
6-अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	31-अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
7-अताउल रहमान, श्री	बरेली	32-अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
8-अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	33-अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
9-अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	34-अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
10-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	35-अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
11-अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	36-अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
12-अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	37-आदित्य विक्रम सिंह	सिद्धार्थनगर
13-अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	(बोकू सिंह), श्री	
14-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	38-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
15-अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	39-आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
16-अनीस अहमद खां उर्फ		40-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
फूलबाबू,श्री	पीलीभीत	41-आलम बदी, श्री	आजमगढ़
17-अनुग्रह नारायण उर्फ		42-आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
खोखा सिंह, श्री	देवरिया	43-आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
18-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	44-आशीष यादव, श्री	बदायूं
19-अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	45-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
20-अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	46-इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
21-अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	47-इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
22-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	48-इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
23-अमरमणि, श्री	महराजगंज	49-इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
24-अमर सिंह यादव पुत्र	हाथरस	50-उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
श्री सुन्दर सिंह, श्री		51-उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
25-अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	52-उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
26-अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	53-उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर

54-उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
55-ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
56-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह),श्री सुल्तानपुर
57-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
58-ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
59-ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
60-कपिल देव यादव, श्री मऊ
61-कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
62-कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
63-कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
64-कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
65-काशीराम, श्री रामपुर
66-किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
67-किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
68-किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
69-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
71-कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
72-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
73-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
74-कैलाश, श्री गाजीपुर
75-कौशल किशोर, श्री खीरी
76-कौशल किशोर, श्री लखनऊ
77-गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
78-गया चरन दिनकर, श्री बांदा
79-गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
80-गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
81-घूरा राम, श्री बलिया
82-चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
83-चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
84-चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
85-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
86-चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87-छेदी राम, श्री गाजीपुर
88-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
89-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
90-जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
91-जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
92-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
93-जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
94-जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
95-जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
96-जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
97-जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
98-जयप्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
99-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
100-जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
101-जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
102-जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
103-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
104-डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
105-तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
106-दयाराम, श्री कौशाम्बी
107-दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
108-दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
109-दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
110-दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
111-दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
112-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113-देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
114-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
115-धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
116-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117-धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
118-धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
119-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
120-धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
121-नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
122-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
123-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 इलाहाबाद
124-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
125-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
126-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद

127-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
128-परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
129-पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
130-पीतम राम, श्री पीलीभीत
131-पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
132-प्रदीप जैन "आदित्य", श्री झांसी
133-प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
134-प्रभु दयाल, श्री मेरठ
135-प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
136-प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
137-प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
138-प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
139-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
140-प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
141-प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
142-प्रेम सिंह, श्री मथुरा
143-फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
144-फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) देवरिया
145-फागू, श्री मऊ
146-बंशीधर राज, श्री खीरी
147-बाबूराम, एम0काम, श्री जालौन
148-बाबू लाल, चौधरी आगरा
149-बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
150-बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
151-बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
152-बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
153-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
154-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
155-बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
156-बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
157-भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
158-भरत सिंह, श्री बलिया
159-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
160-भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
161-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
162-मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
163-मदन भैया, श्री बागपत
164-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
165-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
166-मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
167-मशहूद खां, श्री बलरामपुर
168-मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
169-महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
170-महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
171-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
172-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
173-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
174-माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
175-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
176-मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
177-मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
178-मूलचन्द्र चौहान, ठकुर बिजनौर
179-मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
180-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
181-मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
182-मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
183-मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
184-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
185-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
186-यशपाल चौधरी, श्री खीरी
187-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
188-रणवीर राणा, श्री मेरठ
189-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
190-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
191-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
192-रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0 मेरठ
193-राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
194-राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
195-राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
196-राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
197-राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
198-राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
199-राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर

200-राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
201-राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
202-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
203-राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
204-राजा राम, श्री प्रतापगढ़
205-राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
206-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
207-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
208-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
209-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
210-राजेश कुमार, श्री खीरी
211-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
212-राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
213-राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
214-रामअचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
215-राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
216-राम करन आर्य, श्री बस्ती
217-राम किशुन, श्री वाराणसी
218-राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
219-राम कृष्ण, श्री सीतापुर
220-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
221-रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
222-रामपाल यादव, श्री सीतापुर
223-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
224-राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
225-रामबाबू हरित, डा0 आगरा
226-राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
227-राम मगन, श्री बाराबंकी
228-राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
229-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
230-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
231-राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
232-रामहेत, श्री सीतापुर
233-रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
234-रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
235-रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
236-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
237-लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
238-लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
239-लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
240-वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
241-वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
242-विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
243-विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
244-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
245-विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
246-विनय शाक्य, श्री औरैया
247-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
248-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
249-विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
250-विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
251-विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
252-विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
253-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
254-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
255-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" शाहजहांपुर
256-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
257-वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
258-वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
259-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर भदोही
260-शब्बीर, श्री बहराइच
261-शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
262-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
263-शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
264-शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
265-शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
266-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
267-शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
268-शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
269-शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
270-शिव तपस्या पासवान, श्री चंन्दौली
271-शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा

272-शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर	295-सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
273-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़	296-सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
274-शिवेन्द्र सिंह उर्फ		297-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
शिव बाबू, श्री	महराजगंज	298-सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
275-शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा	299-सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
276-शैलेन्द्र यादव "ललई" श्री	जौनपुर	300-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
277-श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	301-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
278-श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	302-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
279-श्याम नारायन, श्री	महराजगंज	303-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
280-श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई	304-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
281-श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	305-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
282-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा	306-सुल्तान बेग, श्री	बरेली
283-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	307-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
284-श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर	308-सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
285-श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर	309-सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
286-संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर	310-सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
287-संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	311-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
288-सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	312-हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
289-सत्य प्रकाश अग्रवाल		313-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	314-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
290-सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	"हरीश जी", श्री	वाराणसी
291-सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी	315-हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
292-समरपाल सिंह, श्री	बागपत	316-हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
293-सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	317-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
294-सियाराम सागर, डा0	बरेली		

नोट :- श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री एवं श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य समयान्तर्गत भुगतान किये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने सम्बन्धी कार्य योजना

**1--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

वर्तमान पेराई सत्र 2004-05 में गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने के उद्देश्य से गन्ना समितियों द्वारा 14 दिन से अधिक विलम्बित अवधि पर सम्बन्धित चीनी मिलों को ब्याज के मद में धनराशि प्राप्त करने हेतु निरन्तर बिल प्रेषित किये जा रहे हैं व तथा इसका प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है।

किसानों के गन्ने की सही तौल सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीदी विनियमन) नियमावली-1954 के नियम 19 में (पदेन) गन्ना निरीक्षक नियुक्त है तथा इसी नियमावली के नियम-29 के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त द्वारा विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्तों तथा उप चीनी आयुक्तों के क्षेत्रों में घटतौली की जांच हेतु विशेष जांच दल गठित करने हेतु भी अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भी स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से गन्ना क्रय केन्द्रों के समुचित निरीक्षण करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या-1 अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के जवाब पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

गन्ना मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मान्यवर, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है लेकिन मैं आपको यहां पर स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ कि बार-बार पीठ के निर्देश हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट स्वीकार किया और अपने मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को कहा भी है उसके बाद भी संबंधित मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। संबंधित मंत्री के सदन में उपस्थित न रहने पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट नहीं आ पाता है। मेरा निवेदन है कि मंत्रि-परिषद् के सदस्यों से आग्रह कर लें कि जिस दिन उनके विभाग से संबंधित प्रश्न हों उस दिन तो कम से कम वे उपस्थित रहें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मेरे से मंत्री जी पूछ कर गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

कुछ लिखकर दे गये हैं। मुझे भी उसकी कापी मिलनी चाहिए। भविष्य में इसका ध्यान रखें कि उसकी कापी हमको भी मिलनी चाहिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो यह बहुत गम्भीर विषय है कि गन्ना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संबंधित मंत्री ही अनुपस्थित है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस प्रकार की तैयारी तो नहीं की होगी, न उनको ब्रीफिंग हुई होगी जैसे गन्ना मंत्री जी को हुई होगी। लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री भिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, उत्तर तो दे ही देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह विषय बहुत गम्भीर है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रश्न आ जाय, तो इसकी गम्भीरता पता चल जायेगी।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

प्रश्न की गम्भीरता तो पहले ही क्रम कर दी है सरकार ने। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा प्रश्न के उत्तर में बताया गया है यह तो नियम बने हुए हैं और उसके हवाले हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि यह सरकार बार-बार उठाती है सदन में कि गन्ना कृषकों को समयान्तर्गत भुगतान नहीं होता तो उसको ब्याज भी दिया जायेगा। उत्तर में दिया गया है कि 14 दिन से अधिक विलम्बित अवधि पर सम्बन्धित चीनी मिलों को ब्याज के मद में धनराशि प्राप्त करने हेतु निरन्तर बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। इसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया है। समयान्तर्गत भुगतान नहीं हो रहे हैं। निरन्तर बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ नियम बने हैं फिर भी भुगतान नही किया जा रहा है तो इसमें कितने लोगों को ब्याज का भुगतान सरकार ने कराया है ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह व्यवस्था पहले से थी कि ब्याज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था कि ब्याज दिया जाए। इसके लिए जानकारी हमसे ज्यादा प्रश्नकर्ता को होगी। उस जमाने में नहीं दिया जाता था इस जमाने में ब्याज दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 15 प्रतिशत ब्याज का प्राविधान है। 17 फरवरी, 2005 की स्थिति यह है कि चीनी निगम का 79 प्रतिशत भुगतान हो गया है, चीनी मिल संघ का भुगतान हुआ है, प्राइवेट चीनी मिलों का 87.07 भुगतान हो चुका है। लगभग 86 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। बाकी जो बचा है उसको शीघ्र करा दिया जाएगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मैं जानना चाहता हूँ यह जो समयान्तर्गत भुगतान न करने के कारण निरंतर ब्याज देने के लिए बिल प्रेषित किए जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

शुगर केन ऐक्ट में कहा गया है कि 15 दिन में भुगतान नहीं होगा तो ब्याज लगेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैंने प्रतिशत बताया है 86 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। 14 प्रतिशत बाकी है। 14 प्रतिशत हम मानकर चलते हैं। हो सकता है कहीं एक-दो मामले ऐसे हों। यह भी सच्चाई कि इस साल गन्ना बहुत कम है। चीनी मिल वाले पहले से पैसा दे रहे हैं पैसा ले लो और गन्ना दे दो।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें। इतना गम्भीर विषय है इतने महीने के बाद उत्तर आया है सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है निरंतर बिल प्रेषित किए जा रहे हैं ब्याज देने के लिए, अब तक कितने ब्याज का भुगतान किया है। कृषक बिल देखकर क्या करेंगे ? उनको कीमत चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

भुगतान की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर के प्रथम पैरे में दिया गया है कि 14 दिन से अधिक विलम्बित अवधि पर सम्बन्धित चीनी मिलों को ब्याज के मद में धनराशि प्राप्त करने हेतु निरन्तर बिल प्रेषित किये जा रहे हैं तथा इसका प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

ऐसे जो केसेज हैं वह पिछले साल मान्यवर, चीनी निगम में 22 ऐसे केसेज हैं। इस साल 22 हैं। चीनी मिल संघ में पिछले साल 27 केसेज, इस साल 28 केसेज हैं। निजी चीनी मिलों में 52 और इस साल 54 केसेज हैं। पिछले साल 100 और इस साल 104 हैं इस तरह की जांच हुई है। मान्यवर, क्योंकि मिल चालू है और बराबर भुगतान हो रहा है। भुगतान प्रक्रिया निरन्तर चालू है, मिल अभी बन्द नहीं हुए हैं। 14 दिन कहीं पूरे नही हुए हैं, ऐसा कोई मिल नहीं है जहां 14 दिन का बकाया हो, कहीं नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने कहा है और उन्होंने लिखित उत्तर पढ़ा भी है कि लगातार बिल प्रेषित किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कहीं घटनाएं नहीं हुई । अगर बिल प्रेषित नहीं किए गए हैं तो उत्तर में लिखा कैसे गया ? इस बात को आप स्पष्ट करा दें। इसके साथ-साथ मेरा दूसरा प्रश्न है। यह प्रश्न तो केवल 2004-2005 में गन्ने के भुगतान से सम्बन्धित है। 14 दिन के बाद में जो ब्याज देने की प्रक्रिया है तो वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 का जो बकाया मिलों पर है, क्या मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि उस बकाए बिल पर भी मय ब्याज के भुगतान होगा और जो भुगतान होगा, वह किस दर से होगा ? यह केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य पर होगा या जो प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित किया गया है, उस दर पर भुगतान करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

बहुत कुछ किया आपका हम भोग रहे हैं, बकाया आपके जमाने का और भुगतान हमने किया है। मान्यवर, हम देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, जो प्रश्न है, उसका तर्कसंगत उत्तर देने का थोड़ा और प्रयास करिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, असल में बात यह नहीं है, बात यह है कि असल में मेरे सिर पर पगड़ी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

नियम 49 में आधा घण्टे की चर्चा करा दीजिए। आपका कथन यह है कि 2004-2005 में कोई बकाया कही नहीं है इसलिए उस पर ब्याज देने का प्रश्न ही नही उठता। यह उत्तर आया है। आपका प्रश्न था कि "क्या गन्ना मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान समयान्तर्गत कराये जाने एवं घटतौली पर अंकुश लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या

कोई कार्य योजना बनायी गयी है ?" उसका उत्तर आ गया कि जब भुगतान समयान्तर्गत नहीं हो पाता है, तब ब्याज लगाया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने जवाब दे दिया है। यह जवाब हम हल्के-हल्के नरम माहौल में दे रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया है और अब यह चाहते हैं उनका ब्याज दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि केन्द्र सरकार जो दाम तय करती है उस पर ब्याज देंगे या जो दाम प्रदेश सरकार ने तय किया है उस पर ब्याज देना है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, भारत सरकार ने जो दाम तय किया है या प्रदेश सरकार ने जो दाम तय किया है उसके अनुसार देंगे यह विचार करने का प्रश्न है इस पर विचार किया जाएगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, तीन बातें पूछी गयी थी। लिखित उत्तर पढ़ लें जिसमें ब्याज के मद में धनराशि प्राप्त करने हेतु निरन्तर बिल भेजे जा रहे हैं तो इसमें कितने ब्याज का भुगतान हो गया, उसी को आगे बढ़ाया था। मान्यवर, यह केवल वर्ष 2004-2005 का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि जो भी रकम अभी तक बकाया थी उस पर ब्याज देना है तो किस दर पर ब्याज देना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, प्रश्न गम्भीर होता जा रहा है। इस एतबार से कि किसानों के साथ इनके समय में होने वाली ज्यादतियों को हमारी जबान से कहलाने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, पिछले 8 वर्षों में अगर कभी ब्याज दिया गया हो। पिछले 8 वर्षों में एक पैसा ब्याज का नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी किसान का बिल बाकी नहीं है, किसी का ब्याज बाकी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, अगर इतने हल्केपन से सरकार इन बातों को लेगी तो सही नहीं है। एक तो यह उत्तर नहीं दे पाये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, कितने बिल प्रेषित किये गये हैं, किन चीनी मिलों को प्रेषित किये गये हैं, इसका उत्तर नहीं आ रहा है ?

(श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में शोर-शराबा उत्पन्न हो गया।)

(शोर शराबे के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से प्रतीत होता है कि यह सरकार गन्ना किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह लोग किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनका अहित कर रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, गन्ना किसानों के साथ सरकार की असंवेदनशीलता पर मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(नेता विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं और मेरा दल गन्ना किसानों के साथ सरकार की धोखा विरोधी नीति के विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चल गये।)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि उनके समय का बकाया है, वह कह रहे हैं कि इनके समय का है। मान्यवर, हम गन्ना किसानों के साथ हो रहे अन्याय के सवाल पर सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये।)

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है वह सदन के साथ धोखा है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह किसानों के साथ धोखा करना है, सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है।

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा यह हमको धौंस दिखा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया बैठ जायें। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आठ वर्षों का बकाया हमारी सरकार ने दिया है। इन्होंने एक पैसा भी किसानों को नहीं दिया था।

श्री हुकुम सिंह--

यह मिल मालिकों से षड्यंत्र करके किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं दिला रहे हैं।

(शेम-शेम की आवाजें)

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आपके द्वारा निर्णय देने के उपरांत भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री मोहम्मदआजम खां--

मान्यवर, यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यह किसानों के हितैषी नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह कमीशन खा रहे है किसानों से इनका कोई वास्ता नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

मान्यवर, जो मैंने कहा है उस पर आपका क्या निर्णय है ?

श्री अध्यक्ष--

मैने नियम 49 में ले लिया है, अब आप लोग बैठ जायें।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराये जाने की मांग

*1--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु मुफ्त विद्युत उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत दरों का निर्धारण मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वित्तीय वर्ष के लिये सकल राजस्व आवश्यकता एवं उसके आधार पर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये विद्युत दरें (टैरिफ) विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। उ0 प्र0 नियामक आयोग द्वारा आम जनता एवं विद्युत उपभोक्ताओं से सुझाव प्राप्त करने के उपरांत टैरिफ आर्डर निर्गत किया जाता है जिसका अनुपालन उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जाता है। अत: मा0 नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत टैरिफ में किसी प्रकार का संशोधन करना उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से आर्थिक पोजीशन किसानों की खराब है और वह मूल रूप से इस वर्ष, हमने तो उन किसानों के बारे में राहत की अपेक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे के किसान हैं आप उनके कितने हमदर्द हैं, कितने संवेदनशील है ? आपने विद्युत दरों का निर्धारण कैसे होता है और किस ढंग से इसकी वसूली होती है यह प्रक्रिया बतायी गयी है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस पोजीशन में आज किसान है उस किसान की आर्थिक दशा, जो आत्महत्या के किनारे हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, जो बिल देने की पोजीशन में नहीं हैं और इस साल सूखे में उन्हें दो, तीन, चार घंटे बिजली मिली है, कभी-कभी तो हफ्ते दस दिन तक नहीं मिली और बिल पूरे महीने का आता है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सीमान्त कृषकों या गरीबी की रेखा के नीचे जो किसान हैं उनके बिल्स अपनी तरफ से पावर कारपोरेशन को जमा करायेगी ? आज किसान की माली हालत खराब है और यह उ0 प्र0 विकास परिषद् को देख रहे हैं कि उद्योगपति आयेंगे, तो कम से कम एक वर्ष के लिए जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनका विद्युत बकाया है यह सरकार उन्हें माफ कर देगी और अपनी तरफ से पावर कारपोरेशन को जमा करायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

चलिये देर आये दुरुस्त आये। विद्युत सुधार निगम किसकी सरकार ने, जब केन्द्र में सरकार थी तो लागू किया था इसको राम इकबाल जी पढ़ लें। जब यह लागू हुआ था तो उसमें यह बताया

गया था कि सरकार किसी को मुफ्त में बिजली नहीं देगी और जो आज हम किसानों को बिजली की दर दे रहे हैं मौजूदा समय में 75 रुपये प्रति हार्स पावर किसानों को और 110 रुपये प्रति कनेक्शन घरों को महीने के हिसाब से बिजली दे रहे हैं। उसमें एक हजार करोड़ रुपये, सरकार प्रति वर्ष अपनी तरफ से सब्सीडी पावर कार्पोरेशन को दे रही है। मान्यवर, सेक्शन-62 के अन्तर्गत हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके किसानों को बिजली दे रहे हैं। मान्यवर, लोगों का कहना है किसानों की आड़ में उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की तरफ से बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ला रहे हैं, ऐसा नहीं है हम उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रति सबसे ज्यादा सजग हैं और इस देश में किसानों को सबसे ज्यादा अगर कोई छूट दे रहा है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न केवल सीमान्त कृषकों के बारे में है, सबके बारे में नहीं है। दूसरे जिस सरकार की तरफ आपने पहले इशारा किया था कि पिछली सरकार में इसे लागू किया गया था, तो उस समय जो सरकार थी उसमें ऊर्जा मंत्री कौन था यह शायद इन्हें पता नहीं है मैं बताये देता हूँ उस समय ऊर्जा मंत्री आप ही थे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मुझे मालूम है, उसका भी जवाब मैं दूँगा।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार सीमान्त कृषकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जाते समय जवाब देने की जिम्मेदारी माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल को दे गए हैं।

श्री लालजी टण्डन--

सामूहिक जिम्मेदारी में कोई भी, रिक्शा चलाने वाला भी, टैम्पो चलाने वाला भी अगर यहां बैठा है तो वह यहां जवाब दे सकता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, जब चौक में मुजरा देखने वाला और नाच देखने वाला प्रश्न पूछ सकता है तो रिक्शा चलाने वाला उत्तर भी दे सकता है।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्रालय किसके पास था तो मैं उनको बता दूँ, उस समय ऊर्जा मंत्री मैं ही था और उस समय मैं ऐसा क्यों नहीं कर सका, उसका कारण यह था कि उस समय मेरे ऊपर तत्कालीन मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार का जबरदस्त दबाव था, मैंने उसका कितना विरोध किया था यह टण्डन जी जानते हैं। केन्द्र सरकार ने जब कह दिया कि उत्तर प्रदेश को कोई सहायता नहीं दी जाएगी तब उसको लागू किया गया। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीमान्त कृषकों की ही बात क्यों करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के सारे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, चाहे वह छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो ? सबसे ज्यादा सब्सीडी अगर देश में किसानों के हित में कोई दे रहा है तो वह उत्तर प्रदेश दे रहा है। एक हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष सब्सीडी हम किसानों को दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न का उत्तर आ गया है अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, एक मिनट में, मैं एक प्रश्न और कर लेता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के सीमान्त कृषक हैं उन सीमान्त कृषकों पर एक हजार करोड़ रुपये जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सब्सीडी सब कृषकों को दी जा रही है, तो सीमान्त कृषकों और कृषकों में आलरेडी विभाजन है ठीक उसी तरह जिस से गरीव और गरीबी रेखा के नीचे वालों में विभाजन है। इस सरकार में सरकारी आंकड़ों से यह मान लिया जाता है कि कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उसी प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे जो किसान है, सीमान्त कृषक हैं, उनको अगर आप प्रति वर्ष यह सुविधा दे देंगे तो उनको लाभ हो जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है, दुनिया के छठवे हिस्से के बराबर है। मान्यवर, क्या मंत्री जी को सीमान्त कृषक और गरीव किसानों का दर्द नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सीमान्त कृषकों के संबंध में जो आपने दरों में सुधार किया है क्या उन सुधारों को वापस लेकर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, इस समय तो हम लोगों ने साम्प्रदायिक शक्तियों को सुधारने का जिम्मा ले रखा है उसके सुधार में निरन्तर लगे हुए है।

श्री हुकुम सिंह--

यह ऊर्जा उत्पादन वहीं से होगा क्या ?

बिजली की मौजूदा दरों में की गयी वृद्धि

*2--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए बिजली की मौजूदा दरों में कोई वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार किये बिना उक्त वृद्धि का औचित्य क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां विवरण संलग्न* है।

यद्यपि कि बिजली की दरों में वृद्धि का विषय उ0 प्र0 नियामक आयोग का है, तथापि विद्युत दरों में वृद्धि मुख्यतः तापीय विद्युत गृहों में प्रयोग होने वाले कोयले में 16.7%, तेल में 10% की वृद्धि एवं प्रदेश में कम वर्षा के कारण जलीय विद्युत गृहों से प्राप्त होने वाली सस्ती विद्युत की उपलब्धता में कमी होना है।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, अगर विद्युत नियामक आयोग ही दर तय करेगा तो यह दो रुपये यूनिट बिजली देने का जो विज्ञापन था वह किस लिए था ? क्या कोई अधिकार इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अलग से मिल गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे संबंधित तो नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 105 पर।)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जो उत्तर आपका आया है उससे संबंधित है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, टण्डन जी भी ऊर्जा मंत्री रहे हैं और उन्हें इसका ज्ञान भी है कि अगर कोई उत्पादन करता है और अपनी दर देता है तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो फिर नियामक आयोग को भी आपत्ति नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, ऐसा नही है इलेक्ट्रिसिटी बिल के अन्तर्गत कोई उत्पादक उपभोक्ता को सीधे बिजली नहीं दे सकता है। इस कारण वह विद्युत दर भी नहीं तय कर सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आप अलग से इसका प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, उत्तर से स्पष्ट है कि विद्युत दर जो है वह नियामक आयोग तय करता है। जिसका सीधा कोई संबंध उपभोक्ता से नहीं है। न तो आयोग विद्युत दर तय करते समय उपभोक्ताओं के सम्पर्क में आता है और न उनसे सलाह लेता है और न उनकी जेब की स्थिति पर कोई विचार करता है। जितना भी उनका घाटा होता है वह सारी वसूली के लिए दर तय कर देता है। मान्यवर, इसका क्या औचित्य है ? मान्यवर, उपभोक्ताओं से आयोग का सम्पर्क होना चाहिए और उपभोक्ताओं के विषय में आयोग को विचार करना चाहिए तब दर तय करनी चाहिए ऐसा न करने का क्या औचित्य है ? दूसरे प्रथम भाग के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि जी हां, विवरण संलग्न है। इसको कृपया आप देखने का कष्ट करें। इसमें प्रथम बिन्दु पर है एल0 एम0 वी0-एक, घरेलू बत्ती पंखा एवं पावर इसमें 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जब कि इसमें साधारण उपभोक्ता ज्यादा आते है जो बिजली, पंखा और ट्यूबलाइट चलाते हैं। तो यह कहीं से भी उचित नही है क्या इसके अनौचित्य को देखते हुए साधारण उपभोक्ताओं पर जो अतिरिक्त भार डाला गया है उसको वापस लेंगे ? जैसा आदरणीय टंडन जी ने कहा कि सरकार का यह वायदा है कि आगामी तीन वर्षों के अन्दर विद्युत व्यवस्था में हम सुधार कर पायेंगे लेकिन यह सीधा इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में अनुपूरक बनता है कि कितने दिन में यह विद्युत उत्पादन शुरू हो जायेगा और दो रुपये की दर से वह कैसे देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, आदरणीय चौधरी जी कुछ घूम गये हैं वह खुद ही स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि अनुपूरक क्या पूँछना चाहिए ? एक तो मैं आदरणीय चौधरी जी को बताना चाहता हूँ कि नियामक आयोग प्रदेश में तमाम मंडलों में विद्युत दर तय करने के लिए बैठक करता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, वाराणसी मंडल में कोई बैठक नहीं हुई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, नियामक आयोग के 5 सदस्य बनाये जाते हैं उसमें विभिन्न श्रेणी के सदस्य बनाये जाते हैं उसमें कृषक भी रहते हैं। इसका प्रमाण इस बात से है कि विद्युत कार्पोरेशन ने 2004-05 का जो अपना ए0 आर0 आर0 प्रस्तुत किया था नियामक आयोग के सामने वह 7878 करोड़ का प्रस्तुत किया था। विभिन्न आपत्तियों के बाद नियामक आयोग ने उसको 6360 करोड़ का स्वीकृत कर दिया यानि जो था उसमें डेढ़ हजार करोड़ की कटौती कर दी तो यह कहना कोई बैठक नहीं की,

किसी को नही सुनी, बिना सुने ही दर स्वीकृत कर दिया, यह ठीक नहीं है। दर की वृद्धि मात्र 2.7 प्रतिशत है। आप तो केन्द्र सरकार का सहयोग कर रहे हैं आप उनसे कहिये, कोयले के दाम बढ़ा दिये, तेल के दाम बढ़ा दिये उनके दाम बढ़ने से विद्युत के दाम बढ़ रहे है। केन्द्र सरकार के जो कोयले के दर बढ़ाने, तेल के दर बढ़ाने से और जो आपने बात कही है, आप जरा लिस्ट पढ़ लीजिए कि किस श्रेणी की कितनी वृद्धि हुई है। अब इसमें निजी नलकूप और सिंचाई हेतु पम्पिंग सेट की दरों में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अभी आप किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और अब आपकी असलियत सामने आ गयी, शहरी क्षेत्र की बात करने लगे। मान्यवर, शासकीय नलकूप और पम्प कैनाल में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो लिस्ट मैंने दी है उसको आप पढ़ लीजिए। अब नियामक आयोग ने जिस श्रेणी के दामों को बढ़ाना उचित समझा उसी श्रेणी में दाम बढ़ाये। आप जानते हैं कि 1000 करोड़ रुपये की सब्सिडी सरकार किसानों को दे रही है। अब दो रुपये यूनिट कैसे देंगे यह तो उत्पादन करने वाला और सरकार के बीच तय है तो इसमें नियामक आयोग को क्या आपत्ति है ? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। आपको काहे की दिक्कत है जब हम और उत्पादन करने वाले राजी हैं ते नियामक आयोग क्या करेगा ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, बिना काजी के मियां बीबी बन ही नही सकते।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

ये कांग्रेसी कल्चर के रहे हैं इन्हें मियां बीबी का फर्क मालूम है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, हुकुम सिंह जी कांग्रेसी कल्चर के रहे हैं तो नरेश जी भी याद कर लें कि वह भी कांग्रेसी कल्चर के रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, हमने यह प्रश्न किया था कि जो बातां की गयी है, जो तालिका दी गयी है उसमें घरेलू पंखा और बत्ती पर 3.2 प्रतिशत वृद्धि है तो क्या इसको घटाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, वैसे भी हम लोगों ने जो रेट तय करे हैं तो उसमें शहर में गरीब के ऊपर रेट कम पड़ेगा 50 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर सब्सिडाइज दर है, 51 से 200 तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका रेट दूसरा है और 200 यूनिट से ऊपर जो बड़े लोग हैं उनकी विद्युत दर हमने अलग रखी है और गरीबों के रेट की सब्सिडी बड़ों से वसूल रहे हैं। तो हम तो शहर में रहने वाले गरीब और गांव में रहने वाले गरीब दोनों को सब्सिडाइज बिजली दे रहे है, लेकिन अगर आप बड़ों के लिये मांग कर रहे हैं तो इसके लिये हम कतई तैयार नहीं हैं। हम किसानों को सस्ती बिजली देंगे, गरीबों को देंगे, लेकिन बड़ों को बिजली दर कम करने के लिये सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, हम विधायक लोग एक-डेढ़ महीना पहले प्रश्न लगाते हैं, मेरा क्रमांक में नाम है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नकाल खत्म हो जाये तो इस बात को उठाइयेगा।

*3--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर तथा डा0 अजय कुमार--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

ग्रामीण अंचलों में अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति की मांग

*4--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसानों की फसलों की सिंचाई एवं मड़ाई के लिए ग्रामीण अंचलों में अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति की कोई स्थायी योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण संभव नहीं है।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसी माननीय सदन में घोषणा हुयी थी कि प्रदेश के प्रत्येक गांव को 14 घन्टे बिजली दी जायेगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसी भी गांव में 5-6 घन्टे से ज्यादा बिजली मिल नहीं रही है। तो क्या यह सरकार गांवों में 14 घन्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन्, हमने इस बात को स्वीकार किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ लेने के दूसरे दिन ही इस बात की घोषणा की थी। इससे पहले प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी ने 8 घन्टे से ज्यादा बिजली गांवों को नहीं दी। चाहे प्रश्नकर्ता की पार्टी की सरकार रही हो, और चाहे विपक्ष में बैठे लोगों की सरकार रही हो। हम लोगों ने 14 घन्टे विद्युत आपूर्ति की घोषणा की थी और हम विद्युत उपलब्धता के आधार पर दे रहे हैं। जिस-जिस महीने में उपलब्ध हुयी है, हमने 14 घन्टे बिजली दी है और 14 घन्टे बिजली देने का सरकार का आश्वासन है, उसको हम पूरा करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जैसा उन्होंने कहा कि चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे विपक्ष में बैठने वालों की सरकार रही हो, लेकिन ऊर्जा मंत्री तो आप ही रहे हैं, इसलिये जवाबदेही तो नरेश जी आपकी ही है। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि मौसम का जो कलेन्डर है, वह तेजी से बदल रहा है। जब जाड़ा पड़ना चाहिये तो गरमी हो रही है और जब गरमी का समय आता है तो बरसात हो रही है। मार्च-अप्रैल में लगातार एक अजीब सा परिवर्तन होता है कि एक-दो बार तूफान के साथ बरसात हो जाती है। किसान की पूरी फसल जो खलिहान में रखी रहती है, वह नष्ट हो जाती है। पिछले 4-5 वर्षों से यही हो रहा है। माननीय सदस्य का सीधा सा प्रश्न है कि मड़ाई के समय ग्रामीण अंचलों में अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति हो जाय तो इससे मड़ाई जल्दी हो जायेगी, तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे कि अन्य स्रोतों से कटौती करके या अतिरिक्त ऊर्जा क्रय करके मड़ाई के सीजन में जब किसानों की फसल खलिहान में आ जाय तो उसे घर तक पहुँचाने के लिये 15 दिन या एक महीने तक अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिये आप विचार करेंगे। यह जरूरी नहीं कि आप आज ही घोषणा कर दें, इस पर विचार कर लें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमान्, हमारे यहां विचार नहीं होता है, सीधे निर्णय होता है। हम लोग निर्णय लेने में विश्वास करते हैं। हम आश्वासन देते हैं कि हमने 14 घन्टे बिजली देने की घोषणा की है तो चाहे जहां से भी हो, हम उस घोषणा के अनुरूप बिजली देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह था कि क्या अतिरिक्त बिजली देंगे और मंत्री जी 14 घन्टे बिजली आपूर्ति की बात कह रहे हैं। पीठ ठोंकर, छाती ठोंककर, और कह रहे हैं कि हम निर्णय लेते हैं और घोषणा करते हैं। मैं जानना यह चाहता हूँ तो क्या सरकार इस समय 14 घन्टे से कम बिजली आपूर्ति कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मौनम् स्वीकृति लक्षणम्। मड़ाई के समय यदि अतिरिक्त बिजली मिलाकर 14 घण्टे दी जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी समय में 14 घण्टे बिजली नहीं दी जा रही है।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह--

मान्यवर, प्रदेश में इस समय केवल 7-8 घण्टे ही बिजली दी जा रही है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, यह प्रश्न मड़ाई और सिंचाई से सम्बन्धित है।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, गोरखपुर में भी मड़ाई और कटाई होती है।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह--

मान्यवर, 6 बजे से 10 बजे तक बिजली नहीं दी जाती है, क्या इसके लिए सरकार के कोई निर्देश हैं और यदि निर्देश नहीं हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है ?

श्री अध्यक्ष--

कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह (उपस्थित नहीं है), श्री राम करन आर्य (उपस्थित नहीं है), श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (उपस्थित नहीं है), श्री जगदीश नारायण राय।

डा0 सुशील चौधरी--

मान्यवर, मेरा जवाब तो आ जाए।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका जवाब आ गया है, 14 घण्टे बिजली की बात हो गई है।

(श्री जगदीश नारायण राय के उपस्थित रहने पर)

नीलगायों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु कार्य योजना

*5--कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नीलगायों द्वारा बड़े पैमाने पर फसलों को हानि पहुंचाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नीलगायों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु उनके बंध्याकरण (नसबन्दी) करने की योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

वनरोजों (नीलगायों) द्वारा किसानों की फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की संभावना प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में पायी जाती है।

वनरोजों (नीलगायों) का बन्ध्याकरण (नसबन्दी) करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने की अनुमति देने हेतु अधिसूचना, दिनांक 9-3-1994 द्वारा

समस्त जिलाधिकारियों एवं अधिसूचना, दिनांक 28-9-2001 द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभावित कृषक फसलों को क्षति पहुँचाने वाली उत्पाती वनरोजों (नीलगायों) को नष्ट करने के लिये इन अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करके समस्या का निदान कर सकते हैं।

माननीय विधायकों के वाहन पर आई0 ए0 एस0/आई0 पी0 एस0 अधिकारियों की भांति बत्ती लगाने की अनुमति की मांग

*6--श्री राम करन आर्य तथा श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास (डम-डम महराज)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायकों का स्टेटस आई0 ए0 एस0/आई0 पी0 एस0 से ऊपर है ? यदि हां, तो आई0 ए0 एस0/आई0 पी0 एस0 अधिकारियों की तरह मा0 विधायकों के वाहन पर बत्तियां लगाने की अनुमति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

आई0 ए0 एस0/आई0 पी0 एस0 के सरकारी वाहनों पर, जब वाहन प्रदेश में ड्यूटी पर हो, लाल/नीली बत्ती लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

मा0 विधायकों को कोई सरकारी वाहन अनुमन्य नहीं है। इसीलिए मा0 विधायकों के वाहनों पर बत्ती लगाने की अनुमति प्रदान करने पर विचार नहीं किया गया है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह प्रश्न सं0-6 देख लें, इसमें सभी की रुचि है।

श्री अध्यक्ष--

अगर रुचि थी, तो जब नाम पुकारा गया था तब आपको रुचि दिखानी थी। 12 प्रश्न है जब यह खत्म हो जाएंगे, तब उसे ले लिया जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इसमें सभी विधायकों का भला हो जाएगा, इसमें आपकी ओर से आ जाए।

श्री अध्यक्ष--

जब 12 प्रश्न हो जाएंगे और समय होगा तो इसे ले लिया जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप निर्देश दे दें, आप अजर-अमर हो जाएंगे, आप तो बहुत अच्छे हैं।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी से मिल करके बात कर लें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह लाल/नीली बत्ती का मामला है। एक थानेदार लगाता है, लेकिन एक विधायक नहीं लगाता है। मान्यवर, मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तब के लिए कह रहा हूँ, जब कभी आप भी यही होंगे। मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध कर लेता हूँ, परिवहन मंत्री से भी अनुरोध कर लेता हूँ। मान्यवर, यह उचित है, इस पर निर्णय ले लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

यदि समय शेष रहेगा तो ले लिया जाएगा।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त तारांकित प्रश्न संख्या 6 श्री प्रमोद कुमार की रुचि पर लिया गया।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इसे अभी लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं लिया जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, तो फिर इसे प्रश्नकाल के बाद ले लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विभाग में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह नियम बहुत पुराना है यह तब का नियम है जिसका कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। परिवहन ट्राफिक जितना बढ़ रहा है उतना ट्राफिक पहले नहीं था। पहले विधायकों को सिर्फ ट्रेनों में यात्रा करने के लिए पास मिलता था। आज सम्मानित विधायकों को कार खरीदने के लिए आपके सचिवालय से ऋण मिलता है जब आप ही हमको कार दे रहे हैं तो उस पर बत्ती लगाने पर एतराज क्यों हो रहा है ? दूसरे डीजल की भी आपने प्रबन्ध किया है तब की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत अन्तर आ गया है ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ा है दूसरे पहले कार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी अब ऋण की सुविधा उपलब्ध है, अब ईंधन की सुविधा उपलब्ध है। एक कैटेगिरी बना दें कि जब संबंधित विधायकगण अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये जा रहे हों उस समय उसका उपयोग कर सकते हैं और यह भी कर दें कि अधिकृत रूप से अपनी गाड़ी का नम्बर आपके सचिव को बता दें और उस गाड़ी पर बत्ती लगे जिसके लिये विधान सभा सचिवालय पास निर्गत करता है तो इसमें क्या आपत्ति है ? यह जो प्रोटोकाल है उसके अनुसार भी आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों से माननीय विधायक ऊपर होते हैं। अध्यक्ष, जो तमाम आयोगों के बने हैं, वे मंत्री नहीं है। मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के अलावा कोई लाल बत्ती नहीं लगा सकता है लेकिन इन अध्यक्षों को आपने कैबिनेट स्टेटस देकर उनको लालबत्ती लगाने की सुविधा अनुमन्य कर रखी है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि एक सर्वदलीय समिति का आप गठन कर दें जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे कि यह लालबत्ती लगनी चाहिए कि नहीं ? लगनी चाहिए तो किन शर्तों के साथ लगनी चाहिए। सर्वदलीय समिति बनाने में आपको विपक्ष के नेताओं पर विश्वास न करने का क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

माननीय प्रमोद जी ने अविश्वास की बात कही। मान्यवर, अविश्वास तो हम लोग करते ही नहीं है। हम तो विपक्ष को भी विश्वास में लेने का प्रयास करते हैं और इस सदन में जो भी निर्णय ले रहे हैं, कार्यवाही में भाग ले रहे हैं उसमें विपक्ष को भी विश्वास में लेने की बात कर रहे हैं। प्रमोद जी तो हमारे सहयोगी हैं हम तो आपको भी विश्वास में लेने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही हो सकती है। सेन्ट्रल मोटर रूल्स के रूल 108 के अन्तर्गत यह प्रदेश सरकार को अधिकार दिया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निजी वाहनों पर भी अनुमन्य हो। जो कैटेगिरी है, ए0 बी0 सी0 श्रेणी के जो लोग आते हैं उसमें उन्हें उसके अनुसार लाल नीली बत्ती लगाने का अधिकार दिया गया है। जो अधिकारी हैं उनकी सरकारी गाड़ियों पर और जब वे ड्यूटी पर हों, लगाने के लिये अनुमन्य है। जो लोग इन श्रेणियों में आ रहे हैं वे अपनी निजी गाड़ी में लाल नीली बत्ती नहीं लगा सकते हैं। इस नियम को चेंज करना सम्भव नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्रि-परिषद के माननीय सदस्य व अन्य इस श्रेणी में आने वाले लोग जो लाल नीली बत्ती लगाने के लिये अनुमन्य

हैं यदि उनके सरकारी वाहनों के अतिरिक्त उनके घरों के प्राइवेट वाहन बेड़ों पर लाल-नीली बत्ती लगी होगी तो क्या एक अभियान चलाकर जिसमें जिलाधिकारी को यह अधिकार देकर इन बत्तियों को हटवायेंगे जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

इससे पंहले भी हमने 15 दिन का अभियान चलाया था। 1 दिसम्बर से चला था और हम फिर विचार कर रहे हैं। नम्बर प्लेट की जगह अपना नाम, पद लिखना गलत है, इन नियमों का पालन यदि नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

मैंने कहा कि आप एक सर्वदलीय समिति बना दें, आप उस पर भी तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि नियम बने हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जहां मंत्रि-परिषद् की अपनी सुविधाओं की बात होती है तब यह परिवर्तन करने में विलम्ब नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी को याद होगा, बड़े विद्वान आदमी हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का संज्ञान लेंगे कि जो लाल-नीली बत्ती लगाने का प्राविधान है वह फ्लैग राड के ऊपर एक छोटी सी बत्ती लगाने का प्राविधान है। क्या माननीय मंत्री जी नीचे मेरे साथ चलेंगे और मैं उन्हें दिखाऊँगा कि जितने भी सम्मानित मंत्री हैं उनकी गाड़ी की छत पर लाल बत्ती लगी है। मैं तो कह रहा हूँ कि छत पर जो लगी है उस पर आप 2 फुट की रॉड लगाकर और ऊपर लगवा लें। मुझे आपत्ति नहीं है मेरा सिर्फ यह कहना है। विनम्र सुझाव है, अनुरोध है, प्रश्न के रूप में यह आग्रह है कि बदली परिस्थितियों में सुरक्षा के कारणों से, ट्रैफिक जाम से, यह स्थिति हो जाती है कि ट्रैफिक के कारण ट्रक वाले लाल बत्ती को देखकर रुक लें तो रुक लें वरना दूसरी गाड़ी हो तो रौंदते हुए निकल जाएं। वह किसी की परवाह नहीं करते हैं। इनसे ज्यादा आप अनुभव करते रहे हैं आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने विधायकों की सुरक्षा करें। इसे हास-परिहास में न लिया जाए। आप इसको समझ सकते हैं बैठक हो रही थी और आप 45 मिनट विलम्ब से जाए है क्योंकि ट्रैफिक जाम में आप भी फंस गए थे। तो मान्यवर जब लाल बत्ती वाले फंस जाते हैं तो हम तो जिन्दगी भर फंसे रह जाएंगे। तो श्रीमन् इसमें आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। श्रीमन् एक नायब तहसीलदार, एक दरोगा नीली बत्ती लगा सकता है आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 बत्ती लगा सकता है तो विधायकों के लिए क्यों नहीं है ? इसमें आपकी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति का गठन हो जाएगा वह निर्णय ले ले कि लाल बत्ती लगनी चाहिए या नहीं ? कहां प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं एक महीने में यह समिति अपनी रिपोर्ट दे दे। आप नियम परिवर्तन करें नियम परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

श्री लाल जी टण्डन--

लाल बत्ती देने पर प्रतिबन्ध है।

श्री प्रमोद कुमार--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस पर सर्वदलीय समिति बनाकर विचार करें।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रबुद्ध सदस्य है, विज्ञ भी है नियमों को जानते हैं मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं तो क्या करें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

नियमों में पहले से व्यवस्था है संबंधित मंत्री जी ने नियमों को बताया है। नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया है। पिछले दिनों कड़ाई से पालन कराया गया है। मैं चाहूँगा कि सभी मंत्री साहिबान अपनी तरफ से अपने विभागों को चिट्ठी भेजें। वह अपने अधिकारियों के सिलसिले में

नियम सुनिश्चित करें। हमने अपने विभाग में आदेश किए, एक्जीक्यूटिव आफसर और आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो बत्ती लगाकर चल रहे थे वह बन्द हो गया हमारे यहां नीली बत्तियां उतर गई । हमने कहा नियमों का पालन कड़ाई से होना चाहिए।

विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर देहात के 1000 के0 वी0 ए0 से ऊपर के उपभोक्ताओं द्वारा जमा सिक्योरिटी धनराशि

*7--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बड़े विद्युत उपभोक्ताओं से उनके दो माह के औसत बिल के बराबर सिक्योरिटी धनराशि विभाग द्वारा जमा करायी जाती है ? यदि हां, तो क्या विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर देहात के 1000 के0 वी0 ए0 से ऊपर के उपभोक्ताओं से दो माह के बिलों के बराबर सिक्योरिटी धनराशि जमा करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि का विवरण क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हाँ, 2 माह के औसत बिल के अनुरूप सिक्योरिटी धनराशि जमा कराये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

भार अवमुक्त करते समय भार के अनुरूप सिक्योरिटी जमा कराई गई थी, परन्तु औसत उपभोग के अनुसार 2 माह के बिल के बराबर एवं जमा सिक्योरिटी का अन्तर अभी उपभोक्ताओं द्वारा जमा नहीं किया गया है, जिसके लिये सभी उपभोक्ताओं को नोटिस निर्गत की जा चुकी है।

जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :

उपभोक्ता/इकाई का नाम	वांछित सिक्योरिटी धनराशि	जमा सिक्योरिटी धनराशि	अंतर
मे0 मवाना स्टील्स, जौनपुर	51,86,876.00	17,67,480.00	34,19,396.00
मे0 प्रीमियर स्पात, जौनपुर	33,30,723.00	16,22,250.00	17,08,473.00
मे0 गुडलक नेरोलक, जौनपुर	28,06,496.00	28,06,496.00	शून्य
मे0 एल0 कान्त पेपर मिल (फर्नेस), रनिया	29,13,961.00	13,60,800.00	15,53,161.00
मे0 राम शिव इंडस्ट्रीज, रनिया	27,42,803.00	07,67,800.00	19,75,003.00
मे0 फ्रन्टियर एलायस, रनिया	17,16,877.00	12,60,000.00	04,56,877.00

श्री जगदीश नारायण राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कुल कितने उपभोक्ता हैं, जिनका सिक्योरिटी बिल बकाया है ? केवल कानपुर का बता दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, यह लिखा हुआ है। मैं इसमें खुद ही स्पष्ट कर देता हूं। मान्यवर, इसमें दिया गया है और अन्तर भी बहुत आया है। मैंने विद्युत विभाग को निर्देश जारी भी किये हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी समीक्षा कर ली जाए, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि जितनी सिक्योरिटी मनी है उससे ज्यादा दो महीने का बिल आ रहा है। तमाम उपभोक्ताओं के बिल बाकी हो गये हैं और नहीं मिल रहे हैं, अगर इसको देखते हुए अमेण्डमेंट करना पड़े तो कर दें लेकिन उनके ऊपर बकाया धनराशि नहीं रहनी चाहिए।

जनपद बांदा में नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

*8--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बांदा जनपद में विद्युत की आवश्यकता को देखते हुए नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने का प्रकरण प्रदेश राज्य विद्युत पावर कारपोरेशन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने और इनका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

तीन नये 33 के0 वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना है जिनमें से खुरहण्ड में उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ कराया जा चुका है। कानाखेड़ा में उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जा रहा है तथा पखरौली में उपकेन्द्र का निर्माण संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विलुप्त हो रही गिद्ध प्रजाति को बचाने संबंधी उपाय

*9--श्री राम विशुन आजाद--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गिद्ध प्रजाति विलुप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको बचाने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

जी नहीं, विभिन्न शोध संस्थानों द्वारा गिद्ध प्रजातियों की संख्या में कमी होने की संभावना सम्पूर्ण भारतवर्ष में वक्तव्य की गयी है।

प्रदेश में विभिन्न जलवायु एवं भौगोलिक क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 वन्य जीव बिहार स्थापित किये गये है, जिनमें सभी वन्य जीवों की भांति गिद्ध प्रजाति के प्राकृतवास का भी संरक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम विशुन आजाद--

माननीय अध्यक्ष जी, गिद्ध पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रहरी है, गिद्ध प्रजाति हम लोगों की लापरवाही से विलुप्त हो रही है। मुम्बई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने एक सर्वे कराया है जिसमें बताया गया है कि 95 प्रतिशत गिद्ध की प्रजाति विलुप्त हो गयी है। मान्यवर, अगर यह हो गया तो पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि गिद्ध प्रजाति के पुनर्वास के लिए विचार कर लें और जिस तरीके से पंचकुला, हरियाणा में केन्द्र स्थापित किया गया है, उसी प्रकार से हमारे प्रदेश में भी कोई केन्द्र स्थापित हो जाये।

डा0 वकार अहमद शाह--

मान्यवर, यह सरकार सभी वन्य जीव प्रजातियों के बारे में संवेदनशील है।

प्रदेश में वैट प्रणाली को लागू किये जाने पर विचार

*10--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैट प्रणाली कुछ परिवर्तन सहित लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे बिन्दु कौन-कौन से हैं, जिनमें परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है ?

कर एवं निबन्धन राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)--

राज्य सरकार वैट प्रणाली की सभी सुसंगत पहलुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त लागू करने पर विचार करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे सवाल करना चाहता हूँ। आप सहमत होंगे वैट की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी आन्दोलित हैं। जिस रूप में वैट प्रस्तावित हुआ, उससे सरकार और व्यापारियों के बीच में गतिरोध बना हुआ है। व्यापारियों ने सारे उत्तर प्रदेश के विधायकों, सांसदों और सरकार को ज्ञापन दिया। मैं आपके माध्यम से दो सवाल करना चाहता हूं, पहला यह कि किस सीमा तक टर्न-ओवर करने वाले व्यापारियों को वर्तमान में जो आपका प्रपोज्ड मर्सविदा है मर्सविदा उसमें इससे मुक्त रखा जायेगा ?

श्री संजय गर्ग--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैंने अपने उत्तर में बहुत साफगोई के साथ बताया कि सरकार अभी वैट प्रणाली की सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार कर रही है। जिस प्रश्न को अभी हमारे माननीय सदस्य ने उठाया है कि उसकी मौद्रिक सीमा क्या है, यह भी उसमें विचारणीय पहलू है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, यह बता दें कि सरकार और व्यापारियों के बीच किस-किस मुद्दे पर गतिरोध है ? दूसरे इसमें कैलकुलेशन के लिए एक्स्ट्रा मुनीम और चार्टेड एकाउण्टेंट की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी आन्दोलित है। यह प्रश्न आज विधान सभा में उठा है सारा व्यापारी वर्ग टी0वी0 पर कान लगाये बैठा होगा कि इस पर सरकार क्या जवाब दे रही है ? सरकार गुपचुप तरीके से योजना बना रही है जो जनता के सामने नहीं आता है। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि विचार किया जा रहा है।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, तो सरकार और व्यापारियों के बीच में कोई गतिरोध नहीं है। यह सरकार व्यापारियों की हितैषी है। माननीय सदस्य इस बात के लिए चिंतित हैं क्योंकि इनकी पार्टी की सरकार जहां-जहां है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में वहां गतिरोध चल रहा है, क्योंकि वहां पर इन्होंने वैट को लागू करने के सम्बन्ध में आश्वासन दे दिया है। हम एक मान्य स्वरूप तैयार करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, सिद्धान्त रूप में सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वैट लाया जाय।

श्री संजय गर्ग--

मान्यवर, मैं बहुत साफगोई के साथ बता चुका हूं कि व्यापारियों के लिए इसका मान्य स्वरूप क्या हो, इन तमाम चीजों पर सरकार विचार कर रही है ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश में वैट को लागू होने नहीं दिया जाएगा। क्या सरकार अपनी घोषणा पर पुनर्विचार कर रही है ? अगर कर रही है तो उसके पीछे क्या कारण है और उसका आधार क्या है ?

डा0 अशोक बाजपेयी (कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री)--

मान्यवर, सरकार का प्रारम्भ से ही स्पष्ट रुख रहा है कि उत्तर प्रदेश में वैट को व्यापारियों को विश्वास में लेकर ही लागू किया जाएगा। यदि व्यापारी सन्तुष्ट नहीं है तो वैट को थोपा नहीं जाएगा। आज सरकार अपने उसी स्टैण्ड पर कायम है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है उस सम्बन्ध मेरा कहना है कि वैट अकेले उत्तर प्रदेश में ही लागू नहीं किया जाना है बल्कि यह सारे देश में लागू होगा। जो इम्पावर्ड कमेटी है उसका जो प्रारूप है उसके अनुसार पांच लाख टर्न ओवर तक के जो व्यापारी हैं उनको पंजीकरण से मुक्त रखा गया है। जिनका टर्न ओवर पचास लाख रुपये है उनके ऊपर शमन शुल्क के रूप में एक प्रतिशत टैक्स लगाने की बात है। जो मान्य प्रारूप है उसमें यही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। माननीय मंत्री जी जो इस विभाग के हैं, वह इस सदन में मौजूद हैं। जो उन्होंने उत्तर दिया है और जो उत्तर माननीय बाजपेई जी ने दिया है उन दोनों उत्तरों में अन्तर है। कहीं कोई समता नहीं है। यह प्रश्न प्रदेश के समस्त व्यापारियों से जुड़ा है। इसलिए नियम 49 के अन्तर्गत मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं, आप इसे स्वीकार कर लें जिससे कि सरकार, व्यापारियों का मत जनता के सामने चला जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस पर नियम 49 के अन्तर्गत नहीं, दूसरे जो नियम हैं उसके अन्तर्गत आप दीजिएगा।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु बढ़ाने की मांग

*11--श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राज्य कर्मियों की भांति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन न करने की नीति निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद की बैठकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक अल्पता को दूर करने के लिये दिये गये सुझाव

*12--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विकास परिषद् में पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक अल्पता (अल्प विकास) को दूर करने के लिये कोई सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? उन पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री कैलाश)--

उत्तर प्रदेश विकास परिषद के विभिन्न बैठकों में किए गए विचार-विमर्श के उपरान्त की गयी संस्तुतियों के आधार पर औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 बनाई गयी, जिसमें पूर्वांचल के विकास हेतु कई सुविधायें दी गयी हैं, जिसमें प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :--

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में पूर्वांचल के 29 जनपदों हेतु नई लघु एवं लघुत्तर इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट दी गयी है।

पूर्वांचल के 29 जनपदों, पूर्वांचल के 29 हेतु नई मध्यम एवं वृहत इकाइयों को स्टैम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

पूर्वांचल के 29 जनपदों हेतु नई लघु एवं लघुत्तर तथा मध्यम एवं वृहत इकाइयों को रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम रुपया 5000 के अधीन रु0 2/= प्रति सैकड़ा से रु0 2/= प्रति हजार किया गया।

पूर्वांचल हेतु 15 वर्ष के लिए कैपिटल गुड्स, प्लांट एवं मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की गयी है।

पूर्वांचल हेतु नवीन लघु एवं लघुत्तर इकाइयों को स्थाई पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत पूंजी उपादान अधिकतम रु0 5.00 लाख उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त (कुल 15 प्रतिशत) पूंजी उपादान अधिकतम रु0 7.5 लाख उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

पूर्वांचल के विकास हेतु उपरोक्त सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अन्तर्गत घोषित की जा चुकी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विकास परिषद की तरफ से प्रदेश के विकास के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, कुछ बिन्दुओं के बारे में मैं प्रश्न करना चाहता हूं। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो ऋण जमा अनुपात है। वह 23.3 प्रतिशत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 37.18 प्रतिशत है। पूर्वांचल में प्रति व्यक्ति औद्योगिक आय जो है वह 1324 है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7042 है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 1.9 उद्योग है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 12.2 उद्योग हैं तो क्या सरकार ऐसे कार्यदल का गठन करेगी जो प्राथमिकता के आधार पर सी0डी0 रेशियो को सुधारने के लिए सलाह देगा ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धे लगें इसके लिए क्या सरकार राजनैतिक प्रयास करेगी ?

श्री कैलाश--

पूर्वांचल के लिए लघु और मध्यम उद्योग लगाने पर छूट दी गई है। पूर्वांचल के 29 जिलों के विकास के लिए विकास परिषद द्वारा हर तरह से प्रयास किया गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

जब तक राजनीतिक प्रयास नहीं किया जायेगा उद्योग धन्धे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं लगेंगे। क्या पूर्वांचल का सी0डी0 रेशियो सुधारने के लिए वहां उद्योग धन्धे लगाने के लिए विकास परिषद् द्वारा कोई प्रयास किया जायेगा ?

श्री कैलाश--

इसके लिए प्रयास किया गया है। पूर्वांचल के 29 जिलों में उद्योग लगाने पर सब्सिडी में छूट दी जा रही है। पूर्वांचल के विकास के लिए सरकार विशेष रूप से प्रयास कर रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता की स्थिति खराब है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो कृषि से सम्बन्धित है। यह इसमें कहां से आ गया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, कृषि और औद्योगिक विकास में गहरा संबंध है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े इसके लिए क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है ?

श्री अध्यक्ष--

कृषि के लिए आप अलग से प्रश्न दे दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, मेरा तीसरा प्रश्न है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने लघु व्यापारी हैं विशेष रूप से शिल्पकार वहां का टेरा कोटा बहुत ही प्रसिद्ध है वहां के शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए, शिल्प-कारों कलाकारों के लिए मार्केटिंग विपणन की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। हम तारांकित प्रश्न-6 ले रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी शिकायती-पत्र

1--श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (प्रथम), शक्ति भवन, लखनऊ के पत्र संख्या 3181-जीए/पाकालि-12/2003-2 (9) जीए/29, दिनांक 18 नवम्बर, 2003 जो कि महाप्रबन्धक, वितरण, फैजाबाद को सम्बोधित है तथा उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के महामंत्री का पत्र दिनांक 24-02-04 जो कि अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं महाप्रबन्धक, फैजाबाद क्षेत्र को सम्बोधित है जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रु0 2.0 लाख की पैनल रेन्ट वसूली किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? पैनल रेन्ट की वसूली कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण में विधिक परीक्षण के उपरान्त श्री हवलदार चौबे, कार्यालय सहायक द्वितीय से कारपोरेशन आवास संख्या-सी-3के दिनांक 11-11-99 से दिनांक 30-11-2002 तक के अनधिकृत अध्यासन के लिए नियमानुसार दाण्डिक किसया वसूल किये जाने हेतु कारपोरेशन पत्र

संख्या-18-जीए/पाकालि-12/2005-2 (9) जीए/99, दिनांक 14-2-05 द्वारा महाप्रबन्धक (वितरण), फैजाबाद क्षेत्र, उपमहाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मण्डल, सुल्तानपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड, सुल्तानपुर को निर्देशित किया जा चुका है।

माह फरवरी, 2005 का वेतन, जो माह 3/05 में देय होगा, से वसूली प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में घोटाले की जाँच

2--श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में हुए अरबों रुपये के घोटाले की सी0बी0आई0 जांच संबंधी उ0 प्र0 विद्युत मजदूर महासंघ के महामंत्री श्री नन्द लाल जायसवाल का पत्र दिनांक 31-8-2004 जो प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0 प्र0 शासन, अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0/उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण में सचिव (समन्वय लोक शिकायतों मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली भारत सरकार के प्राप्त पत्र दिनांक 21-10-2003 के अनुसार प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी और न ही राज्य सरकार से अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा की गयी है।)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्रामों का विद्युतीकरण

3--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0-133 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के 79 ग्रामों, जहां विद्युत पोल की आपूर्ति की गयी है, का विद्युतीकरण प्रत्येक वर्ष में कितने ग्राम को चयन कर विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

79 ग्रामों के चिन्हिकरण करने पर पाया गया कि केवल 9 वर्जिन ग्राम भैरोपुर (0429), सुजानपट्टी (0407), पहलमापुर (0258), अलीपुर (0276), नेवादा (0207), रानीपुर (0245), मतेठी (0264), जैतापुर (0265) तथा रामपुर बेला (0252) अविद्युतीकृत है। अन्य 70 ग्राम पूर्व में विद्युतीकृत हैं और उनके अवशेष मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उपरोक्त अविद्युतीकृत वर्जिन 9 ग्रामों का विद्युतीकरण 2005-06 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति एवं उपलब्धता सुनिश्चित होने पर कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुनीन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा घूस मांगे जाने संबंधी शिकायती पत्र

4--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनीन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा घूस मांगने विषयक मे0 गुप्ता ब्रदर्स नैनी कान्ट्रेक्टर्स प्रा0 लि0, लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 05-08-2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

महाप्रबन्धक (जनपद) पारेषण, लखनऊ से जांच करायी गयी, जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिस पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के कतिपय सड़कों को डामरीकरण किये जाने की मांग

5--श्री कल्यान सिंह दोहरे--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 05 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद ने अपने पत्र संख्या 359/सा0-प्र0-1/वि0स0/प्रश्न/2002-2003, दिनांक 28-2-2003 द्वारा प्रश्नगत सड़क को ग्यारहवें वित्त आयोग से डामरीकरण कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3 से अनुरोध किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत सड़क का ग्यारहवें वित्त आयोग से डामरीकरण कराने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)--

जी हां।

जी नहीं।

धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

6--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उदयगंज कैन्ट रोड, लखनऊ पर स्थित टावर (पुराना ताड़ीखाना) नामक बिल्डिंग के बिल्डर द्वारा अवैध कनेक्शन दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

7--श्री प्रदीप माथुर तथा डा0 पी0 के0 राय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि भवन संख्या-12/55, उदयगंज, कैन्ट रोड, लखनऊ पर स्थित "डायमण्ड टावर" (पुराना ताड़ीखाना) नामक बिल्डिंग के पुनर्निमाण हेतु अस्थायी रूप से उपलब्ध करायी गयी बिजली के कनेक्शन को उसके बिल्डर द्वारा वहां के अध्यासियों का अवैध रूप से वितरण करके घरेलू व व्यावसायिक रूप में उपभोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या

सरकार अनाधिकृत रूप से बिजली का उपभोग करने वाले डायमण्ड टावर के बिल्डर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

भवन सं0-12/55, उदयगंज, कैन्ट रोड, लखनऊ पर स्थित डायमण्ड टावर (पुराना नाड़ीखाना) नामक बिल्डिंग के निर्माण हेतु अस्थायी कनेक्शन दिनांक 08-02-05 तक का दिया गया था। बिल्डर ने उक्त संयोजन से कुछ लोगों को कनेक्शन दिया था, ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया, लेकिन विद्युत आपूर्ति मीटर के द्वारा पायी गयी थी तथा अवैध विद्युत कनेक्शन के लिए उसे चेतावनी दी गयी थी कि तत्काल अवैध कनेक्शन हटा लें।

अस्थायी संयोजन की समय सीमा 08-02-05 को समाप्त होने पर कनेक्शन काट कर केबिल हटा लिया गया है।

विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा मछली मण्डी के पास के क्षेत्र में 33000 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र लगाये जाने की मांग

8--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा मछली मण्डी के पास के क्षेत्र में बढ़ते हुए विद्युत भार को दृष्टिगत रखते हुए 33000 के 0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना शासन स्तर पर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मछली मण्डी दुबग्गा के निकट ही लगभग 8 कि0 मी0 दूरी पर पूर्व में स्थित एक 33 के0 वी0 उपकेन्द्र, फतेहगंज से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

दुधारु पशुओं में खतरनाक बीमारियों से बचाव हेतु उपाय की मांग

9--डा0 सुशील चौधरी--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी अध्ययन में यह पाया गया है कि दुधारु पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के कारण खुरपका, मुंहपका जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशुओं को उक्त कारण से होने वाली उक्त बीमारियों से बचाव हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)--

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के टाउन एरिया कस्बा बभनान को परिवहन सेवा से जोड़े जाने की कथित मांग

10--कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कस्बा बभनान जो टाउन एरिया घोषित हो चुका है, को परिवहन सेवा से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

जनपद बस्ती के कस्बा बभनान से हरैया, बभनान से गोण्डा आने-जाने के लिए अराष्ट्रीयकृत मार्ग विद्यमान है। बभनान कस्बा रेलवे के मीटर गेज लाइन से लखनऊ, गोरखपुर, आसाम लाईन से जुड़ा हुआ है।

वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर पुवाया हाइडिल सब-स्टेशन की ट्राली, ट्रान्सफार्मर ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

11--श्री मिथिलेश कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुवांया हाइडिल सब-स्टेशन, जनपद शाहजहांपुर की ट्राली, ट्रान्सफार्मर आदि खराब हैं ? क्या सरकार उनको ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवांया के कतिपय ग्रामों में पड़े खम्भों को लगवाकर विद्युतीकरण की मांग

12--श्री मिथिलेश कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवांया के ग्राम जमालपुर, पिपरिया प्रह्लाद, शम्भूपुर, पिलखना, तिहार ऐंजनपुर में पड़े खम्भों को लगवाकर विद्युतीकरण पूर्ण कराये जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3/164065, दिनांक 25-10-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उपरोक्त ग्राम किसी भी योजना में चयनित नहीं है, अत: इनका विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

अब प्रदेश शासन की नीति के अनुसार प्रदेश के समस्त अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिए भारत सरकार की संख्या आर0ई0सी0 से ऋण लेकर अगले 5 वर्षों में विद्युतीकृत कराने की योजना स्वीकृत करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद से तहसील मिल्कीपुर वाया अमानीगंज से कानपुर तक नियमित रूप से बसों के संचालन की मांग

13--डा0 कौशल किशोर--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के पहले सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2004 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-56 के उत्तर के संबंध में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद से मिल्कीपुर एवं अमानीगंज वाया रुदौली होकर लखनऊ तथा कानपुर तक माह फरवरी/मार्च , 2004 के पूर्व प्रथम एवं द्वितीय पाली में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कितनी बसें संचालित की जा रही थी ? अब इन बसों को संचालित न करने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी पूर्व की भांति नियमित रूप से निर्धारित समय पर इन बसों को पुन: संचालित कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

फैजाबाद से मिल्कीपुर एवं अमानीगंज वाया रुदौली होकर लखनऊ तथा कानपुर हेतु माह फरवरी/मार्च, 2004 के पूर्व एक बस से निम्नवत् संचालन किया जा रहा था :--

माह अगस्त व सितम्बर, 2003	फैजाबाद 10.00	कानपुर 17.20/23.00		फैजाबाद 6.30		
माह अक्टूबर व नवम्बर, 2003	फैजाबाद 13.30	लखनऊ 18.35 18.40	सीतापुर 21.00 5.00	लखनऊ 7.05 7.10	फैजाबाद 12.05	
माह जनवरी से अप्रैल, 2004	फैजाबाद 13.30	लखनऊ 18.35/7.00		फैजाबाद 12.05		

उपरोक्त संचालन मिल्कीपुर-अमानीगंज रुदौली होकर किया जा रहा था।

माह दिसम्बर, 2003 में एवं मई, 2004 से अक्टूबर, 2004 तक फैजाबाद-मिल्कीपुर अमानीगंज रुदौली होकर लखनऊ तथा कानपुर मार्ग पर संचालित नहीं किया गया।

वर्तमान में नवम्बर, 2004 से दो बसों में एक वापसी सेवा फैजाबाद मिल्कीपुर अमानीगंज रुदौली लखनऊ कानपुर तक परिवर्तित समय सारिणी के अनुसार संचालित की जा रही है।

पूर्व की भांति रात्रि 23.00 बजे कानपुर से अमानीगंज मिल्कीपुर फैजाबाद वापसी सेवा का संचालन कम यात्री उपलब्धता के कारण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्तवत्।

प्रदेश में जर्जर लकड़ी के विद्युत खम्भे तथा जर्जर तार को बदलने की योजना

14--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर लकड़ी के विद्युत खम्भे तथा जर्जर तार को बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के ग्राम पुर नरांव, बलेतरा एकइल, संतरा, औदी, ताड़ी बड़ागांव में विद्युत के जर्जर तार और लकड़ी के खम्भे बदलने हेतु क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत उपकेन्द्र इसारी सलेमपुर, जनपद बलिया का निर्माण कार्य

15--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया में निर्माणाधीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र इसारी सलेमपुर का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सिविल कार्य प्रगति पर है। सिविल कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्ट्रक्चर का कार्य तथा अन्य कार्य कराया जायेगा। उपकेन्द्र का निर्माण शीघ्र पूर्ण होना सम्भावित है।

जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन हेतु दिशा-निर्देश

16--श्री रविन्द्र पुण्डीर--

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर पशुमेला (बाजार) लगाया जाता है जिसमें पशुओं का कारोबार करने वाले व्यापारी पशुओं को दूरस्थ स्थानों से मोटर वाहन से पशु मेले में जानवर क्रय-विक्रय हेतु ले जाते हैं ? क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा गोवध के नाम पर उन व्यापारियों को परेशान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

जी हां।

इस संबंध में विभाग को कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पशुओं के लिए परिवहन नियम, 1978 लागू है। समय-समय पर क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किए जाते हैं।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

17--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण हुआ है और तार कट जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित है ? क्या यह सही है कि ग्राम उखली ब्लाक खुदागंज तथा ग्राम जहानपुर, ग्राम निगोही में विद्युतीकरण होने तथा कनेक्शन लेने के बाद भी ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों के तार जुड़वाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के लिये स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य संबंधी जानकारी

18--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायती अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ के शासनादेश संख्या 334/33-सेल-03-854/01-4, दिनांक 29-3-03 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के लिये स्वीकृत मार्ग अंतपुर-धूती-मकरा 1.5 कि0मी0 आलाविरदीपुर सम्पर्क मार्ग 0.5

कि0मी0, सदहा पचौरी सम्पर्क मार्ग 1.5 कि0मी0, बनवारीपुर सम्पर्क मार्ग 1.0 कि0मी0 तथा शासनादेश संख्या 195/33-सेल/02, दिनांक 20-9-02 द्वारा सराय भिखारी-रत्तीपुर किलाई-कौशल पट्टी रोही पट्टी सम्पर्क मार्ग तथा अन्य दो मार्ग स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

अन्तपुर-धूती-मकरा 1.5 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग में से 1.0 कि0मी0 लम्बाई में पत्थर गिट्टी कुटाई का कार्य हो चुका है। शेष 500 मी0 जमीन विवादित होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। आलाविरदीपुर सम्पर्क मार्ग 0.5 कि0मी0 पर मण्डी परिषद् द्वारा कार्य कराया जा रहा है। सदहा-पचोरी मार्ग 1.5 कि0मी0 में से 1.0 कि0मी0 लम्बाई में पत्थर गिट्टी कुटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 0.5 कि0मी0 पर जमीन का विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। बनवारीपुर सम्पर्क मार्ग 1.0 कि0मी0 जमीन विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। सराय भिखारा-रत्तीपुर किलाई कोशल, पट्टी रोही पट्टी सम्पर्क मार्ग तथा अन्य दो मार्गों के सम्बन्ध में कार्य आदेश जारी न होने के कारण व्यय पर शासनादेश संख्या 288/नि0/33-सेल-2002, दिनांक 24-10-2002 द्वारा रोक लगाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विद्युत उपकेन्द्र ढखवा के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

19--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में स्वीकृत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ढखवा के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक विद्युत सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

राजकीय मुद्रणालय संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर कार्यवाही की मांग

20--डा0 नरेन्द्र कुमार गौर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का दिनांक 3-12-2004 का प्रतिवेदन, राजकीय मुद्रणालयों, उ0 प्र0 के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये वेतन विसंगति से सम्बन्धित शासनादेशों की लागू तिथियों में संशोधन के सम्बन्ध में उन्हें तथा शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

इस संदर्भ में निदेशक मुद्रण एवं लेखन-सामग्री से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर उसे वित्त विभाग के परामर्श/सहमति हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की विधान सभा क्षेत्र निघासन में जंगली जानवरों द्वारा लोगों को जान से मार देने पर शासन द्वारा मृतक परिवार को मुआवजा दिये जाने की मांग

21--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जंगली जानवरों के द्वारा लोगों को जान से मार देने पर शासन द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो गत माह दिसम्बर, 2004 में जनपद लखीमपुर की विधान सभा क्षेत्र निघासन में 6 लोगों को शेर द्वारा मार दिये जाने पर मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, शासनादेश संख्या 2384/14-4-96-836/92, दिनांक 06-12-96 के प्राविधानों के अन्तर्गत आर्थिक अनुग्रह राशि (मुआवजा) का भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

माह दिसम्बर, 2004 में प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र में शेर द्वारा लोगों को हमला करके मारने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है। माह मई, जून तथा जुलाई, 2004 में उत्तरी खीरी वन प्रभाग के अन्तर्गत नरभक्षी तेन्दुआ (गुलदार) द्वारा मारे गये 6 व्यक्तियों के परिजनों को रु0 50,000.00 की दर से माह दिसम्बर, 2004 में आर्थिक अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार स्थित पशु अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया

22--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार स्थित पशु अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया जिला नियोजन विभाग में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु धन आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

जी हां।

उक्त भवन निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2005-06 की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति में रखा जायेगा।

आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के रासेपुर बाजार में नया ट्रान्सफार्मर लगाये जाने की मांग

23--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार एवं सराय मोहन में बार-बार ट्रांसफार्मर जल जाता है और वहाँ की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति वर्तमान ट्रांसफार्मर से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जगहों पर 100 हार्सपावर का ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के रासेपुर बाजार एवं सराय मोहन का ट्रांसफार्मर क्रमश 100 एवं 25 के0 वी0ए0 का क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप लगा था जिसके जलने पर एक सप्ताह के अन्दर बदल दिया गया है एवं शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

रासेपुर बाजार की क्षमता 100 से 250 एवं सराय मोहन की 25 से 63 के0वी0ए0 करने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत बनाया गया है।

राष्ट्रीय समविकास योजना की स्वीकृति के पश्चात् उपरोक्त कार्य सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा जमीरपुर में अधूरे विद्युती करण को पूर्ण कराये जाने की मांग

24--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा जमीरपुर उर्फ बुढ़नपुर में विद्युतीकरण का कार्य अधूरे हैं जिससे आधी आबादी विद्युतीकरण से वंचित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस गांव का पूर्ण विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम सभा जमीरपुर के अधूरे विद्युतीकरण के कार्य दिनांक 25-10-2004 को पूर्ण करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शीशम के वृक्षों को सूखने से बचाने के उपाय

25--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में शीशम के पेड़ सूख रहे है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार शीशम के वृक्षों को सूखने से बचाने हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

शीशम के वृक्ष सूखने के कई प्रकरणों को दृष्टिगत करते हुए वानिकी अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिक टीम के साथ वन विभाग, उत्तर प्रदेश के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक वृहद् सर्वेक्षण किया गया था। वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार शीशम वृक्ष दो प्रकार के कवक (फंगस) से ग्रसित होकर सूख रहे हैं। यह कवक मृदा के अंदर पाये जाते हैं तथा वृक्ष की जड़ों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और भोज्य पदार्थों की संवहन नलिकाओं में फैलकर उसमें रुकावट पैदा कर देते हैं जिसमें कालान्तर में सर्वत्र फैला रहता है और शीशम वृक्षों के वाह्य वातारण को प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे अधिक समय तक जल भराव, कठोर चिकनी मृदा, शीशम का एकल वृक्षारोपण, दलहनी फसल के मध्य रोपण तथा वृक्षों की कम रोपण दूरी आदि इस कवक के संक्रमण को तीव्रता से फैलाती हैं।

इस रोग के संक्रमण एवं शीशम वृक्षों को सूखने से बचाने हेतु समस्त जानकारी को संकलित कर लैब-टू-लैंड पुस्तिका संख्या-13 में प्रकाशित की गयी है। नियंत्रण के उपाय को प्रदेश

के जन मानस एवं कृषकों के लाभ हेतु वृहद प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे शीशम के वृक्षों को सूखने से बचाया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता है।

बिजली का तार टूटने के कारण फसलों में आग लगने से हुयी क्षति

26--डा0 अजय कुमार--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजली का तार टूटने के कारण खड़ी फसल में आग लगने से नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युतीय अग्निकाण्ड में फसलों को हुई क्षति के प्रकरण में पूर्ववर्ती, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा नियम निर्धारित किये गये थे जो सम्प्रति प्रभावी हैं। जिसके अनुसार सम्बन्धित जिले के तहसीलदार एवं जिलाधिकारी द्वारा क्षति का आकलन एवं संस्तुति तथा निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन की संस्तुति को आधार मानकर सम्बन्धित मुख्य क्षेत्रिय अभियन्ता (अब उप महा प्रबंधक) द्वारा अनुग्रह धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्राविधान आदेश सं0-1890 इ0ए0/राविप (औस-18)/92, दिनांक 26-9-92 एवं संख्या-4510-औस-17/राविप-98, दिनांक 25-6-98 द्वारा किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट प्रदान किये जाने की मांग

27--श्री अनिल कुमार वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि 60 वर्ष या अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों द्वारा रेलवे से यात्रा करने पर रेल किराये में छूट दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा यात्रा करने पर किराये में छूट प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसो में उन श्रेणी के व्यक्तियों को यात्रा किराये में छूट एवं नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जाती है, जिनका व्यय भार प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को की जाती है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत 60 वर्ष या अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम की बसों में वर्तमान में यात्रा करने पर किराये में छूट प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास भत्ता दिये जाने की मांग

28--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास भत्ता दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में जर्जर बिजली के खम्भों को ठीक कराये जाने की मांग

29--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में नीचे से जर्जर होकर गिरने की स्थिति में बिजली के खम्भों की जांच कराने एवं जनहित में उन्हें बदले जाने हेतु सरकार निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वाराणसी नगर के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 500 जर्जर खम्भे बदलने एवं लगभग 100 ऐसे खम्भे जो नीचे से कमजोर हो गये है, के सुदृढ़ करने का कार्य एपीडीआरपी योजनान्तर्गत स्वीकृत है, एवं इन कार्यो को कराने का कार्य प्रक्रिया में है।

कार्य स्वीकृत है। कार्य पूर्ण कराने हेतु अनुबन्ध प्रक्रिया में है और क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने एवं उनका आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण एक वर्ष के भीतर करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत धनराशि

30--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर नगर में विश्व बैंक विद्युत प्रणाली सुधार योजनान्तर्गत महाप्रबन्धक, वितरण फैजाबाद क्षेत्र, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, फैजाबाद द्वारा दिनांक 21-3-2002 तथा 9-4-2002 को तीन करोड़ पचास लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कोई निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत उक्त कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के लिए स्वीकृत राशि रु0 49.68 लाख की थी। फैजाबाद क्षेत्र के बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिलों के लिए कुल योजना 228 लाख की स्वीकृत थी।

जी नहीं। रु 24.17 लाख की योजना पर काम पूरा हो गया है जो लगभग 50 प्रतिशत है।

उक्त कार्य को संपादित कराने वाली फर्म मे0 एसटी इलेक्ट्रिकल्स ने समयबद्ध एवं पूरी सतंकता से कार्य सम्पादित नहीं कराया। अवशेष कार्य को शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा।

जिस फर्म को उक्त कार्य सौंपा गया था, ठीक प्रकार से पूरा नहीं करा सकी।

जी हां। अवशेष कार्य शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के गांव बिजरौल को बिजरौल फीडर से विद्युत आपूर्ति

31--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्रांव बिजरौल, जनपद बागपत को बिजरौल फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो कि ग्रामीण फीडर है ? यदि हां, तो क्या बिजरौल ग्राम के उपभोक्ताओं से विद्युत भुगतान शहरी दर से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

कारपोरेशन के नियमानुसार बिलिंग की जा रही है।

रेट शिड्यूल जो कि दिनांक 01-09-2003 से प्रभावी था इस शिड्यूल में जो ग्राम/टाउन जिनकी आबादी 1991 की मतगणना के अनुसार 10000 से कम है और सप्लाई ग्रामीण शिड्यूल से मिल रही थी मीटर्ड एवं अनमीटर्ड दोनों के लिए अलग शिड्यूल था जिस कारण बिजरौल की आबादी 10000 से अधिक होने के कारण अन्य श्रेणी में बिलिंग हो रही थी।

नया रेट शिड्यूल जो दिनांक 01-12-2004 से प्रभावी है इस शिड्यूल में जिन उपभेक्ताओं को ग्रामीण शिड्यूल से सप्लाई की जा रही उनके लिए अलग शिड्यूल से सप्लाई है अत: अन्य शिड्यूल होने के कारण इस ग्राम की बिलिंग ग्रामीण श्रेणी में करने की कार्यवाही माह फरवरी, 2005 में दिनांक 01-12-2004 से नये टैरिफ के अनुसार कर दी जायेगी।

32--श्री राम नरेश यादव--

[2सरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गौतम बुद्धनगर के नोयडा प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को जमीन पर कब्जा न होने पर जमा धनराशि पर ब्याज दिये जाने की मांग

33--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा प्राधिकरण में ऐसे कितने आवंटी हैं जिनको जमीन का अधिग्रहण न होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका है ? क्या सरकार उनकी जमा राशि पर ब्याज दिलाने का निर्णय लेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सेक्टर 72 में 182 ऐसे प्रकरण है जिन्हें भूअर्जन न होने के कारण कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो सका है। नोयडा प्राधिकारण द्वारा ऐसे आवंटियों को उनकी जमा धनराशि पर साधारण ब्याज दिये जाने के विषय पर नोयडा विकास प्राधिकरण को इस विषय पर अगली बोर्ड बैठक में विचार कर निर्णय लेने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया के रजईपुर विद्युत सब स्टेशन का ट्रान्सफार्मर बदल लिये जाने की मांग

34--कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रजईपुर विद्युत सब स्टेशन निकट किडिहडापुर,पो0 किडिहडापुर, जनपद बलिया से बरौली, महरी , वीवीपुर, अंवराईकंला, पनसरवा, उसकर आदि गांवों को बिजली सप्लाई की जाती है जिसका ट्रांसफार्मर दो माह पूर्व जल गया है जिससे उपरोक्त गांवों में बिजली नहीं आ रही है, जिसके कारण ग्रमीणों को सिंचाई करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त ट्रांसफार्मर कब तक बदल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लखनऊ को विभिन्न परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की गयी स्वीकृत धनराशि

35--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ हेतु किन-किन परियोजनाओं हेतु कितनी-कितनी राशि अवमुक्त की गयी है ? क्या स्वीकृत राशियों का उपयोग उन्ही मदों में व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 2002-03, 2003-04, एवं 2004-05 में विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को विभिन्न परियोजनाओं हेतु निम्नवत् राशि अवमुक्त की गयी।

(धनराशि लाख रुपये में)

परियोजना	वर्ष 2002-03	वर्ष 2003-04	वर्ष 2004-05
1--220 के0वी0 उपकेन्द्र, हरदोई रोड, लखनऊ	64.00	12.00	--
2--400 के0वी0 उपकेन्द्र, सुल्तानपुर पर स्थित माइक्रोवेव इकाई हेतु आवासीय भवन	6.00	--	--
3--132 के0वी0 उपकेन्द्र, मिल्कीपुर (फैजाबाद)	18.00	17.10	--
4--अयोध्या (फैजाबाद) में टावर्स की सुरक्षा सम्बन्धी कार्य	4.00	8.00	--
5--132 के0वी0 उपकेन्द्र, जगदीशपुर पर हैदरगढ़ शुगर मिल हेतु "बे" का निर्माण	--	6.00	--
6--400 के0वी0 उपकेन्द्र, सुल्तानपुर पर ए0एल0डी0एस0 हेतु आवासीय भवन	--	23.40	26.00
7--132 के0वी0 उपकेन्द्र, खुर्रमनगर, लखनऊ	--	17.00	12.00
8--132 के0वी0 उपकेन्द्र, मार्टिनपुरवा, लखनऊ	--	8.00	15.00
9--132 केवी0 उपकेन्द्र, अम्बेडकर नगर	--	5.00	15.00
10--अन्य विविध पूंजीगत कार्य	10.72	5.61	10.98
कुल योग	**102.72**	**102.11**	**78.98**

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की श्रीमती अनीता अग्रवाल द्वारा खरीदे गये मकान में कम रुपये के स्टाम्प पेपर लगाये जाने की जांच

36--डा0 रामबाबू हरित--

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती अनीता अग्रवाल, निवासिनी 42, जवाहर बाग दयालबाग, आगरा द्वारा खरीदे गये मकान नं0 304 पुनीत वृन्दावन संजय फ्लैट आगरा में कम रुपये के स्टाम्प पेपर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)--

जी हां।

जी हां। कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में तैनात पशु चिकित्साधिकारियों का विवरण

37--श्री रामकरन आर्य--

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में कितने पशु चिकित्साधिकारियों व अन्य कर्मचारी दस वर्षों से वहीं पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर में कोई पशु चिकित्साधिकारी 10 वर्ष से तैनात नहीं है।

01 पशुधन प्रसार अधिकारी एवं 01 पशु औषधिक तथा 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

जी नहीं।

स्थानान्तरण नीति वर्ष 2004-2005 के अन्तर्गत 10 वर्ष की समय सीमा समूह "क" एवं "ख" के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों पर ही लागू है।

जनपद वाराणसी के विद्युत वितरण प्रणाली को (ए0पी0डी0आर0पी0) योजनान्तर्गत कार्यों को पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव

38--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर की विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुधार हेतु त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए0 पी0 डी0 आर0 पी0) योजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों को पूर्ण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित है ? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए हैं ? कार्यों के प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण क्या हैं एवं सभी कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजनान्तर्गत कार्यों को प्रारम्भ होने के उपरान्त दो वर्ष के अन्दर सभी कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

कोई नहीं।

कार्यों हेतु टेण्डर फाइनल किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ही विलम्ब का कारण है। कार्यों हेतु अनुबन्ध की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अनुबन्ध फाइनल होने के उपरान्त सभी कार्य 2 वर्ष के भीतर पूर्ण करा दिये जायेंगे।

प्रदेश के निजी एवं सरकारी वाहनों पर लगे साइरन एवं विभिन्न रंगों की लाइटों के प्रयोग में अनियमितता तथा रोक

39--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में निजी एवं सरकारी वाहनों में अनियमित ढंग से साइरन एवं विभिन्न रंगों की लाइटें प्रयोग की जा रही हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस अनियमितता को रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं ? क्या परिवहन विभाग ने उक्त अनियमितता को रोकने हेतु 1 दिसम्बर, 2004 से प्रदेश भर में कोई अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

समय-समय पर विशेष चेकिंग अभियानों के साथ सामान्य चेकिंग में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

1632 वाहनों के चालान किये गये हैं।

ग्रेटर नोयडा-प्राधिकरण द्वारा संस्थागत भूखण्डों के आवंटन में की गयी अनियमितता की जांच

40--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा गत सरकार के कार्यकाल में संस्थागत भूखण्डों के आवंटन में अनियमितता की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? क्या सही पाये जाने वाले आवंटियों को इसकी सूचना दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

संस्थागत भूखण्डों के आवंटन में अनियमितता की जांच श्री विजय शंकर माथुर भूतपूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा करायी गयी जिस पर शासन द्वारा अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम शाहजहांपुर डिपो से अवकाश प्राप्त सीनियर लिपिकों के देयों के भुगतान सम्बन्धी विवरण

41--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996 में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम शाहजहांपुर से अवकाश प्राप्त सीनियर लिपिकों में से कितने लिपिकों का पी0 एफ0, ग्रेच्युटी इन्कैश्मेंट एरियर व नये वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया गया तथा कितने शेष हैं ? शेष सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

वर्ष 1996 में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, शाहजहांपुर डिपो से चार सीनियर लिपिक सेवानिवृत्त हुए थे, उक्त चारों कर्मचारियों को पी0 एफ0, ग्रेच्युटी, नकदीकरण एवं सामूहिक बीमे की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

पंचम वेतनमान के एरियर का भुगतान अवशेष है । उक्त पंचम वेतनमान के एरियर का भुगतान परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नहीं किया जा रहा है।

42--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद कानपुर देहात के विद्युत उपकेन्द्र जैनपुर में स्थापित मीटरों की हेराफेरी

43--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर देहात के 132 के0वी विद्युत उपकेन्द्र जैनपुर में स्थापित मीटरों में हेराफेरी की गयी है, जिसके कारण जनवरी, 2004 में इन मीटरों में लगभग 30 लाख यूनिट कम ऊर्जा रिकार्ड की गयी ? यदि हां, तो सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनवरी 2004 में 132 के0वी उपकेन्द्र, जैनपुर में स्थापित मीटरों के साथ की गयी गड़बड़ी ऊर्जा लेखे के अपलेखन में पकड़ी गयी। तदानुसार आंकलित ऊर्जा की मात्रा 25,39,000 (पच्चीस लाख उन्तालिस हजार) यूनिट मात्र है।

प्रथम दृष्टया जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर से अन्य मार्गों पर परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था की मांग

44--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर जिला मुख्यालय आने व जाने हेतु यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सुल्तानपुर से कूरेभार, सुल्तानपुर से गोसाईगंज, सुल्तानपुर से हनुमानगंज, सुल्तानपुर से कुड़वार एवं सुल्तानपुर से रामगंज तक सिटी बस चलाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

सुल्तानपुर जनपद के अन्तर्गत सुल्तानपुर से कूरेभार, सुल्तानपुर से गोसाईगंज, सुल्तानपुर से हनुमानगंज, सुल्तानपुर से रामगंज राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है जिन पर परिवहन निगम की बसों का संचालन हो रहा है। सुल्तानपुर से कुड़वार अराष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है, जो कि दो भागों को जोड़ता है (1) सुल्तानपुर-कुड़वार-अलीगंज एंव (2) सुल्तानपुर-कुड़वार-हुलियापुर। इन मार्गों पर क्रमशः 05 एवं 06 प्राइवेट बसों का संचालन हो रहा है। इस प्रकार जनपद सुल्तानपुर जिला मुख्यालय आने जाने हेतु यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम सतवां खुर्द, तहसील सदर निवासी खुमानीराम वर्मा को विद्युत कनेक्शन दिये जाने विषयक पत्र

45--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-11-04 जो श्री खुमानीराम वर्मा, नि0-ग्राम सतवां खुर्द, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर को 3 एकड़ भूमि को सिंचाई हेतु नलकूप के लिये विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में विद्युत प्रणाली में सुधार हेतु स्वीकृत धनराशि एवं कृत कार्यवाही का विवरण

46--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर नगर में विश्व बैंक विद्युत प्रणाली सुधार योजनान्तर्गत महाप्रबन्धक, वितरण, फैजाबाद क्षेत्र, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, फैजाबाद द्वारा दिनांक 21-3-2002 तथा 9-4-2002 को तीन करोड़ पचास लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे ? क्या उक्त कार्य पूर्ण करा लिये गये ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य को निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के लिए स्वीकृत राशि रु0 49.68 लाख की थी। फैजाबाद क्षेत्र के बहराइच, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिलों के लिए कुल योजना 228 लाख की स्वीकृत थी।

जी नहीं।

उक्त कार्य को सम्पादित कराने वाली फर्म मे0 एसटी इलेक्ट्रिकल्स से समयबद्ध एवं पूरी सतर्कता से कार्य सम्पादित नहीं कराया।

जी हां। अवशेष कार्य शीघ्र पूरा करा दिया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु बाल-श्रम अधिनियम की व्यवस्था

47--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवयस्क बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य करने से रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

जी हां।

प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू है तथा इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उ0 प्र0 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1994 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 465/86 एम0 सी0

मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य में धारित निर्णय, दिनांक 10-12-96 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम सभा-बरदनी में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल एवं जले हुये ट्रांसफार्मर को बदलवाने से सम्बन्धित पत्र

48--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0 005/दिनांक, 6-01-2005 जो ग्राम सभा-बरदनी, पोस्ट न्यायीपुर, तहसील सोरांव, जनपद इलाहाबाद में टूटे हुए विद्युत पोल एवं जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाने से सम्बन्धित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

टूटा पोल दिनांक 2-J-2005 को बदल दिया गया है। ग्राम में स्थापित क्षतिग्रस्त परिवर्तक को भी बदलवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण की मांग

49--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 स0 क्षेत्र, मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा पवनीकला में 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत है लेकिन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पवनीकला में नये 33 के0वी0ए0 उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र के वर्तमान विद्युत भार तथा भविष्य में सम्भावित विद्युत भार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय तकनीकी समिति द्वारा नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण को तकनीकी अनुमोदन दिया जाता है। यदि उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकी रूप से आवश्यक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है तब वित्तीय संसाधन की उपलब्धता तथा कार्यों की अनिवार्यता के अनुसार नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाता है।

प्रदेश के व्यापार कर विभाग में अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पेंशन निर्धारण की मांग

50--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेवानिवृत्त बिक्रीकर श्रेणी-II के अधिकारियों का शासनादेश संख्या क0नि0 3-844-11-2004-1 (41)-81, दिनांक 26 मार्च, 2004 के अनुरूप दिनांक 01-09-1979 से वेतन निर्धारित करके पेंशन का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पेंशन का निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 के अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षित होने के फलस्वरूप देय एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय न हो पाने के कारण इस संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन निर्धारण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। शासनादेश संख्या क0नि0 3-844/11-2004-1 (41)-81, दिनांक 26 मार्च, 2004 में लगे प्रतिबन्ध के समाप्त होने के उपरान्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पेंशन निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेश कुमार पाण्डेय, केशव बिहार, कल्याणपुर, लखनऊ के दुकान का विद्युत कनेक्शन काटने एवं जमानत राशि लौटाये जाने सम्बंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

51--श्री धर्मराज निषाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मदन गोपाल वर्मा, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 12-1-2005 के साथ संलग्न श्री राजेश कुमार पाण्डेय, निवासी "ए"-61, केशव विहार, कल्याणपुर, जनपद लखनऊ का प्रार्थना पत्र जिसमें दुकान का विद्युत कनेक्शन काटने एवं जमा की गयी रीडिंग से अधिक धनराशि एवं जमानत की राशि को लौटाये जाने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में व्यापार कर, केन्द्रीय बिक्रीकर एवं प्रवेश कर का निर्धारित वार्षिक लक्ष्य

52--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश को प्रवेश कर के रूप में वर्ष 2004-05 में कितने रुपये प्राप्त होने का लक्ष्य है ? यह टैक्स वर्तमान सरकार के द्वारा उसके पदारूढ़ होने के बाद किन-किन वस्तुओं पर कितने प्रतिशत आरोपित किया गया है तथा 31-12-2004 तक कितना धन इस मद में प्राप्त हो चुका है ? क्या मंत्री जी विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लाइट, डीजल आयल पर से प्रवेश कर समाप्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रवेश कर का अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। राज्य व्यापार कर, केन्द्रीय बिक्रीकर व प्रवेश कर का संयुक्त रूप से वर्ष 2004-05 के लिए रु0 8,978.76 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वर्तमान सरकार के द्वारा हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेश आयल, रेजीडुअल फ्यूल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पेट्रोलियम स्टाक्स और समस्त इनके स्वरूप, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिट्टी का तेल नहीं है। पर दिनांक 21-1-2004 से 5 प्रतिशत प्रवेश कर लागू किया गया है। वर्ष 2004-05 में दिनांक 31-12-2004 तक इस मद में रु0 756.48 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निर्माता व्यापारियों के लिये उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 4-ख में 5 प्रतिशत की रियायती दर से डीजल आयल क्रय करने की सुविधा प्रदान की गयी है। ऐसा इस कारण से किया गया है कि उ0 प्र0 के अधिकांश निर्माता प्रदेश के बाहर से फार्म सी के विरुद्ध 4 प्रतिशत की दर से दूसरे प्रान्त में कर देकर खरीद कर रहे थे जिस पर उ0 प्र0 को उन सम्व्यवहारों पर कोई कर प्राप्त नहीं हो रहा था। इसीलिए डीजल आयल पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर इस

शर्त के साथ लगा दिया गया कि लगने वाले व्यापार कर में इसका समायोजन कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्रदेश को उत्पादन इकाइयों को रियायती प्रभावी कर की दर 5 प्रतिशत पर लाइट डीजल आयल उपलब्ध हो जाता है । अत: लाइट डीजल आयल पर प्रवेश कर समाप्त किये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

जनपद शाहजहांपुर में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों का विवरण

53--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत पावर फायनेन्स कारपोरेशन से प्राप्त धन से जनपद शाहजहांपुर में कब से कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ? उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

शाहजहांपुर में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित कर ली गयी हैं तथा निविदा निर्णीत होने पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

उक्त योजना के अन्तर्गत शाहजहांपुर में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने, उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग, बिल बनाने, 5 नग नये, 33/11 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्रों, नयी 33 के0वी0 लाइनों तथा 11 के0वी0 विद्युत लाइनों का निर्माण, 93 नग नये वितरण उपकेन्द्रों, नयी एलटी लाइनों का निर्माण, 2 नग पुराने 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, जीर्णोद्धार तथा पुराने 40 वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि 120 नग पुराने वितरण उपकेन्द्रों का जीर्णोद्धार एवं पुरानी 33 के0वी0, 11 के0वी0 व एलटी लाइनों के कण्डक्टर को बदलने का कार्य प्रस्तावित है।

जनपद लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय द्वारा अनियमित कार्यों की जांच

54--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-10-04 जो अधिशासी अभियन्ता श्री मुनीन्द्र कुमार, विद्युत जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय, लखनऊ के भ्रष्ट कारनामों की सम्बन्धित विभाग से जांच कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

सन्दर्भित प्रकरण की जांच कराई गई । जांच आख्या प्राप्त हो गई है, जो कि परीक्षणार्धीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम मवैया के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध की गयी अनियमितता सम्बन्धी जांच आख्या

55--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-मवैया, खण्ड विकास हरियावां, जनपद हरदोई के ग्रामवासियों द्वारा, ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध ग्राम प्रधान द्वारा नाली, खड़ंजा का निर्माण कार्य न करवाने तथा लकड़ी की अवैध कटान कराने से सम्बंधित अन्य भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों की शिकायत जिलाधिकारी से माह मार्च-अप्रैल, 2004 में की गयी थी ? क्या जिलाधिकारी, हरदोई ने माह मई-जून, 2004 में जिला प्रशिक्षण अधिकारी, हरदोई से उक्त भ्रष्टाचार की जांच करने हेतु निर्देश दिये थे ? क्या उक्त जांच में ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

माह मार्च, 2004 में जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा जिला प्रशिक्षण अधिकारी को प्रारम्भिक जांच हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रारम्भिक जांच में ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध दोष परिलक्षित हुआ था।

उक्त जांच के आधार पर प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाकर त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया गया और जांच नियमावली के नियम-5 के अन्तर्गत प्रथम जांच अधिकारी से भिन्न जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरदोई से विस्तृत जांच कराई गयी। विस्तृत जांच में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निर्दोष पाये जाने पर प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को बहाल करते हुए गठित की गई त्रि-सदस्यीय समिति भंग कर दी गई ।

जनपद आजमगढ़ में ग्राम देवरिया में औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु उद्यमियों को आवंटित भूखण्ड का विवरण

56--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में ग्राम पंचायत, देवरिया के पास उद्योग लगाने हेतु जमीन आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर उद्योग कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री जगदीश सिंह राना)--

जी नहीं।

ग्राम देवरिया में 2.5 एकड़ भूमि पर मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापना वर्ष 1991 में की गयी है जिसमें 43 भूखण्ड विकसित किये गये हैं एवं उनमें से 11 भूखण्ड 08 उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु आवंटित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर मुख्यालय के लखनऊ-बरेली मार्ग पर नये बस स्टेशन बनाने की मांग

57--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने स्थानों पर नये बस स्टेशन का निर्माण होना प्रस्तावित है ? क्या जनपद शाहजहांपुर मुख्यालय के लखनऊ-बरेली मार्ग पर नये बस अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

वर्तमान में 03 नये बस स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

जी नहीं।

शाहजहांपुर में परिवहन निगम का बस स्टेशन पूर्व से ही स्थापित हैं। अतः नये बस स्टेशन के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विद्युतीकृत व अविद्युतीकृत गांवों का विवरण

58--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में कितनी ग्राम सभाओं के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा कितनी ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो सका है ? क्या सरकार उक्त जनपद की सभी ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बांदा के कुल 635 ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा 147 ग्रामों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो सका है। अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची ग्राम सभावार संकलित न कर ब्लाकवार संकलित की जाती है।

जी हां।

शेष अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण की कार्य योजना केन्द्र सरकार एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा संचालित त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड विसंडा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

59--श्री बाबू लाल कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड विसंडा, जनपद बांदा में कोई विद्युत उपकेन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विकास खण्ड विसंडा में कोई विद्युत उपकेन्द्र नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा रसूलपुर में ग्राम प्रधान द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच

60--श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम विशुन आजाद, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 7-1-05 जो ग्राम सभा रसूलपुर बेलही, ब्लाक पडरौना, जिला कुशीनगर के ग्राम प्रधान द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में अंकित आरोपों की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत् पारेषण खण्ड-द्वितीय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

61--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनीन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् जनपद पारेषण खण्ड-द्वितीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को स्थान्तरित करने का

आदेश अगस्त, 2004 में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के वि0 स0 क्षेत्र टाण्डा के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

62--श्री लालजी वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम शादीपुर, एकडम्बी बरही, एदिलपुर बदरुद्दीनपुर, डिहवा भारी इडौहा आदि ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये वर्ष 2001-02 में विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर एवं विद्युत तार उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों में पड़े हुये विद्युत पोलों को लगवाकर विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, उपरोक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु आंशिक सामग्री ही उपलब्ध हो पायी थी।

ग्राम शादीपुर दिनांक 25-11-03 को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

ग्राम एकडम्बी, बरही, एदिलपुर के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र विद्युतीकृत कर दिया जायेगा।

ग्राम बदरुद्दीनपुर एवं डिहवा भारी इडौहा के लिये समस्त सामग्री उपलब्ध हो चुका है। विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र विद्युतीकरण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ वि0 स0 क्षेत्र सदर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की तैनाती की मांग

63--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत स्थित पशु चिकित्सालयों में डाक्टर तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत स्थित 11 पशु चिकित्सालयों के सापेक्ष 05 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्साधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 को पशु चिकित्साधिकारियों के चयन के संबंध में अभियाचन प्रेषित किया गया है। चयनोपरान्त विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत रिक्त पशु चिकित्सालयों पर तैनाती कर दी जायेगी।

जनपद देवरिया के ग्राम पंचायत अहरौली बघेल में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता की जांच

64--श्री भूपेन्द्र सिंह--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न-29 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि अली अहमद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अहिरौली बघेल, जनपद देवरिया के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच उसी सहायक विकास अधिकारी (प्रा0) देवरिया से करायी गयी है जो स्वयं इसमें दोषी एवं संलिप्त है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी को 18-4-2004 को स्थानान्तरित दिखाने के बावजूद दिसम्बर, 2004 तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी को जनपद से बाहर स्थानान्तरण करके किसी उच्च स्तरीय अधिकारी के वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी नहीं, शिकायती पत्रों में कहीं पर भी सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा0), देवरिया के भी कथित अनियमितता में संलिप्त होने का उल्लेख नहीं है तथा जांच से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी है।

जी हां। वर्तमान में कार्यमुक्त कर दिया गया है।

चूंकि जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी इसलिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जनपद से बाहर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार नहीं हुआ। आरोपों की पुन: जिला स्तरीय अधिकारी से जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखनऊ ब्लाक मलिहाबाद, गांव किठाईपारा के रामनाथ यादव के नलकूप के लिये स्थापित विद्युत् ट्रान्सफार्मर हटाये जाने विषयक जांच

65--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के ब्लाक मलिहाबाद के गांव किठाईपारा के रामनाथ यादव के नलकूप के लिये स्थापित विद्युत् ट्रान्सफार्मर को हटाकर श्री श्याम नारायण पाण्डेय के नलकूप के पास रखने के संबंध में दिनांक 10-1-05 को महाप्रबन्धक, विद्युत् विभाग, उ0 प्र0 व अन्य अधिकारियों को लिखित शिकायत जगदीश पुत्र श्री राम दुलारे यादव द्वारा की गयी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उक्त ट्रान्सफार्मर को पुन: उसी स्थान पर लगा कर विद्युत् आपूर्ति दिनांक 19-1-2005 को बहाल कर दी गयी।

प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच प्रतीक्षित है। जांचोपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के वि0 खं0 माल के गांव नवीपनाह भट्टा में विद्युत् लाइनों के विस्तारीकरण कार्य की मांग

66--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के वि0 खं0 माल के गांव नवीपनाह भट्टा के विद्युतीकरण कराने के लिये दिनांक 16-7-04 को स्टीमेट के आधार पर 33393

रुपये अवमुक्त धनराशि से विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पूर्व से ही ग्राम विद्युतीकृत है, उक्त ग्राम की लाइनों का विस्तारीकरण हेतु रुपये 33303.00 विधायक निधि से प्राप्त हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

लाइनों के विस्तारीकरण हेतु सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।

विद्युतीकरण का कार्य पूर्व में ही पूर्ण है। विस्तारीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करा दि जायेगा।

यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 के अन्तर्गत भ्रष्टाचार एवं विद्युत् चोरी के सम्बन्ध में पत्र

67--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय बिजली अदालत ने अपने पत्र संख्या-31/आरएसबीए/पीआईएल, दिनांक 25-2-03 जो भ्रष्टाचार एवं विद्युत् चोरी के संबंध में था, अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पी0सी0एल0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्रे की जा रही है।

प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रिक्त पदों पर पूर्व से कार्यरत अतिथि वक्ताओं को विनियमित किये जाने की मांग

68--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रिक्त पदों पर पूर्व से कार्यरत अतिथि वक्ताओं को विनियमित करने तथा विगत बीस माह से लम्बित इनके वेतन दिलाये जाने के लिये सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

रिट याचिका संख्या-6565/2001 कल्याण राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अतिथि वक्ताओं को अनुदेशको के रिक्त पदों पर विनियमित करने का कोई प्राविधान एवं औचित्य नहीं है। अत: अतिथि वक्ताओं को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतिथिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, जबकि अतिथि वक्ताओं को तैनात करके प्रशिक्षण कार्य कराये जाने की योजना दिनांक 30-6-2002 को समाप्त हो चुकी है। अतिथि वक्ताओं के मानदेय भुगतान हेतु निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से प्राप्त मांग के आधार पर शासनादेश संख्या-1948/36-6-04-32 (पी)/2004, दिनांक 20-8-04 द्वारा रु0 144.16 लाख (एक करोड़ चौवालिस लाख सोलह हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान कर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को दिनांक 8-11-04 को आवंटित किया जा चुका है।

जनपद देवरिया के बैकुण्ठपुर से गोरखपुर तक परिवहन सुविधा प्रदान किये जाने विषयक-पत्र

69--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-देवरिया के बैकुण्ठपुर से गोरखपुर तक परिवहन सुविधा प्रदान किये जाने विषयक मुख्य मंत्री का पत्रांक-ई-45/सी0एम0-2/04, दिनांक

9-1-04 प्रमुख सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण कराया गया। देवरिया से सठियाव 27 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। जिसमें देवरिया से नूनखार तक 20 कि0मी0 तक भाग राष्ट्रीयकृत है और इस पर निगम की बस संचालित है। नूनखार से सठियांव तक 07 कि0मी0 तक भाग अराष्ट्रीयकृत है। नूनखार से बैकुण्ठपुर तक सड़क में जगह-जगह गड्ढे हैं और बैकुण्ठपुर से सठियांव खड़ंजायुक्त है। मार्ग सकरा एवं बस घुमाने की जगह नहीं है। अतएव वर्तमान में उक्त मार्ग संचालन योग्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में करसड़ा स्थित बुनकर कालोनी के आवासों के निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि

70--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में करसड़ा स्थित बुनकर कालोनी में सभी सुविधाओं से युक्त 500 आवासों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यूपिका को वर्ष 1995 में 391.56 लाख रुपये अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या सभी आवास पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सम्पूर्ण धन को ब्याज सहित यूपिका को वसूली की नोटिस जारी की गयी है ? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये सम्पूर्ण धनराशि को मय ब्याज सहित वसूल करेगी ? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश सिंह राना--

वर्ष 1994-95 में यूपिका को वाराणसी में आवास कार्यशाला योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया था तथा प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा रु0 140.00 लाख अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम एवं उ0 प्र0 समाज कल्याण निगम को क्रमशः 1040 व 460 भवनों के निर्माण का कार्यादेश दिया गया था। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से भवन निर्माण हेतु उपलब्ध जमीन जो काफी खराब स्थिति में थी, उसके समतलीकरण कराने व सीवर, ड्रेन आदि का निर्माण पूर्ण कराने के बाद बची धनराशि में से 72 भवनों का निर्माण पूर्ण करा कर उन्हें लाभार्थी बुनकरों को आवंटित किया जा चुका है। 88 आवास प्लिन्थ से सील लेबिल तक निर्मित हो चुके हैं तथा 80 आवास की नींव की खुदाई कर नींव का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। परन्तु भारत सरकार रु0 14,000 प्रति आवास कार्यशाला के निर्माण में व्यय हुयी धनराशि के वित्त पोषण से सहमत है।

प्रश्नगत प्रकरण में निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् में घोटाले से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

71--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 16-12-2004 जो पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् में हुये अरबों रुपये के घोटाले के प्रकरण में था, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

शक्ति भवन लखनऊमें चलायी जा रही कैन्टीन में हुयी क्षति के भरपाई हेतु श्री मिथिलेश नारायण सदस्य विधान परिषद् का शिकायती-पत्र

72--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत श्री मिथिलेश नारायण, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 31-3-2004 जो कि शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार में चलाई जा रही कैन्टीन में दोहरा मापदण्ड अपनाने एवं 32 लाख की क्षति की भरपाई के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव अध्यक्ष, सह प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

माननीय मिथिलेश नारायण, सदस्य विधान परिषद् के संदर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में महाप्रबन्धक (जनपद) वितरण द्वारा जांच करायी गयी। जांच में कोई शिकायत युक्ति संगत नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

शक्ति भवन लखनऊ में अवैध पदों के सृजन एवं भत्ते आदि संबंधी शिकायती-पत्र पर जांच की मांग

73--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, पूर्व एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 20-11-2001 जो पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् के शक्ति भवन, लखनऊ को उ0 प्र0 शासन के समान्तर सचिवालय घोषित कर अवैध पदों के सृजन एवं भत्ते आदि स्वीकृत कर अरबों की क्षति विषयक था, मा0 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उठाये गये सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

किसी प्रकार की अनियमितता अथवा क्षति संबंधी कोई विशिष्ट बिन्दु न होने के कारण जांच का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम कार्यालय, वाराणसी के लिपिक के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

74--**श्री** श्याम देव राय चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम कार्यालय, वाराणसी के लिपिक द्वारा वर्षों से विद्युत् बिलों का भुगतान सरकारी कोष में जमा न करने का प्रकरण प्रकाश में आया है और उनके विरुद्ध अपराधिक मुकदमा दिसम्बर, 04 में पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है और दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उपभोक्ताओं के विद्युत् बिल का चेक अनादृत होने पर नगद धनराशि जमा कराये जाने का प्राविधान

75--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् बिल का चेक अनादृत होने के उपरान्त उस उपभोक्ता से कितनी अवधि तक चेक से भुगतान लेना प्रतिबन्धित है ? क्या विद्युत् वितरण खण्ड कानपुर देहात के 1000 के0वी0ए0 से बड़े उपभोक्ताओं के बड़ी धनराशि के चेक 1-3-2003 से 15-4-2004 की अवधि में अनादृत हुये हैं ? यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा विभाग में चेक जमा करने की तिथि, विभाग द्वारा बैंक में जमा करने की तिथि अनादृत होने की तिथि तथा चेक की धनराशि का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

किसी वित्तीय वर्ष में किसी उपभोक्ता का चेक अनादृत होने के दो उदाहरण घटित होने पर उपभोक्ता को अगले वित्तीय वर्ष तक सभी भुगतान नगद करने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के विरुद्ध निगोसियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट अधिनियम की धारा 138 तथा 142 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

जी हां, उपभोक्ताओं से सरचार्ज सहित पूरी धनराशि वसूल ली गयी है। निगम की इसमें कोई वित्तीय हानि नहीं है।

विवरण *संलग्न है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में विद्युत् सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग

76--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद-आजमगढ़ में विद्युत् सप्लाई 18--20 घंटे सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्य योजना बनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत् की उपलब्धता में कमी होने के कारण संभव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण किये जाने की योजना

77--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत किन-किन गांवों का विद्युतीकरण अब तक नहीं हो पाया है ? वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त गांवों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा तथा शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत कुल 1940 गांवों का विद्युतीकरण अब तक नहीं हो पाया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में वर्ष 2003-04 में मा0 विधान सभा/परिषद् सदस्यों द्वारा संस्तुत ग्रामों के विद्युतीकरण की कार्यवाही की जा रही है एवं अब तक संस्तुत 61 ग्रामों का विद्युतीकरण करा

(*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 106 पर)

दिया गया है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना केन्द्र सरकार/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा संचालित त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में नगर पंचायत हरिहरपुर से परिवहन निगम की बसों के संचालन में अनियमितता

78--श्री धर्मराज निषाद--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में स्थित आदर्श टाउन एरिया व नगर पंचायत हरिहरपुर से हरिहरपुर-लखनऊ, हरिहरपुर-गोरखपुर, हरिहरपुर-बस्ती के लिये परिवहन निगम की बसें निर्धारित समय पर प्रतिदिन नहीं चलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बसों को समय पर प्रतिदिन संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी हां।

क्षेत्रीय/डिपो स्तर पर पर्यवेक्षकीय शिथिलता के कारण संचालन अनियमित रहा।

नियमित व समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

उपरोक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत् सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं को अन्य अभियन्ताओं के बराबर वेतनमान दिये जाने की मांग

79--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार के अधीन अवर अभियन्ताओं का वेतनमान दिनांक 1-1-2001 से 5000-150-8000 किया जा चुका है परन्तु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं को वेतनमान 4500-125-7000 दिया जा रहा है ? क्या सरकार विद्युत् सुरक्षा निदेशालय के अवर अभियन्ताओं को अन्य अवर अभियन्ताओं के बराबर वेतनमान देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की परिवहन नीति में परिवर्तन करने पर विचार

80--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की परिवहन नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा इसको कब तक लागू किया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान में लालबत्ती की गाड़ी किन-किन को अनुमन्य है ? क्या मंत्री जी गाड़ियों पर लाल बत्ती के दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में निम्न महानुभाव की गाड़ी पर लाल बत्ती अनुमन्य है--

(1) महामहिम राज्यपाल,
(2) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री,
(3) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति,
(4) उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष,
(5) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति,
(6) लोकायुक्त,
(7) उत्तर प्रदेश में मंत्रीगण,
(8) नेता विरोधी दल (विधान परिषद्/विधान सभा),
(9) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशगण, जो पूर्णकालिक रूप से पुनर्नियोजित हों,
(10) विधान परिषद् के उप सभापति,
(11) विधान सभा के उपाध्यक्ष,
(12) उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री, उप मंत्री,
(13) राज मंत्री का दर्जा प्राप्त निगमों/समितियों के अध्यक्ष/विधान मण्डल की विभिन्न समितियों के सभापति गण,
(14) अध्यक्ष, जिला परिषद् (अपने क्षेत्र में),
(15) नगर प्रमुख, नगर निगम (अपने क्षेत्र में),
(16) मुख्य सचिव,
(17) अध्यक्ष, राजस्व परिषद् एवं प्रशासनिक सदस्यगण,
(18) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश,
(19) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग,
(20) राज्य निर्वाचन आयुक्त,
(21) जिला न्यायाधीश और उनके समतुल्य उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य अधिकारीगण।

जी हां।

गाड़ियों पर लाल बत्ती के दुरुपयोग को रोकने के लिये विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है। लाल/नीली बत्ती के अनधिकृत प्रयोग को रोकने हेतु नियमित चेकिंग के अतिरिक्त दिनांक 1-12-2004 से 15-12-2004 तक एवं दिनांक 21-12-2004 से 31-12-2004 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कुल 148 वाहनों से लाल/नीली बत्तियां उतारी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के ए0पी0डी0 आर0पी0 कार्यक्रम में करोड़ों रुपये के गबन की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने विषयक पत्र

81--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत ए0पी0डी0 आर0पी0 कार्यक्रम में करोड़ों रुपये के गबन की सी0बी0आई0 जांच कराने विषयक मा0 मिथिलेश नारायण, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 25-3-2004 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0प्र0

शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

निदेशक (वितरण) के माध्यम से जांच करायी गयी। जांच में पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 द्वारा तैयार की गयी परियोजना रिपोर्टों में इंगित त्रुटियों की प्रकृति साधारण पायी गयी। विभाग द्वारा समस्त त्रुटियों का निवारण करने के उपरान्त ही कारपोरेशन के नियम व शर्तों के अनुसार सभी क्रय पारदर्शी प्रक्रिया से पूरी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ के मांग-पत्र पर कृत कार्यवाही

82--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों की समस्याओं से सम्बन्धित उ0 प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ का मांग पत्र संख्या 2710/उ0प्र0ता0वि0म0सं0/2003, दिनांक 27-10-03 उ0 प्र0 शासन एवं उत्पादन निगम, प्रबंधन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उ0प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ का मांग पत्र दिनांक 27-10-2003 में 50 से अधिक मांगें उठायी गयी थी और उक्त पत्र के अन्त में मांगों का निराकरण द्वि पक्षीय वार्ता द्वारा न किये जाने पर धरना एवं आम सभा इत्यादि करने की धमकी दी गयी थी। संघ के साथ दिनांक 22-11-2003 को वार्ता में उनकी स्थिति स्पष्ट करके मांगों पर यथा संभव कार्यवाही की गयी। संघ के साथ हाल ही में पुन: 4-2-2005 को निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर वार्ता की गयी है। मजदूर संघों द्वारा इस प्रकार के ज्ञापन दिया जाना एक अविरल प्रक्रिया है जिनके निराकरण हेतु यथा संभव कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के मौरावां उन्नाव मार्ग पर गत दो वर्षों से बन्द रोडवेज की बसों के संचालन की मांग

83--श्री कौशल किशोर--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में मौरावां उन्नाव मार्ग पर संचालित रोडवेज बसों को गत दो वर्षों से बन्द कर दिया गया है जिससे आवागमन में नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुन: उक्त बसों को संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

जी नहीं। मौरावां-उन्नाव मार्ग पर रोडवेज की बसें संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तवत्।

उपरोक्तवत्।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम के कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते का लेजर कार्ड्स गायब होने के संबंध में पत्र

84--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 कारपोरेशन लि0 उ0प्र0ज0वि0नि0 के अन्तर्गत कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से हस्तान्तरण विषयक उप मुख्य लेखाधिकारी (पारेषण मध्य), यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ का पत्र संख्या 957/उ0मु0ले0 (पा0म0)/दिनांक10-9-2004 जो कि महाप्रबंधक (कार्मिक प्रशासन) उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को संबोधित है, का लेजर कार्ड्स वर्ष 1981 से 1986 का गायब होने के संबंध में मा0 लल्लू सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 13-3-2004 जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यू0पी0पी0 सी0एल0 को संबोधित है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ईशारी सलेमपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र की स्वीकृति

85--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में ईशारी सलेमपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसे कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सिविल कार्य प्रगति पर है। सिविल कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्ट्रक्चर का कार्य तथा अन्य कार्य कराया जायेगा। उपकेन्द्र निर्माण शीघ्र पूर्ण होना संभावित है।

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में रिक्त निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति की मांग

86--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में निदेशक का पद रिक्त है ? क्या सरकार निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद के पद पर श्री जी0एस0 सेठी कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

87--[2सरे गुरुवार के अता0प्र0स0-130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद गोरखपुर में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने की मांग

88--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में कुल कितने उपभोक्ताओं के भवन में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये गये हैं ? क्या सरकार शेष लोगों के भवनों में भी इलेक्ट्रानिक मीटर लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

गोरखपुर जनपद में माह 1/2005 तक कुल 75157 उपभोक्ताओं के भवन में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

89--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0सं0 147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद बाराबंकी के रामनगर विधान सभा क्षेत्र के गांव भीरापुरवा के विद्युतीकरण किये जाने की मांग

90--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के "रामनगर" विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मजरे मलौली के 4 गांव डेदुआ, भीरापुरवा, फतेहपुरवा और मलौली में से 3 गांवों डेदुआ, फतहपुरवा और मलौली में बिजली है परन्तु भीरापुरवा में अभी तक बिजली नहीं है ? क्या सरकार डेदुआ गांव से भीरापुरवा से 500 मीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में अविलम्ब बिजली की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

मीरपुरवा गांव मलौली का एक पुरवा है और मुख्य राजस्व ग्रामों के पुरवों के विद्युतीकरण की कोई योजना फिलहाल प्रचलित नहीं है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अधीन पारेषण खण्डों में फर्जी भुगतान एवं कमीशन खोरी के विरुद्ध जांच का प्रकरण

91--श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधीन पारेषण खण्डों में फर्जी भुगतान एवं कमीशन खोरी की सी0बी0आई0 जांच सम्बन्धी श्री मिथिलेश नारायण का पत्र दिनांक 15 मार्च, 2004 जो कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण में जांच कार्यवाही कारपोरेशन स्तर पर प्रचलित है। श्री राम सिंह, अधिशासी अभि0 (निलम्बित) को अनुशासनिक जांच के प्रचलित रहते दिनांक 21-5-2004 को सेवा में पुनर्स्थापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत चेकर्ड प्लेट घोटाले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

92--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान की जांच संख्या 141/2000 चेकर्ड प्लेट घोटाला में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा घोटाले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान की जांच सं0 141/2000 चेकर्ड प्लेट घोटाला में निम्न अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी :--

सर्वश्री

1--उपेन्द्र कुमार सिंह, तत्का0 उपमुख्य लेखाधिकारी (से0नि0)

2--गुरुदेव सिंह, तत्का0 अधीक्षण अभि0 (से0नि0)

3--यदुनाथ, तत्का0 खण्डीय लेखाकार (से0नि0)

4--सुरेन्द्र कुमार जैन, तत्का0 अधि0अभि0 सम्प्रति उपमहाप्रबंधक।

5--रघुनन्दन लाल, तत्कालीन सहा0 अभि0 सम्प्रति अधि0 अभियन्ता।

6--राजेन्द्र अवस्थी, अवर अभियन्ता।

7--सत्येन्द्र बहादुर श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता।

सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति के क्रम में घोटाले में लिप्त अधिकारियों जिसमें श्री अवधेश मणि त्रिपाठी, तत्कालीन संयुक्त सचिव (कार्य) भी शामिल हैं, के विरुद्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित सामाजिक वानिकी योजना

93--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में मेहनगर जिगनी, पल्हना मार्ग के किनारे वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ में मेहनगर जिगनी, पल्हना मार्ग पर सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में अग्रिम मृदा कार्य तथा वर्ष 2005-06 में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2004-05 में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष निर्धारित धनराशि अवमुक्त होते ही प्रश्नगत कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ से जयनगर तक पूर्व संचालित बस सेवा को पुन: संचालित किये जाने की मांग

94--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ से जयनगर तक संचालित बस सेवा को वर्तमान समय में बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस सेवा पुन: संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

प्रश्नगत सेवा दिसम्बर, 1998 में कम आय आने के कारण बन्द कर दी गयी थी। अब इसे पुन: संचालित कर दिया गया है।

उपरोक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 में हुये घोटाले की राज्य सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही

95--श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 में हुए करोड़ों के घोटाले विषयक महामंत्री उ0 प्र0 विद्युत मजदूर महासंघ का पत्र दिनांक 14-5-2004 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0प्र0 एवं अध्यक्ष, सह प्रबंधक निदेशक, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य सतर्कता अधिष्ठान की जांचाख्या संख्या 140/2000, 141/2000 तथा 142/2000 में की गई संस्तुतिनुसार कारपोरेशन/शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

केवल दोषमुक्त अथवा आरोप-पत्र जारी न होने की स्थिति में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के कतिपय ग्रामों को विद्युतीकरण किये जाने की मांग

96--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के ग्राम राघवपुर को अम्बेडकर ग्राम घोषित होने के उपरान्त अभी तक ग्राम सभा राघवपुर के अन्तर्गत आने वाला देवीखेड़ा, गंगागंज, मिश्रन का पुरवा, ठाकुर खेड़ा आदि गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

शेष ग्रामों का किसी भी योजना में चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

किसी योजना में चयनित होने पर ही विद्युतीकरण कराया जाना संभव होगा।

उपरोक्तानुसार।

97--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वाराणसी नगर के प्रह्लाद घाट तिराहे पर अधिष्ठापित नलकूप का ऊर्जीकरण किये जाने की मांग

98--श्री श्याम देव राय चौधरी--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-37 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवशेष कार्य के क्रियान्वयन हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0 115717/2004, दि0 27-12-2004 प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वाराणसी नगर के प्रह्लाद घाट तिराहे पर सन् 2002 में अधिष्ठापित नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु रुपये 215995.00 का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता जलनिगम (षष्टम), वाराणसी को उपलब्ध कराया गया था परन्तु प्राक्कलन धनराशि जमा न किये जाने के कारण नलकूप का ऊर्जीकरण नहीं हो सका है।

महाप्रबंधक जल संस्थान भेलूपुर, वाराणसी को उक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु पुन: अनुरोध किया गया है।

जल संस्थान वाराणसी द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त प्रह्लाद घाट तिराहे पर अधिष्ठापित नलकूप का ऊर्जीकरण कर दिया जायेगा।

प्रमुख सचिव, ऊर्जा उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय में बाहरी कर्मचारी तैनात किये जाने से गोपनीयता भंग करने संबंधी पत्र

99--श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय में बाहरी कर्मचारी तैनात किये जाने के कारण गोपनीयता भंग करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 27-12-04 को सचिव, ऊर्जा को जांच कराने हेतु एक पत्र भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के आशुलेखक श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी को निदेशालय में वापस कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम खण्डौरा के विद्युत लाइन को डबल फेज कराने की स्वीकृति

100--श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम शरण दास, सदस्य, विधान परिषद् का पत्रांक 4014, दिनांक 20-7-04 प0 सं0 5738, दिनांक 14-9-2004 तथा पत्र सं0 14093, दिनांक 8-12-2004 जो कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को संलग्नकों सहित प्रेषित है, गांव खण्डौरा, विकास खण्ड पवई, जनपद आजमगढ़ में विद्युत लाइन डबल फेज कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को कराये जाने हेतु राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अन्तर्गत अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर में कथित बस स्टेशन पर टिकट काउन्टर खोले जाने एवं यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था किये जाने की मांग

101--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में तहसील सिकन्दरपुर में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा टिकट काउन्टर तथा यात्रियों को बैठने ठहरने की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

सिकन्दरपुर में कोई बस स्टेशन न होने के कारण टिकट काउन्टर अथवा यात्रियों के ठहरने व बैठने की व्यवस्था करना विचारणीय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के बाल श्रमिक विद्यालय में अनियमितता

102--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि खुर्जा जनपद बुलन्दशहर में बाल श्रमिक विद्यालय सुचारु रूप से संचालित नहीं किये जा रहे हैं ? क्या उन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह--

खुर्जा, जनपद बुलंदशहर में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे विद्यालयों में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर, इन विद्यालयों एवं संचालित करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति द्वारा अधिकारियों की तीन सदस्यीय दल के द्वारा करायी गयी। जांचोपरान्त अनियमितता की शिकायत सही पाये जाने पर श्री अनिल कुमार गर्ग के द्वारा संचालित तीन स्वैच्छिक संस्थाओं को काली सूची में डालते हुए उनसे बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालन का कार्य वापस ले लिया गया है।

वर्तमान में 40 में से 35 बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालन का कार्य सीधे बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति, बुलन्दशहर के द्वारा किया जा रहा है तथा समस्त 40 विद्यालय परियोजना के मानक के अनुरूप सुचारु रूप से संचालित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण

103--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिला योजना वर्ष 2003-04 के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित विकास खण्ड कुड़वार के सरैया पर विसेन, नरही, उपाध्यायपुर, तिरछे, गांवों तथा विकास खण्ड दूबेपुर इमीलिया खुर्द बसौड़ी गांवों को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितने उपभोक्ताओं को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मा0 विधायक द्वारा वर्ष 2003-2004 में चयनित विकास खण्ड कुड़वार के नरई, उपाध्यायपुर, तिरछे एवं विकास खण्ड दूबेपुर में इमिलिया खुर्द बसौड़ी तथा ग्राम पूरे बिसेन को विद्युतीकरण किया जा चुका है।

उपरोक्त ग्रामों में क्रमशः 6, 7, 5 एवं 4 उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है। ग्राम सरैया बिसेन में अभी तक कोई संयोजन नहीं दिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत ऊँचागांव तहसील सदर, सुल्तानपुर द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध जांच

104--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत ऊंचागांव, विकास खण्ड कुड़वार, तहसील सदर, सुल्तानपुर द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के बारे में वर्ष 2003 में जिला अर्थ संख्या अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा जांच की गयी ? जांच में लगभग 6 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी है ? क्या यह सही है कि उक्त जांच में ग्राम प्रधान बहुउद्देशीय कर्मी एवं पूर्व ग्राम प्रधान दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत जांच में मात्र ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को दोषी पाया गया है।

उक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतम बुद्ध नगर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग

105--श्री नवाब सिंह नागर--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अवरुद्ध है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय पर निर्माण की अग्रिम कार्यवाही जांच की परिधि में होने के कारण वर्तमान में स्थगित है।

जांच आख्या प्राप्त हो गई है और उस पर विचारोपरान्त अग्रिम कार्यवाही के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

आज की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-3 को निरस्त किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, क्रमांक तीन पर जो आज की कार्य सूची है उसमें मेरा प्रश्न स्वीकृत था। लोकमहत्व का प्रश्न था। प्रदेश की ऊर्जा के संबंध में था। आपके सामने प्रश्न होगा। यह था कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को ऊर्जा संकट से उबारने के लिए कोई ऊर्जा नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश में कितनी विद्युत

की आवश्यकता है ? कितना उत्पादन हो रहा है विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं। प्रात:काल मुझे एजेन्डा मिलता है कि विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त करते हैं। मान्यवर, 19 नवम्बर को इसी प्रश्न को स्वीकार करते हैं उत्तर मिलता है तो एक बार उत्तर दिया जाता है और दूसरी बार विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त किया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे अगले शुक्रवार की कार्यसूची के लिए निर्धारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष--

दिखवा लेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

19 नवम्बर का कह रहे हैं कि उत्तरित प्रश्न हो रहा है तो कोई भी प्रश्न दुबारा नहीं पूछा जा सकता है। आप जो पूछ रहे हैं, उसका उत्तर तो आ गया था कि कितना उत्पादन है, कितनी डिमान्ड है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस प्रश्न को अगले शुक्रवार को ले लें।

श्री अध्यक्ष--

हम दिखवा लेंगे, अगर वाजिब होगा।

विधान सभा की मुख्य द्वार की सड़क पर वाहनों के तेज आवागमन से सत्र काल में आने वाली कठिनाई के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखदेव राजभर--

माननीय अध्यक्ष जी, जब सत्र आहूत होता है तो मुख्य द्वार खोल दिया जाता है और हमारे माननीय विधायक मुख्य द्वार से विधान सभा में आते हैं। इस मेन गेट के सामने वाली सड़क पर मैक्सी कैब गाड़ियां इतनी तेजी से निकलती हैं कि किसी भी माननीय विधायक को अन्दर आने में आधे घंटे, एक घंटे तक लग जाता है। कल जब मैं आ रहा था, मेरे एक साथी भी हमारे साथ थे, यदि उनकी बांह पकड़ कर खींच न ली होती तो मैक्सी कैब ऊपर ही चढ़ जाती। इसमें आप कोई व्यवस्था करा दें अन्यथा कभी भी कोई दुर्घटना हो जायेगी। वहां पर स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए या सत्र के समय पर ट्रैफिक पुलिस की उचित व्यवस्था करायी जाए। जो ट्रैफिक पुलिस के लोग वहां होते भी हैं वह भी किनारे खड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में हम एस0एस0पी0 को बुलायेंगे और वार्ता करके बता देंगे कि क्या किया जाएगा।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, आज की कार्य सूची में प्रश्न संख्या 35 और 61 पर मेरे प्रश्न लगे हैं, इन दोनों का सरकार की ओर से जो उत्तर आया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, अगर उत्तर त्रुटिपूर्ण आया है तो नियमों में व्यवस्था है, आप लिखकर दे दीजिए।

बाल सुधार गृह, काकोरी, लखनऊ से बच्चों के भागने के संबंध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, विशेष उल्लेख के जरिये मैं कहना चाहता हूं। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, लखनऊ के काकोरी थाने के अन्तर्गत एक बाल सुधार गृह से 32-33 बच्चे दीवार में सेंध लगाकर भाग गए हैं। मेरी चिन्ता यह नहीं है कि इसके लिए कौन दोषी और कौन दोषी नहीं है, मेरी चिन्ता यह है कि जो यह 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे भाग गए है, यह बच्चे कहां हैं और किस हालत में हैं या किसी खतरनाक गैंग के हाथ में तो नहीं पड़ गए। मैं सिर्फ सरकार से यह चाहता हूं कि सदन उठने के पहले इस सदन को सूचना दे दें कि वह बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं ? वह अगुवा कर लिए गए हैं या अपनी मर्जी से भागे हैं ? यदि वह अपनी मर्जी से भागे हैं तो उसमें से कितने वापस आ गए हैं ? मान्यवर, 33 मासूम बच्चों का इस तरह भाग जाना और लखनऊ में उनका मिलना किसी गम्भीर घटना की ओर संकेत करता है। आपसे आग्रह है कि सरकार 5 बजे तक बता दे कि उनकी स्थिति क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने इस विषय को जिस व्यवस्था के अन्तर्गत उठाया है, नियमों में तो है नहीं। चूंकि मानवीय प्रश्न है, हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहेंगे कि वह इस बारे में दिखवा लें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। एक बात कहना चाहता हूं कि 301 की संख्या इसलिए बढ़ायी गई कि माननीय विधायकगण अपने लोक महत्व के प्रश्नों को यहां दें। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसकी संख्या 15 तक नहीं पहुंच पा रही है और इसके बजाय वह नियम 56 और अन्य नियमों में देते हैं, जब कि 301 में देना चाहिए। आज इसमें कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, एक वर्ष पहले की सूचना आज तक नहीं आ पाई है। नियमों में प्राविधान है, विधायक प्रतीक्षा करके थक जाता है, लेकिन उत्तर नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैंने कल व्यवस्था दी है, जिनके उत्तर नहीं आये हैं, उनके प्रमुख सचिवों को बुलाकर संसदीय कार्य मंत्री के साथ विचार करेंगे कि क्या यह विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला बनता है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपने नियम 301 में ली जाने वाली सूचनाओं की संख्या बढ़ाकर 7 से 15 कर दी। तो इसमें मेरा निवेदन है कि सोमवार से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक सप्ताह में नियम 301 के अन्तर्गत प्रत्येक माननीय सैदस्य की दो सूचनाएं ली जाएं तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 18 फरवरी, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना, श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के निचली गंगा नहर प्रखण्ड में स्वीकृत 1300 क्यूसेक पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है (पढ़ी हुई मानी

गयी), दूसरी सूचना श्री दया राम की (उपस्थित नहीं है), तीसरी सूचना, श्री श्याम देव राय चौधरी की सुचारु जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के लिए पम्पिंग स्टेशनों की विद्युत आपूर्ति को सेपरेट करने के संबंध में है (पढ़ी गयी), चौथी सूचना, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर (गाजीपुर जनपद) में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी डा0 अजय अग्रवाल के अपहर्ताओं को गिरफ्तार करने एवं वाराणसी मंडल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में है (पढ़ी गयी), पांचवी सूचना, श्री बैजनाथ दुबे की गोण्डा के कटरा बाजार में 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का निर्माण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में है (पढ़ी हुयी मानी गयी), छठी सूचना, श्री राम करन आर्य की (उपस्थित नहीं है), सातवीं सूचना, श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत समग्र ग्राम योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण में कथित धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में है (पढ़ी हुयी मानी गयी), आठवीं सूचना, श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोड़रा को टोंस नदी की कटान से बचाने हेतु ठोकर बनवाने के संबंध में है (पढ़ी हुयी मानी गयी), नवीं सूचना, श्री रिजवान अहमद खां की जनपद मुरादाबाद की ग्राम सभा गढ़ी में सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त भी पानी की टंकी का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है (स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं)।

माननीय सदस्य श्री कौशल किशोर, श्री प्रभुदयाल वाल्मीकी और श्री काशी राम की सूचना अस्वीकार की गयी।

फतेहपुर के निचली गंगा नहर प्रखंड में स्वीकृत 1300 क्यूसेक पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान--

[मान्यवर, जनपद फतेहपुर अन्तर्गत निचली गंगा नहर प्रखंड में शासन द्वारा 1300 क्यूसेक पानी स्वीकृत है। वर्तमान में केवल 400 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उसमें भी 15-15 दिन के जो रोस्टर बने हैं। उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। जिसके कारण किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं एवं किसान भुखमरी का शिकार है। क्या मा0 सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष 900 क्यूसेक पानी कहां भेजा जा रहा है एवं जनपद फतेहपुर के किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है ?

अत: लोक महत्व के जुड़े जनहित के विषय, जो अविलम्बनीय और तात्कालिक भी है, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समस्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग करती हूं।]

सुचारु जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के लिये पम्पिंग स्टेशनों की विद्युत आपूर्ति को 'सेपरेट' करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, वाराणसी विशेषकर शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र घनी आबादी और गलियों का क्षेत्र है। विद्युत कटौती के कारण जल संस्थान के पम्पिंग स्टेशन तथा विभिन्न स्थानों पर स्थापित नलकूप नहीं चल पाते जिससे नागरिकों को पेय जल का घोर अभाव का सामना करना पड़ता है। विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2004 को उक्त कठिनाई की सूचना का संदर्भ देते हुए नगर विकास मंत्री जी ने स्वकीय अर्ध0शा0 पत्र सं0 2475/954, दिनांक 25 अक्टूबर, 2004 द्वारा अवगत कराया है कि शासन द्वारा ऊर्जा विभाग तथा अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन से यह

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अपेक्षा की गयी है कि वे वाराणसी जल संस्थान का भदैनी की रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन एवं भेलूपुर जल संस्थान में वाटर स्टोरेज एवं ट्रीटमेंट प्लान्ट को की गयी विद्युत आपूर्ति को सेपरेट कर दिया जाय ताकि सामान्य रूप से की जा रही विद्युत कटौती से पेयजल योजना प्रभावित न हो। शासन द्वारा दिये गये निर्देश के संबंध में अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन, प्रवन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्रश्नकर्ता द्वारा अलग से भी पत्र द्वारा अनुपालन हेतु अवगत कराया गया लेकिन खेद है कि अभी तक उक्त दिशा में कोई प्रगति नहीं है। यदि उक्त व्यवस्था का क्रियान्वयन युद्ध स्तर पर नहीं किया गया तो आसन्न गर्मी के दिनों में नागरिकों को पेयजल के लिए घोर कष्ट उठाना पड़ेगा।

नियम 301 के अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना को प्रस्तुत करते हुए नगर विकास मंत्री जी एवं विभाग द्वारा की गयी अपेक्षा की पूर्ति हेतु अविलम्ब समुचित निर्देश देने की मांग करता हूं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर (गाजीपुर जनपद) में कार्यरत चिकित्साधिकारी डा0 अजय अग्रवाल के अपहर्ताओं को गिरफ्तार करने एवं वाराणसी मंडल में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)--

[मान्यवर, वर्तमान में वाराणसी मंडल की जनता बढ़ते हुए अपराधों और पुलिस निष्क्रियता के कारण काफी क्षुब्ध और भयाक्रान्त है। दिनांक 10 फरवरी, 2005 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिर्जापुर (गाजीपुर जनपद) में कार्यरत चिकित्साधिकारी डा0 अजय अग्रवाल का मिर्जापुर (गाजीपुर जनपद) से वाराणसी आते समय बस से उतार कर अपहरण कर लिया गया और वाराणसी तथा गाजीपुर की पुलिस आज तक सुराग तक नहीं लगा सकी है। खुलेआम इस तरह एक चिकित्साधिकारी के अपहरण से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी काफी क्षुब्ध और भयाक्रान्त हैं।

वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, सोनभद्र, मऊ, भदोही, प्रतापगढ़ में 24 जुलाई, 2004 से 10 फरवरी, 2005 तक लगभग साढ़े छः माह में करीबन 128 हत्याएं हुई और 30 प्राणघातक हमले किये गये, 46 लूट की घटनाएं हुईं और 5 अपहरण की घटनाएं हुई हैं। यहां की कानून व्यवस्था लगभग समाप्त हो गयी हैं। जनता अपनी जानमाल की हिफाजत के प्रति भयभीत एवं चिंतित है तथा सरकार के प्रति जनता में बड़ा ही रोष है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि डा0 अजय अग्रवाल के अपहरणकर्ताओं को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए और बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।]

गोण्डा के कटरा बाजार में 33 के0वी0ए0 सब-स्टेशन का निर्माण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दुबे--

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार में 33 के0वी0ए0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु धन 2002-2003 से उपलब्ध है परन्तु विभाग द्वारा अभी तक इस उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। जब कि उपजिलाधिकारी करनैलगंज द्वारा जमीन भी उपलब्ध करा दी गयी है एवं 50 लाख रुपया भी विभाग जि0 ग्रा0 वि0 अभिकरण द्वारा

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राप्त कराये जा चुके हैं। परन्तु विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की उदासीनता के कारण उक्त उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ नहीं हो सका है जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी कमी के कारण महीनों बिजली क्षेत्र में नहीं आती है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत समग्र ग्राम योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण में कथित धांधली की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी--

[मान्यवर, मैं माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2003 व 2004 के प्रस्ताव अनुसार समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत 6 अदद ग्रामों की सड़कों का कार्य लेपन स्तर तक स्वीकृत हुआ था, इन सड़कों का निर्माण लोक निर्माण खण्ड 3, आजमगढ़ द्वारा कराया जा रहा है।

कार्यों में व्यापक धांधली बरती जा रही है। मेरे बार-बार ध्यान दिलाने पर भी व जिलाधिकारी, आजमगढ़ के निरीक्षण एवं निर्देशन के बावजूद मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया जा रहा है।

जनता के हित में इन सड़कों के निर्माण कार्य में व्यापक धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराया जाना नितान्त आवश्यक है।]

बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोड़रा की टोंस नदी की कटान से बचाने हेतु ठोकर बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम इकबाल सिंह--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के गांव कोड़रा जो टोंस नदी के किनारे स्थित है वह किसी भी समय कटकर टोंस नदी में बह जायेगा। विगत वर्ष सूखा पड़ने से वह गांव बच गया मगर इस वर्ष बरसात से पहले अगर ठोकर नहीं बना तो हजारों लोग अपने आवास से हाथ धो बैठेंगे। ठोकर की प्रशासनिक स्वीकृति पिछले वर्ष ही हो चुकी है मगर धन अवमुक्त नहीं हुआ है।

अत: इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य की मांग करता हूं।]

मुरादाबाद की ग्राम सभा गढ़ी में पानी की टंकी का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिजवान अहमद खां--

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला मुरादाबाद, तहसील कांठ, ब्लाक छजलैट, की ग्राम सभा गढ़ी मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा एवं मेरा पैतृक निवास स्थान भी है जिसकी आबादी लगभग दस हजार से अधिक है। उक्त ग्राम सभा का पानी कुछ खराब है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मंडी समिति विभाग द्वारा पेयजल विभाग ने उक्त ग्राम गढ़ी, ब्लाक छजलैट की पानी की टंकी का प्रस्ताव स्वीकृत होकर तथा सभी औपचारकताएं पूर्ण हैं एवं भूमि भी उपलब्ध है, परन्तु सरकार द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है।

अत: इस लोक महत्व के विषय पर शासन से वक्तव्य की मांग करते हुए पानी की टंकी के निर्माण की भी मांग करता हूं।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

जब सदस्य अनुपस्थित हैं तो ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

जब रुचि ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 18-2-2005 को नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की विधान सभा प्रश्नों के उत्तर उपवेशन के एक दिन पूर्व उपलब्ध न होने पाने के संबंध में है, इसको सुना जायेगा। दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की, सरकार द्वारा विस्तीर्णता के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दिये जाने से बचने की प्रवृत्ति के संबंध में है, इसको नहीं सुना जायेगा। तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल जी की प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में सौ इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प तथा पांच गांवों के विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में है, को नहीं सुना जायेगा। चौथी सूचना श्री आर0के0 सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समूह 'घ' की भर्ती में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में है, इसको भी नहीं सुना जायेगा।

विधान सभा के प्रश्नों के उत्तर उपवेशन के एक दिन पूर्व उपलब्ध न होने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

डा0 बाजपेयी जी अपनी पहली सूचना के बारे में बोलें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथ कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 32 में उत्तर के संबंध में स्पष्ट प्राविधान है--उत्तरों की प्रतियां सदस्य को उपलब्ध कराना तथा सदन में प्रश्नोत्तर का निस्तारण-प्रश्नों के उत्तर के लिए जो दिन नियत किया गया हो, उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्न के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेंगी।

32(2) अल्पसूचित प्रश्नों और तारांकित प्रश्नों के उत्तर सम्बद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाये जायेंगे तथा कार्यसूची में सम्मिलित ऐसे समस्त अतारांकित प्रश्नों के, जो स्थगित न किये गये हों, उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया समझा जायेगा और ऐसे अतारांकित प्रश्न तथा उनके लिखित उत्तर उस दिन की कार्यवाही के अंश के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।

अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश में 40(1) में यह है--40(1) नियमावली के नियम 32 के उपबन्धों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रश्नों के लिखित उत्तरों के प्रति सम्बद्ध सदस्यों को उत्तरों के लिए नियत दिन के उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जाय। अतः सरकारी सचिवालय के विभाग प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रतियां उत्तरों के लिए नियत दिन के 48 घंटे के पूर्व विधान सभा सचिवालय को अवश्य भेज दिया करें।

40(2)--इस 48 घंटे की अवधि में केवल कार्य दिवस ही गिने जायेंगे। उदाहरणार्थ जो उत्तर सदन में सोमवार को दिया जाना हो उसकी प्रतियां विधान सभा सचिवालय को पूर्वगामी शुक्रवार को दिन के 11 बजे तक प्रेषित कर दी जाये और यदि शनिवार को भी अवकाश हो तो ऐसे उत्तर गुरुवार को दिन में 11 बजे तक प्रेषित कर देना चाहिए।

मान्यवर, नियमावली का निर्देश इतना स्पष्ट है कि अवकाश का दिन भी उदाहरण देकर स्पष्ट कर रखा है। यदि प्रश्नों का जवाब कार्यसूची में लगकर मिलेगा तो आवश्यक अनुपूरक

सामग्री एवं अनुपूरक प्रश्न को तैयार करना लगभग असंभव सा होगा। कारण यह है कि घूम-फिरकर बात वही हो रही है और जिस पर मैं विश्वास करता कि आपकी अध्यक्षता के कार्यकाल में प्रभावी अंकुश लगेगा ऐसा यहां दिख नहीं रहा है। जो नियमावली के प्रति रुचि होनी चाहिए और गम्भीरता होनी चाहिए, विधायिका के प्रति एक गम्भीर भावना होनी चाहिए और उसके कारण मन में एक भय होना चाहिए कि अगर विधायिका के नियमावली के निर्देशों का पालन नहीं किया तो कुछ हमारे विरुद्ध हो सकता है, जब तक यह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। शासन भी बार-बार अधिकारियों को निर्देशित कर रहा है कि नियमावली का पालन हो, माननीय पीठ की भी मंशा है और नियमावली में भी है तब भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उत्तर हमें समय से नहीं मिल रहे हैं और कार्यसूची में लगकर मिलते हैं जिसके कारण अनुपूरक सामग्री और अनुपूरक प्रश्नों को तैयार करने में हम तैयार नहीं हो पाते हैं। मान्यवर, जब पीठ की मंशा है, नियमावली की मंशा है और शासन भी बार-बार कहता है फिर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो जो दोषी हैं विधान सभा की सार्वभौमिकता को सिद्ध करने के लिए, इसकी व्यवस्था चाहे आज आप न दें लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कार्यपालिका की जो लापरवाही हो रही है इस पर विचार करके अपनी व्यवस्था दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजाम खाँ)--

मान्यवर, आम तौर पर ऐसा नहीं है, पिछले एक-आध रोज में ऐसी कमी पाई गई थी, उसके लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और आशा की जानी चाहिए आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

यदि आपके सचिवालय में प्रश्नों का उत्तर 48 घण्टे के अन्दर मिल जाए तो ठीक है अगर नहीं मिलता है तो इन परम्पराओं को नियमावली के अनुसार परिवर्तित करने का काम सरकार करे।

श्री अध्यक्ष--

यह सही है हमारे सचिवालय को भी उत्तर समय से नहीं मिलते हैं। यही नियमवली में प्रावधान है, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसका परिपालन कराया जाए। वैसे मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहूँगा कि नियम 63 में भी इस तरह के मामले उठते हैं, इसलिए अगर कभी किसी विधायक को उत्तर नहीं मिला तो उसे इन नियमों में भी अपनी बात लाना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

ठीक है, मान्यवर, अब ऐसा भी किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नियम-300 को निरस्त करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है, नियम 300 में मैंने भी एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष--

आप औचित्य पर प्रश्न उठा रहे हैं या व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं, मैंने आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया है, फिर भी मैं आज ही इस पर आपसे बात-चीत करके निर्णय ले लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सम्मानित विधायकों को सौ हैण्ड पम्प अपने क्षेत्र में लगवाने के लिए तथा पाँच गाँवों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में भी मेरी आपसे गुजारिश है कि मान्यवर, आप बैठ जाएं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठ जाएं और हम लोग बैठ जाएं और इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय ले लें।

श्री अध्यक्ष--

एक बार तो इस सम्बन्ध में बैठक हो चुकी है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, गुजारिश है कि दोबारा फिर बैठक कर लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, बैठक कर ली जाएगी।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आप, हम लोगों को बुलाकर के बैठक के सम्बन्ध में कोई तारीख सुनिश्चित कर लें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, तारीख तय कर ली जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश मोटर, स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 18 फरवरी, 2005 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

नोट :--† दिनांक 30-3-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 5-4-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा बोर्ड की परीक्षा के फार्म भरते समय उस विद्यालय में विषय मान्यता न होने के बाद भी ऐसे अमान्य विषयों के परीक्षा फार्म भरने एवं अर्थदण्ड के साथ परीक्षा की अनुमति प्रदान किये जाने की व्यवस्था समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना, श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी के डाक्टर अजय अग्रवाल की दिन दहाड़े बस से अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

माननीय श्याम देव राय चौधरी जी यह मामला चूंकि नियम 301 में उठ चुका है इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। जो एक बार विषय सदन के संज्ञान में आ गया तो वह दूसरे नियम में कैसे उठ सकता है ?

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इसे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी अपनी सूचना पर बोलें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर तथा बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

देखिये, जो कानून व्यवस्था पर चर्चा होने जा रही है तब बात कह लीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, पुलिस की मार से हत्या हो गयी है, जेल में यह घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप कृपया माननीय बाजपेयी जी को बोल लेने दीजिये, आप लोग कृपया बैठ जाइये।

यह श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय आदि की सूचनाएं हैं--यह सब कानून व्यवस्था से संबंधित हैं। जब उस पर चर्चा लगी हुई है तब यहां इसमें उठाने का क्या औचित्य है ? और सारी घटनाओं पर आप अपनी बात कह भी चुके हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर,यह तात्कालिक घटना है। पुलिस की मार से उसकी जेल में मौत हो गयी है और वहां लोग आन्दोलित हैं।

श्री अध्यक्ष--

जब आपका नम्बर आयेगा तब बोल लीजियेगा अभी कृपया बैठ जायें। (व्यवधान)

वैसे आप अपना नोटिस पढ़िये आपने तमाम घटनाओं का इसमें हवाला दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, आपने निर्देश दिये थे कि नियम 311 में सूचना न दिया करें हम उसका पालन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप बैठें, विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुन लेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मेरी सूचना पर विचार कर लें कल आपने वायदा किया था कि सुन लेंगे। अब नियम 301 में आ गयी है तो उसमें मेरा क्या दोष है।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें, माननीय बाजपेयी जी की बात सुन लेने दें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका इसलिए आभारी हूँ कि एक बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 45000 माध्यमिक शिक्षा के छात्र, जो 1986 से निर्वहन हो रही परम्परा यानि जिन विषयों की विद्यालय में मान्यता प्राप्त नहीं होती थी उन विषयों की परीक्षा देने का फार्म विद्यालय भराते थे और छात्र उनके यहाँ फार्म भर देते थे और 300 रुपये का अर्थदण्ड लगाकर उस पर उनको परीक्षा देने की अनुमति मिल जाती थी। इसी परम्परा का निर्वहन करते हुए उन छात्रों ने फार्म भर दिया था और आश्वस्त हो गये थे कि 2005 की माध्यमिक इण्टर की परीक्षा देनी है। ऐसे लोगों ने जिन विषयों में अपने फार्म भरकर भेज दिये उनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण 24-7-2004 को एक आदेश जारी हो गया और उस 24-7-2004 के आदेश को 2005 की परीक्षा में लागू कर दिया गया। इस 24-7-2004 का आदेश लागू करने के बाद 45 हजार लोग जो पूर्व परम्परा के अनुसार अनुमन्य विषय के फार्म भरे थे , उनके प्रवेश पत्र जारी होने पर रोक लगा दी गयी। आज उन 45 हजार छात्रों के सामने अनिश्चितता की स्थिति खड़ी हो गयी है। मैं बल देना चाहता हूँ कि कक्षा 11 और 12 के संयुक्त कोर्स से कक्षा 12 की परीक्षा होती है। कक्षा 11 में जब परीक्षा हुई थी तब 24-7-2004 का शासनादेश अस्तित्व में नहीं था। अब कक्षा 11 व 12 के संयुक्त कोर्स के आधार पर कक्षा 12 की परीक्षा होगी तो जब 24-7-2004 का आदेश पूर्वगामी के आधार पर लागू होगा तो इसके कारण इन 45 हजार बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। इस आदेश के कारण अब वह लोग जिन्होंने आवेदन कर दिया था उनको रोक दिया गया, प्रवेश पत्र जारी नही किये गये। उन्होंने उन विद्यालयों को जिनके आवेदन पत्र उन विषयों के रद्द हो गये थे उनको हाईकोर्ट भेजकर वहां से आदेश लाने की बात करी जा रही है अब जो आदेश ले भी आये उन्होंने उनकी फोटो कापी लेकर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आवेदन कर दिया कि उन छात्रों को प्रवेश पत्र दे दिया जाय तो अब वहां यह कहा जा रहा है कि इसका मूल आदेश लाकर दीजिए तो मेरा निवेदन है कि 45 हजार छात्रों की समस्या है, माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, 11 और 12 के संयुक्त कोर्स के आधार पर कक्षा 12 की 2005 की परीक्षा होनी है और 24-7-2004 का शासनादेश है वह मेरे पास प्रमाण के रूप में मौजूद है यह 37000 रुपये जमा करने का दण्ड प्राविधान है, पर तत्काल अनुमति दी गयी यह भी उसमें है अब 24-7-2004 का शासनादेश है इसके पत्र का उल्लेख करना चाहता हूँ यह राजकीय पत्र संख्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् 9/182/महत्वपूर्ण/माध्यमिक शिक्षा परिषद् दिनांक 24-7-2004 का है।

मान्यवर, अभी यह सदन सत्र में है और 45 हजार छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल है मार्च, अप्रैल में परीक्षाएं होने जा रही है फरवरी की आज 18 तारीख हो गयी है। वह अंधकार में है कि वह परीक्षा दे पायेंगे या नहीं। अगर सदन ने अपने दायित्व का निर्वहन नही किया और आपके जैसा सुयोग्य व्यक्ति का निर्देश नहीं हुआ और सरकार को 24-7-2004 के आदेश को पूर्वगामी प्रभाव से न लागू करने का निर्देश नहीं दिया गया, और इस वर्ष की कक्षा 11 में जो लोग भर्ती हुए उनके ऊपर यह आदेश अग्रगामी प्रभाव से लागू होना चाहिए यह निर्देश नहीं दिया गया तो 45 हजार छात्रों

का भविष्य अंधकार में हो जायेगा और इस मकड़जाल में पड़कर बच्चे पढ़ाई करना भूल जायेंगे और अगर परीक्षा देने की अनुमति आन टाइम मिल भी गयी तो वह परीक्षा में अपनी अच्छी डिवीजन को खो देंगे। इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर आप चर्चा करा दें और पीठ से सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि 24-7-2004 का आदेश, जिसके कारण यह कठिनाई पैदा हुयी है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट जाने की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, इन सबसे बचने के लिये, भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिये तत्काल आज ही इस आदेश पर आप रोक लगा दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का मामला है, इसलिये इसका विधिक परीक्षण होना जरूरी है, इसे दिखवा लेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि आप इसको पूर्वगामी प्रभाव से लागू कर दें। इसमें विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं और न्यायालय ने स्थगनादेश देना शुरू कर दिया है। जब एक स्थगनादेश हो गया है तो फिर उसी की रोशनी में 24-7-2004 के आदेश पर आप रोक लगा दें, इसमें सरकार को कोई कानूनी बाधा नहीं है। मान्यवर, इसके लिये आप पीठ से समुचित निर्देश भी दे दें ताकि पीठ की गरिमा, पीठ की महत्ता को आप प्रदेश की जनता के सामने साबित कर दें। यह मैं आपसे मांग करता हूँ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री की सीट के पीछे माननीय सदस्यों द्वारा वार्तालाप किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कुछ तो व्यवस्था बनाइये, कुछ ध्यान रखिये गरिमा का।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इसे मैंने बहुत गम्भीरता से लिया है। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इसलिये विधिक परीक्षण करा लें। इसमें जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, वह करेंगे। बच्चों के भविष्य का सवाल है, जितना बाजपेयी जी चिन्तित हैं, मैं कहीं उससे ज्यादा चिन्तित हूँ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें जो भी आवश्यक हो, विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित न किया जाय, इसका ध्यान रखा जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, आपने शिक्षा शब्द कहा है, परीक्षा होना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

अब आपको बाजपेयी जी यह भी सिखायेंगे कि परीक्षा से शिक्षा होती है या शिक्षा से परीक्षा होती है।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी, सौभाग्य से सदन में मैं भी बहुत पुराना सदस्य हूँ। मैं जब सदस्य था, तब बाजपेयी जी नहीं थे। हमने भी सदन को देखा है, गम्भीरता से देखा है।

दूसरा विषय माननीय श्याम देव राय चौधरी जी का है। यह वाराणसी के डाक्टर का मामला है। यह नियम 301 में पहले आ चुका है, दुबारा कैसे लाया जाय, यह हमें आप बता दें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा नियम 51 आप स्वीकार कर चुके हैं, अगर आप माननीय सदस्य को मौका दें तो मुझे भी अवसर मिलना चाहिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, किसी के जीवन का सवाल है आप दो मिनट का मौका दे दें।

श्री प्रमोद कुमार--

अगर आप नियम 56 में सुनें तो मुझे भी सुनें।

श्री अध्यक्ष--

आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। टण्डन जी आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन--

माननीय प्रमोद तिवारी जी ने भी इस विषय को दिया है, आप दोनों को साथ मिलाकर ले लें।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 में उठ चुका है तो कैसे लिया जाय ?

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन) --

यह आपका अधिकार है।

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, आपको विशेषाधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खॉं--

मान्यवर, अगर कोई और सदस्य कहता तो ठीक था, लेकिन यह तो आदर्शवादी लोग है।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 में जिस ढंग से उत्तर आ रहा है, उससे यह काफी चिन्तित हैं, यह चाह रहे हैं कि नियम 56 में कह लेंगे तो जवाब आ जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खॉं--

मान्यवर, उसके लिये भी नियम है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, जब वही विषय आ चुका है तो फिर बार-बार कैसे उठाया जा सकता है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने नियम 51 में पहले ही 15 तारीख को दिया था। मान्यवर, माननीय सदस्य को सुनने के बाद मुझे भी सुन लिया जाए।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

मान्यवर, चौधरी जी ने जो विषय उठाया है, उसकी अविलम्बनीयता और लोकमहत्व अपने आप स्पष्ट है। एक डाक्टर का अपहरण हो गया है, लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है, इसलिए मान्यवर, जो प्रतिबन्ध है, उसमें नियमों को शिथिल करके चौधरी साहब की बात को सुन लिया जाना चाहिए।

श्री नरेश चद्र अग्रवाल--

मान्यवर, नियमों को शिथिल करने का प्राविधान है। यदि हर समय नियमों को ही शिथिल कर दिया जाएगा तो फिर नियमावली का महत्व ही क्या रह जाएगा ? जब एक प्रश्न एक बार सदन में आ चुका है तो बार-बार कैसे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष--

एक में तो सुन लिया गया है, यह बार-बार कैसे सुना जाए ?

श्री श्याम देव चौधरी--

मान्यवर, इतना विरोध क्यों हो रहा है, मेरी तो समझ में नही आ रहा है ?

श्री नरेश चद्र अग्रवाल--

मान्यवर, सरकार के संज्ञान में आ गया है, हम समझते हैं और हम कार्यवाही भी कर रहे हैं। ऐसा नही है कि केवल कार्य-स्थगन से ही कार्यवाही करेंगे, इसे बार-बार कैसे लिया जा सकता है। एक ही चीज को बार-बार कैसे उठाया जा सकता है, इतना तो टण्डन जी बता दें कि यह किस नियम के अन्तर्गत आता है।

श्री श्याम देव चौधरी--

मान्यवर, यह पीठ सर्वोपरि है, मैं तो केवल पीठ से अनुरोध कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, इस तरह से नयी परिपाटी बनेगी। मान्यवर, परिपाटी बाद में है और नियम पहले हैं।

श्री अध्यक्ष--

अभिभाषण में होने वाली चर्चा में आपने बात भी कही होगी, क्योंकि जब चर्चा हो रही थी तो मैं था नहीं। यह पहले भी आ चुका है, इसलिए उसी को बार-बार कैसे लिया जा सकता है ? मैं आपकी बात की गम्भीरता को समझता हूँ। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा। आप हमारे कक्ष में आ जाइयेगा, मैं होम सेक्रेटरी को बुलाकर आपकी बात करा दूंगा। आप हमारे कक्ष में आ जाएं, मैं पूरी बात करा दूंगा और इसकी गम्भीरता भी हो जाएगी।

(श्री ओम प्रकाश सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

ओम प्रकाश जी, यह एक बार उठ चुका है, तो बार-बार कैसे लिया जाएगा ?

श्री श्याम देव राय चौधरी--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि स्वीकार नहीं होगा। मान्यवर, इसे सुन लीजिए, आप कह दें कि बाद में सुन लिया जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मेरा आग्रह यह नहीं है, मेरा कहना है कि दो-एक रोज पहले नई परिपाटी डालने जा रहे थे उसे भी रोकने की कोशिश की गयी। अगर नई परिपाटियाँ पड़ेंगी तो नियम पीछे रह जायेंगे। जब हर चीज का नियम मौजूद है तो नियमों के अनुसार सदन चलन चाहिए। अगर कहीं नियम साइलेण्ट हो तब परिपाटी है। जब एक विषय नियमों के अन्तर्गत सदन में आ चुका है तो उसे दोबारा लेना मुनासिब नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, हर नियम का अपवाद भी होता है। डा0 अजय [illegible] वाराणसी के निवासी हैं और मेरी विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं। मान्यवर, वह बहेरिया [illegible] थाना क्षेत्र के अन्तर्गत मिर्जापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से बस से जा रहे थे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, यह मुनासिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि [illegible] विषय को अन्त न छुयें। दूसरे और भी विषय हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर श्री चौधरी को सुने जाने का आग्रह करने लगे।)

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

सरकार की उदारता का नाजायज फायदा न उठायें।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब, आप थोड़ी देर बैठ जाएं। हम अभी अपने चैम्बर में आपको और सचिव, गृह को बुलाकर बात कर लेंगे। कार्यस्थगन की तीसरी सूचना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की है। डा0 अग्रवाल अपने विचार रखें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल --

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के तहत पूर्वी उत्तर के सीधे साढ़े छः करोड़ जनसंख्या को प्रभावित करने वाले लोकहित के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, दिनांक 9 फरवरी, 2005 की बात है। डॉ अजय अग्रवाल वाराणसी लौट रहे थे और बस के अन्दर बैठ चुके थे, बदमाशों ने बस को रुकवाकर के डा0 अग्रवाल को बलात् बस के नीचे उतार लिया और जीप में बैठाकर कही निर्जन स्थान की ओर चले गये। अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब, अब बैठिये, आपकी बात आ गयी। अब आगे लिखा नहीं जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

अध्यक्ष जी, 9 फरवरी, 2005 से इण्डियन मेडिकल ऐसोशियेशन के सारे डाक्टर्स आन्दोलित हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब लिखा नहीं जायेगा, कृपया बैठ जाइये।

श्री श्यामदेव चौधरी--

9 फरवरी से सेन डा0 अग्रवाल की बरामदगी के लिए वाराणसी के डाक्टर अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने से सारे चिकित्सकीय कार्य को रोक दिया है तथा डा0 अग्रवाल को बरामद किये जाने की मांग कर रहे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल--

अध्यक्ष जी, नियमावली में नियम 299 भी दिया हुआ है, उसमें यह है कि अगर सदन सुचारू-रूप से न चले तो अध्यक्ष कैसे सदन चलायेंगे। मान्यवर, नियम 299 को पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब, आप बैठ जायं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी--

मान्यवर, डा0 अजय अग्रवाल 9 तारीख को गायब हुये थे आज तक उनका कोई अता-पता नहीं है। उनकी पत्नी बीमार पड़ गयी हैं और बच्चे रो रहे हैं। उनकी बरामदगी के लिये क्या प्रगति हुयी इसके बारे में सदन में जानकारी आनी चाहिये।

*श्री लालजी टंडन--

मान्यवर, यह विषय कांटीनुअस चल रहा है तो जब तक इसका कोई निदान नहीं हो जाता है तब तक इस पर समय सीमा नहीं लगायी जा सकती है। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुये, इस तरह की घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिये । लेकिन सरकार डिफेन्ड कर रही है। सरकार को बताना चाहिये कि सरकार क्या कर रही है ? अगर यह मामला पहले उठा है तो सरकार को यह बताना चाहिये कि अब तक इसमें क्या प्रगति हुयी है ? आप इतना नहीं बता सकते हैं तो मैं इस सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना उचित नहीं समझता। इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(भा0ज0पा0 के सदस्य के नारे लगाते हुये सदन से चले गये।)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, डाक्टर का अपहरण हुआ है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप बैठक बुला लें। इसी विषय पर मेरी नियम 51 और 301 में सूचना है। यह अपहरण का विषय गम्भीर है। सरकार की तरफ से कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

वह कर देंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के संबंध में आपने मुझे 56 में बोलने की अनुमति प्रदान की है इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। वहां पर एम0बी0बी0एस0 की मान्यता को लेकर कालेज के छात्रों ने 20 दिन लम्बी हड़ताल किया है। मान्यवर, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वर्ष 1991 के बाद से कोई नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं की गयी है। मान्यवर, इस कालेज की एम0बी0बी0एस0 की डिग्री की मान्यता कई बार निरस्त की जा चुकी है मान्यवर, सदन में 15 तारीख को स्वीकार किया गया है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में 95 शिक्षक होने चाहिये जिसकी तुलना में 48 शिक्षक हैं। वहां पर मेडिकल कालेज में सेंट्रल पैथालोजी, सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लांडरी और स्टरलाइजेशन की कोई सुविधा नहीं है। छात्रों को पढ़ने के लिये इंटरनेट की बात तो दूर कोई नयी पुस्तक या नया जनरल नहीं मंगाया जाता है। वहां की एक्सरे मशीन बेकार पड़ी है और अस्पताल में नर्सेज का अभाव है। 650 बेड का मेडिकल कालेज है लेकिन एक भी नर्सिंग कालेज वहां पर नहीं है। छात्र शरीर रचना को समझ सकें इसके लिये एनाटमी विभाग में कोई सुविधा नहीं है और शवों की व्यवस्था नहीं है। आडियो-विजुअल सुविधा नहीं है। इस कालेज में पोस्ट मार्टम की व्यवस्था नहीं है और बच्चों को पोस्टमार्टम का प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, वहां के छात्र कई बार लखनऊ आकर माननीय मुख्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव तथा निदेशक से मिले लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं किया गया है। मान्यवर, उन छात्रों को आश्वसन जरूर दिये गये लेकिन शिक्षकों की कमी दूर नहीं की गयी। टिक्कू कमेटी की संस्तुतियों को आज तक लागू नहीं किया गया है। मान्यवर, वहां पर इनेसेफेलाइटिस वार्ड के नाम पर 75 लाख रुपये की स्वीकृति की गयी लेकिन वहां ऐसी सामग्री भेज दी गयी है जिसकी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामान वहां भेजा जा रहा है उसकी उपयोगिता नहीं है। वहां के छात्रों ने 20 दिन तक लगातार हड़ताल की लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, मेरी मांग है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की समस्याओं की ओर ध्यान देकर उनका निदान किया जाय तथा सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नही किया।

श्री अध्यक्ष--

इसकी जानकारी मुझे भी है। चूँकि मैं स्पीकर के पद पर हूँ इसलिए इस पर बोल नहीं सकता। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आपको सब जानकारी है। बच्चे आपसे मिल चुके हैं। आप वहाँ जा चुके हैं। इस पर कमेंटी बन चुकी है। कार्य योजना तैयार है। कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। अगली सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री प्रदीप जैन आदित्य की जनपद बस्ती के वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण मिश्र की जघन्य हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

*श्री जगदम्बिका पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना की गम्भीरता से आप स्वयं भिज्ञ हैं। आज जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हो गयी हैं उससे आप स्वयं सहमत होंगे जिनका किसी से झगड़ा नही था जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे उनकी दिन दहाड़े जिस तरह से हत्या हुई है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित सभी पार्टियों ने जिला प्रशासन पर दबाव डाला लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन ने आज तक उनके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया। यह अकेली घटना नहीं है पहलवान सिंह और उप ब्लाक प्रमुख संजय सिंह को ब्लाक में बमों से मारा गया इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज पूरे पूर्वांचल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। एक भी घटना को पुलिस वर्क आउट नहीं कर पा रही है। बस्ती में जिस तरह से लगातार चोरियाँ हो रही हैं रोड होल्ड अप की घटनाएं लगातार हो रही हैं, गाड़ियों की चोरियाँ हो रही हैं कभी-कभी तो गाड़ी बुक कराई जाती है और रास्ते में ड्राइवर का गला काटकर फेंक दिया जाता है और अपराधी गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं आज तक एक भी घटना का पर्दाफाश नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष--

आप अरुण मिश्र तक ही सीमित रहें।

श्री जगदम्बिका पाल--

यह प्रश्न पूरे पूर्वांचल के लिए ज्वलंत प्रश्न है। सारे पत्रकारों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। श्री मिश्र, जो 25 वर्षों से ब्यूरो चीफ थे, जिस तरह से उनकी हत्या हुई फैजाबाद रोड पर जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हुई उसके लिए जिला प्रशासन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, कप्तान की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए वहाँ की पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने में असफल रही है। आज वहाँ कानून व्यवस्था पंगु हो गई है लगातार रोड होल्ड अप की, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं वह चिन्ता का विषय है। पूर्वांचल में कभी अपहरण की घटनाएं नहीं होती थीं लेकिन अब हो रही हैं। इस हत्या के बाद मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने श्री मिश्र के परिवार को आर्थिक सहायता दी है लेकिन मेरी मांग है कि उनके हत्यारों को भी पकड़ने का काम पुलिस का है अगर डेढ़ महीने बाद भी पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ सकी है तो इससे जुड़े हुए पुलिस अधिकारियों और कप्तान की जवाबदेही होगी। इससे गम्भीर दूसरा प्रश्न नहीं है इसको ग्राह्यता हेतु सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नही किया।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है इस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। किसी भी देश के लोक तंत्र की कार्यप्रणाली में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में लोकतंत्र है इसमें बहुत बड़ा योगदान पत्रकारिता का भी है। पत्रकारों ने स्वतंत्र पत्रकारिता करके जहाँ सरकार को कटघरे में खड़ा करना हुआ वहाँ पर उसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सत्य को जीवित रखने का प्रयास किया। जो आलोचनाएं की जाती है उनसे कहीं न कहीं प्रभावित पक्ष आक्रोशित होता है और आक्रोशित होकर इस तरह की घटजाओं को अंजाम देता है। श्री मिश्र की वरिष्ठता पर संदेह नही किया जा सकता है, जिनको योग्यता पर संदेह नहीं किया जा सकता है जिनकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उन्हें दण्ड मिला है। उनकी जिन्दगी को समाप्त कर दिया गया, इसलिये कि उन्होंने अपनी लेखनी से कई ऐसे तथ्यों को उजागर किया था जिससे बहुत से सफेदपोश लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाती । इस तरह से एक व्यक्ति पर हमला करके उसकी हत्या की गई है बल्कि मान्यवर, मैं तो यह कहूँगा कि सम्पूर्ण पत्रकारिता पर हमला हो रहा है। पत्रकारिता जो कि चौथा स्तम्भ कहा जाता है उस पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं पर रोक लगनी चाहिए। अभी लखीमपुर खीरी का जिक्र आया था। माननीय मंत्री जी ने पत्र पढ़ दिया कि अगर लोग ऐसा कहते हैं। मान्यवर, कहाँ दो-तीन ग्रुप नहीं होते हैं, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी पत्रकार को लेखनी चलाने की कीमत यंत्रणा के रूप में मिले या उसे अपराधियों की गोली का निशाना बनना पड़े तो सरकार को इस तरफ दृढ़ कदम उठाने पड़ेंगे। मान्यवर, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कठिनतम कार्यवाही की जाय न सिर्फ प्रचलित कानून ही लगाया जाय बल्कि जो लोग इस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं इन पर रसुका लगाया जाय, ऐसी धाराएं लगाई जायं जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता इस देश में जिन्दा रह सके।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष--

दो लोगों ने इस पर अपनी बात कह ली है और यह बस्ती का मामला है, आप बुलेन्दखण्ड के हैं।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

[x x x]

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, आपके सदस्य हैं। उनको बतलायें कि यह बस्ती का मामला है, बुलेन्दखण्ड का नहीं है। आप यह नई परम्परा डाल रहे हैं आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

[x x x]

नोट : [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ--

मान्यवर, हम पत्रकार बन्धुओं का पूरा सम्मान करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें बिल्कुल उदासीन नहीं है। माननीय प्रमोद जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि सरकार ने आर्थिक सहायता भेज दी है। जो कड़ी कार्यवाही हो सकती है हम करेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको देखेंगे। सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और न्याय होगा।

श्री जगदम्बिका पाल--

हमने यह नहीं कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हम तो पुलिस प्रशासन के लिये कह रहे हैं। सरकार ने तो आर्थिक सहायता के तौर पर 2 लाख रुपये भेज दिये लेकिन क्या सरकार की इस 2 लाख रुपये की सहायता के बाद वहाँ की पुलिस प्रशासन संवेदनशून्य हो गई है, हत्यारों को गिरफ्तार करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ--

मैं तो इस बात को और आगे बढ़ाकर कह चुका हूँ कि जिला प्रशासन की तरफ से यदि कोई कमी होती है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर दोनों तरह से बात आ गई है, मैं इसको निरस्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सरकार इस मामले पर बिल्कुल गम्भीर नहीं है मैं और मेरा दल सरकार के इस रवैये से सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार अपनी पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष--

राधामोहन अग्रवाल जी की सूचना पर सुना जा चुका है। राजभर जी आप कुछ बोलना चाहें तो कहें। बहुत बातें आ चुकी हैं उनको दोहराइयेगा नहीं। आपकी सूचना ग्राह्य नहीं है इसलिये शासन का जवाब नहीं आया होगा।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना महेशगंज के गाँव महेवा मलिकिया के श्री प्रभुनाथ मौर्या की पुलिस पिटाई से हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखेदव राजभर--

मान्यवर, प्रभुनाथ मौयां को पुलिस पकड़कर ले गई। उसके पिता जी गये कि मेरे लड़के को छोड़ दीजिये। मायवर, हमने घटना की स्पेसिफिक सूचना लेकर नोटिस दी है पिता से पुलिस ने कहा कि 10 हजार रुपया दो हम छोड़ देंगे पिता ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, 10 हजार रुपया कहाँ से लाऊँ तो मान्यवर, इस पर गुस्से से उसकी पिटाई कर दी और बाद में चालान कर दिया। और जेल में उसका लड़का मर गया। यह पुलिस कानून को अपने हाथ में लेकर काम कर रही है। यह पुलिस, जज और जल्लाद तीनों का काम कर रही है। इस पुलिस को जज और जल्लाद दोनों की तनख्वाह दी जाए। कितनी पिटाई इन्होंने की है पोस्टमार्टम हुआ है पिटाई से हत्या हुई है यह रिपोर्ट आ गई है। हम उसके लिए दस मिनट दुख व्यक्त करना चाहते हैं। इस सरकार के थोड़ा सा संज्ञान में ला दे पुलिस की हरकते बढ़ रही हैं। आपने अखबार में पढ़ा होगा। अरविन्द डाकू का बयान आया है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पैसा भी खा लेती है और मार भी डालती है। दस हजार की वजह से उस लड़के को मार दिया गया। जेल में उसको मार दिया गया। हम इसलिए सदन में

इसको रख रहे हैं कि पुलिस की हरकतें ऐसी होती हैं कि वह बात करने पर बहन और बेटी की गाली देते हैं। मान्यवर, उसके परिवार के लोग माँ बहन की गन्दी जुबानों को सुनते रहे,

श्री अध्यक्ष--

हो गया।

श्री सुखदेव राजभर--

मैं माँग करता हूँ कि पुलिस की पिटाई से जेल में वह मर गया उस पर कोई मुकदमा नहीं था। राज्य की पुलिस के खिलाफ आपकी पीठ से प्रदेश में संदेश आना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम हो। मैं मांग करता हूँ कि पांच लाख की मदद के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदेश में सदन में आपकी जबान की कदर हो रही है इसमें आपकी तरफ से आना चाहिए। 10 हजार रुपया माफ न दे पाए तो उसके बेटे की जेल में इतनी पिटाई की जाए कि वह मर जाए। इसमें मैं पुलिस पर 302 का मुकदमा कायम करने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी को भी कुछ कहने दीजिए। अब आप बैठ जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या--

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत एक विशेष घटना के उल्लेख के अन्तर्गत इसको दिया है। मान्यवर यह कितना दुखद है आज पूरा का पूरा प्रदेश शासन/प्रशासन निरंकुश हो गया है। प्रतापगढ़ जनपद के महेशगंज थाना के अन्तर्गत यह घटना घटित हुई है महेवा मलकिया गाँव का एक मजरा है मैं बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे स्थानीय पुलिस जाती है और लड़के को थाने पकड़ कर ले जाती है। दो -तीन घंटे के बाद उस लड़के का बाप जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरे बेटे प्रभुनाथ मौर्या को आप क्यों पकड़कर लाए हैं। स्थानीय पुलिस कहती है कि पूछताछ करनी है इसलिए लाए हैं। पूछताछ के बहाने उसे जेल में पीटा गया और उससे कहा गया कि दस हजार की व्यवस्था करके दे उसने कहा मेरी माली हालत खराब है रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ दस हजार रुपये देने की मेरी हैसियत नहीं है। मान्यवर 13 तारीख को सुबह 8 बजे थाना महेश गंज महेवा मलकिया का एक मजरा लगता है, वहां के रहने वाले प्रभुनाथ को मुँहमांगी रकम न मिलने पर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया जाता है। 14 तारीख को उस पर 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करके प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया। 14 तारीख को जेल गया और 14 तारीख की रात में पुलिस मार से वह मर जाता है। जब यह पता चलता है कि मर गया तो जेल प्रशासन के लोग उसे जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाते हैं एडमिट कराने के लिए, वहां के चिकित्साधिकारी कहते हैं कि यह तो मर चुका है इसलिए इसको एडमिट नहीं किया जा सकता है हम लाश को एडमिट नहीं करते हैं जीवित व्यक्ति को एडमिट करते हैं फिर जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से 15 तारीख को उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। उसकी लाश भी पुलिस वाले नहीं दे रहे थे जलाने जा रहे थे। उस गाँव के एक व्यक्ति से जबरिया लिखा रहे थे कि पैसा नहीं है लाश को दफन करने के लिए इसलिए यहीं उसका दफन कफन कर दिया जाए। इसमें हस्तक्षेप किया गया और उसके पिता को उसकी लाश दिलवायी। मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस की निरंकुशता किस तरीके से बढ़ रही है, इसे सरकार को देखना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। सरकार और सदन को मजबूर होना चाहिए कि सरकार को कलंकित करने और बदनाम करने का काम शासन/प्रशासन में बैठे हुए जो लोग कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। प्रजातंत्र के 57 साल हो गए हैं लेकिन निरंकुशता अभी तक जारी है। मान्यवर, एक निवेदन और है, दफा-25 का मुकदमा कायम किया गया है, मैं बताना चाहता हूँ, दफा-25 के पहले इस 27 वर्ष के नौजवान के ऊपर अभी तक कोई छोटा सा मुकदमा भी दर्ज नहीं

है, यह आपराधिक किस्म का आदमी नहीं है। यह केवल लेनदेने का मामला है। पुलिस अधीक्षक ने रात 11.00 बजे मुझे टेलीफोन करके बताया कि लोग धरना-प्रदर्शन और जाम कर रहे हैं, उन्हें समझाइये, जो कानूनी कार्यवाई होगी। वह हम करेंगे। मैंने अपनी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को वहाँ पर भेजा और कहा कि जाम के लिए मना करें क्योंकि पुलिस प्रशासन उनकी मदद के लिए कह रहा है। उसके बावजूद आज 18 तारीख हो गई है, कोई भी कार्यवाई आगे नहीं बढ़ी है और अब उसमें लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस फँस रही है। मान्यवर, उसके पिता ने थानाध्यक्ष और तीन अन्य कर्मियों के खिलाफ एस0पी को एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिए सूचना दी है लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है। यह घटना परसों की है, मुझे कल खबर मिली और आज मैं सदन को इसकी सूचना दे रहा हूँ। यह तात्कालिक और अविलम्बनीय भी है। लोक महत्व का इसलिए है कि वहाँ पर आक्रोश है और लोग आन्दोलित हैं। इसलिए इसको आप स्वीकार करते हुए निर्देश दे कि 302 के अन्तर्गत जिन लोगों ने हत्या की है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और साथ ही जैसा कि माननीय सुखदेव राजभर जी ने कहा है, उस मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि 302 का मुकदमा दर्ज करके दोषियों को दण्डित अवश्य किया जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, पुलिस पूरी जिम्मेदारी से काम करे इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इस मामले को हम दिखवा लेंगे, यदि कोई कमी है।

श्री अध्यक्ष--

इसकी जाँच करवा लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, यह विशेष उल्लिखित केस है, इसमें 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए।

(बहुजन समाजपार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मौर्या जी, आप भी सरकार में रहे हैं, आपने बात कही, उसका परीक्षण कराया जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि इसकी जाँच करा लेंगे। जो दोषी होगा तो 302 क्यों नहीं लिखा जाएगा। आप क्यों परेशान हैं। आप हम को लिखकर दीजिए, हम इस पर चर्चा भी करा देंगे। जब चर्चा होगी तब इस पर भी चर्चा हो जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, यह 14 तारीख का प्रकरण है, आज 18 तारीख है, चार दिन हो गए हैं, उसके पिता ने अप्लीकेशन दिया है लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष--

आप वकील रहे हैं, एफ0आई0आर0 के लिए लिखकर दिया जाता है, उसकी जाँच होती है, कभी-कभी एफ0आई0आर0 एक-एक साल बाद भी दर्ज होती है। आप हमारे चैम्बर में आइए, हम संसदीय कार्य मंत्री से आपकी बात करा देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि उसे पुलिस थाने में मारा गया, जेल में उसकी मौत हुई, इसमें थाने के लोग या जेल के लोग दोषी हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसकी जाँच करने के लिए ही कहा है। मौर्या जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जांच करा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, आपका निर्देश हो गया है उसका पालन होगा। इसको गम्भीरता से लेते हुए ही मैं यह कह रहा हूँ। पहले इसके तथ्यों की जानकारी कर ली जाये। इसमें जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी दोषी को बचाने के पक्ष में नही हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम-56 में नहीं आती है अत: अग्राह्य की जाती है।

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, मैं एक सूचना नियम 56 में पिछले 4 दिनों से दे रहा हूँ यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैं मद संख्या-12 ले रहा हूँ यह आप बाद में उठाइयेगा।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग

श्री अध्यक्ष--

द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा में किसी माननीय सदस्य को बोलना है।

(किसी माननीय सदस्य के न बोलने पर।)

संसदीय कार्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अंतर्गत 18,23,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या -01-आबकारी विभाग के अंतर्गत 18,23,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अंतर्गत 25,80,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अंतर्गत 25,80,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत 9,35,38,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत 9,35,38,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी उद्योग एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत 4,39,29,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत 4,39,29,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 7,24,77,03,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 7,24,77,03,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अंतर्गत 2,38,,46,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अंतर्गत 2,38,,46,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अंतर्गत 29,74,20,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि द्वितीय अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अंतर्गत 29,74,20,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अंतर्गत 36,11,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अंतर्गत 36,11,17,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत 63,20,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत 63,20,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत 11,40,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत 11,40,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अंतर्गत 4,95,89,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अंतर्गत 4,95,89,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंतर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंतर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 52,50,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि अनुदान संख्या 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 52,50,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21--खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 50,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 50,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 22--खेल विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--खेल विभाग के अन्तर्गत 3,80,14,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--खेल विभाग के अन्तर्गत 3,80,14,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,76,62,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,76,62,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 28,11,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 28,11,61,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,09,39,27,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,09,39,27,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 84,42,99,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 84,42,99,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 6,49,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 6,49,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,52,28,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,52,28,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,03,44,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 3,03,44,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 73,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 73,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 39--भाषा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39--भाषा विभाग के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39--भाषा विभाग के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,17,45,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,17,45,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग के अन्तर्गत 2,60,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग के अन्तर्गत 2,60,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,97,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,97,53,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 20,73,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 20,73,13,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य एवं **नगर** विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं **आपकी** अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 39,27,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 39,27,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,04,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,04,15,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 28,07,31,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 28,07,31,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51--राजस्व विभाग (दैवी आपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 2,32,99,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 2,32,99,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,85,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,85,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 16,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 16,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55--लोक निर्माण विभाग (भवन)

लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 5,00,89,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 5,00,89,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें)

लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें) के अन्तर्गत 1,31,75,58,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें) के अन्तर्गत 1,31,75,58,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60--वन विभाग

लोक निर्माण एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--वन विभाग के अन्तर्गत 22,65,25,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60--वन विभाग के अन्तर्गत 22,65,25,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,37,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,37,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 67--विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 42,39,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 42,39,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,46,08,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,46,08,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,96,03,10,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,96,03,10,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 64,51,39,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 64,51,39,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4,65,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4,65,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 77--श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,44,10,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,44,10,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 78--सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 97,81,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 97,81,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 19,24,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 19,24,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 2,79,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 2,79,90,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 16,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 16,21,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 35,71,83,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 35,71,83,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 84--सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 28,51,23,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 28,51,23,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 86--सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86--सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,94,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,94,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत 1,52,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत 1,52,19,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 22,92,80,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 22,92,80,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 4,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 4,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 92--संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92--संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 1,94,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92--संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 1,94,16,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 5,31,79,92,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 5,31,79,92,000 रुपये की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां बांटी गयीं।)

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2004-2005 के लिए 15979,01,40,000 रुपये का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2005 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से जिनका कुल योग 15979,01,40,000 रुपये (पन्द्रह हजार नौ सौ उन्यासी करोड एक लाख चालीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रु0 में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	--	--	0
		पूंजी :	1823	--	1823
02	आवास विभाग	राजस्व :	8053	50	8103
		पूंजी :	250000	--	250000
03	उद्योग विभाग	राजस्व :	34575	--	34575
	(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी :	58963	--	58963
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	30040	--	30040
		पूंजी :	13889	--	13889
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	1247700	--	1247700
		पूंजी :	6000003	--	6000003
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	8436	--	8436
	विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	पूंजी :	15410	--	15410
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	52729	--	52729
	विभाग (कृषि)	पूंजी :	244691	--	244691
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	361117	--	361117
	विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी :	--	--	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	520767	65	520832
	विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी :	111246	--	111246
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	112436	--	112436
	विभाग (पंचायती राज)	पूंजी :	1580	--	1580
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	42917	--	42917
	विभाग (पशुधन)	पूंजी :	6672	--	6672

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रु0 में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	1	--	1
		पूंजी :	--	--	0
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	5250	--	5250
		पूंजी :	--	--	0
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1000	--	1000
		पूंजी :	--	--	0
20	कार्मिक विभाग	राजस्व :	--	--	0
	(लोक सेवा आयोग)	पूंजी :	--	443	443
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	50	--	50
		पूंजी :	--	5000000	5000000
22	खेल विभाग	राजस्व :	19353	--	19353
		पूंजी :	18661	--	18661
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	27662	--	27662
		पूंजी :	--	--	0
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	1140	--	1140
		पूंजी :	280021	--	280021
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	322755	--	322755
		पूंजी :	771172	--	771172
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	778477	-	778477
		पूंजी :	65822	--	65822
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	2806	50	2856
		पूंजी :	62110	--	62110

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रु0 में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	2728	--	2728
		पूंजी :	12500	--	12500
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	--	526	526
		पूंजी :	30344	--	30344
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	7315	--	7315
		पूंजी :	--	--	0
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	1	--	1
		पूंजी :	--	--	0
39	भाषा विभाग	राजस्व :	2500	--	2500
		पूंजी :	--	--	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	11745	--	11745
		पूंजी :	--	--	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	26018	--	26018
		पूंजी :	1	--	1
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	19753	--	19753
		पूंजी :	--	--	0
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	46336	--	46336
		पूंजी :	160977	--	160977
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	3927	--	3927
		पूंजी :	--	--	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	415	--	415
		पूंजी :	40000	--	40000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	2015	--	2015
		पूंजी :	278716	--	278716
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	2329900	2329900	4659800
		पूंजी :	--	--	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रु0 में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	118500	--	118500
		पूंजी :	--	4294	4294
53	राष्ट्रीय एर्काकरण विभाग	राजस्व :	1690	--	1690
		पूंजी :	--	--	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	11208	--	11208
		पूंजी :	38881	--	38881
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन--सड़कें)	राजस्व :	817558	--	817558
		पूंजी :	500000	--	500000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	10000	--	10000
		पूंजी :	--	--	0
60	वन विभाग	राजस्व :	20623	--	20623
		पूंजी :	206002	--	206002
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	237	867079	867316
		पूंजी :	--	121972239	121972239
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	1	--	1
		पूंजी :	--	--	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	1	--	1
		पूंजी :	--	--	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	--	--	0
		पूंजी :	4239	--	4239
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	--	1	1
		पूंजी :	--	--	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	3460890	--	3460890
		पूंजी :	--	--	0

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रु0 में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	2960310	--	2960310
		पूंजी :	--	--	0
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	641739	--	641739
		पूंजी :	3400	--	3400
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	465	--	465
		पूंजी :	--	--	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	23539	--	23539
		पूंजी :	871	--	871
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	9781	--	9781
		पूंजी :	--	--	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	1924	--	1924
		पूंजी :	--	--	0
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	27990	--	27990
		पूंजी :	--	--	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	1010	--	1010
		पूंजी :	611	--	611
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	--	175	175
		पूंजी :	--	--	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	राजस्व :	193304	--	193304
		पूंजी :	163879	--	163879
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	285123	--	285123
		पूंजी :	--	--	0

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रु0 में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
86	सूचना विभाग	राजस्व :	29419	--	29419
		पूंजी :	--	--	0
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	8487	45208	53695
	(व्यापार-कर)	पूंजी :	6732	--	6732
90	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	229280	--	229280
	(मनोरंजन तथा बाजीकर)	पूंजी :	--	--	0
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	416	--	416
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	--	--	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	5915	--	5915
		पूंजी :	13501	--	13501
94	सिंचाई विभाग	राजस्व :	5216266	74	5216340
	(निर्माण कार्य)	पूंजी :	101726	--	101726
	योग . .	राजस्व :	20105593	3243128	23348721
		पूंजी :	9464443	126976976	136441419
	महायोग . .		29570036	130220104	159790140

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2004-2005 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 18 फरवरी, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई :--

पहली सूचना, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की प्रदेश के स्थानीय निकायों के अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना, श्री जगदीश नारायण राय की जनपद हमीरपुर के जिला महिला चिकित्सालय में तैनात महिला चिकित्सकों द्वारा अपने चिकित्सकीय दायित्वों का निर्वहन न करने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना, श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रतापगढ़ स्थित न्यू सिटी मान्टेसरी स्कूल पर जाने वाले रास्ते को नगर पालिका परिषद् द्वारा बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना, जो नियम-56 में प्राप्त है डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत धनराशि को मूल वेतन में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है। यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवीं सूचना, श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के कटरा बाजार में आये चक्रवात् से बाधित विद्युत् आपूर्ति को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छटी सूचना, श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार की जनपद लखनऊ स्थित सईदुन्निसा गाजीपुर में आवास विकास विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना, श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के थाना एत्मादद्दौला को सुपुर्द की गई जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना, श्री बीजू पटनायक की जनपद गाजीपुर के ग्राम सिरोही के किसानों को विद्युत् आपूर्ति सिरोही चीनी मिल के फीडर से दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना, श्री मोहम्मद इरशाद खां की प्रदेश के राजस्व विभाग में तहसीलदार के अनुसूचित जाति कोटे के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :--

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री रवीन्द्र पुण्डीर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 सुशील चौधरी, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री आलमबदी आजमी, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री मु0 जियाउद्दीन रिजवी, श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी, श्री आर0के0 सिंह पटेल, श्री कौशल किशोर, श्री राजेश कुमार, श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, आपने अभी कहा था कि मेरी सूचना पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

वह दूसरी सूचना थी जो नियम 56 में प्राप्त हुई थी।

अब हम उठते हैं 23 तारीख को 11.00 बजे पूर्वाह्न पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 10 मिनट पर बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2005 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 18 फरवरी, 2005।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8-10 पर।)

वर्ष 2004-2005 के लिए उ0 प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 द्वारा ए0 आर0 आर0 व टैरिफ एप्लीकेशन को उ0 प्र0 विद्युत् नियामक आयोग द्वारा दि0 10-11-2004 को अनुमोदित कर दिया गया तथा विद्युत् दरें दि0 01-12-2004 से प्रभावी की गईं। विद्युत् दरों में की गई वृद्धि का विवरण निम्नलिखित है :--

वित्तीय वर्ष 2004-05 में विद्युत् दरों में की गई वृद्धि

उपभोक्ता श्रेणी	वास्तविक % वृद्धि
एल0एम0वी0--1. घरेलू बत्ती पंखा एवं पावर	3.2
एल0एम0वी0--2. वाणिज्यिक बत्ती पंखा एवं पावर	0.4
एल0एम0वी0--3. सार्वजनिक प्रकाश	1.8
एल0एम0वी0--4. सार्वजनिक संस्थाएं	1.1
एल0एम0वी0--5. निजी नलकूप/सिंचाई हेतु पम्पिंग सेट	4.9
एल0एम0वी0--6. लघु एवं मध्यम पावर	4.9
एल0एम0वी0--7. सार्वजनिक जल संस्थान	0.9
एल0एम0वी0--8. राजकीय नलकूप/पम्प कैनाल	8.8
एल0एम0वी0--9. अस्थाई आपूर्ति	0.3
एल0एम0वी0--10. विभागीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स	13.4
एच0 वी0--2. वृहद् एवं भारी पावर	0.9
एच0 वी0--3.रेलवे ट्रैक्शन	(—) 14
एच0 वी0--3.लिफ्ट इरिगेशन	20.7
योग	2.7

वर्ष 2004-05 में नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता रु0 7878 करोड़ का जो ब्योरा प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार वर्ष का कुल घाटा रु0 1414 करोड़ अनुमानित किया गया था जिसके विरुद्ध प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि को शामिल करने के बाद भी रु0 903 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित था लेकिन नियामक आयोग ने जो टैरिफ अनुमोदित किया है उसके अनुसार कुल प्राप्ति रु0 6464 करोड़ (प्रस्तावित) के विरुद्ध रु0 6360 करोड़ अनुमानित है। अत: टैरिफ में उपरोक्त वृद्धि के बावजूद रु0 1524 करोड़ का गैप है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर।)

दिनांक 01-03-2003 से 15-04-2004 तक की अवधि में अनादृत हुए चेकों का विवरण :

विभाग में चेक जमा करने की तिथि	विभाग द्वारा बैंक में जमा करने की तिथि	अनादृत होने की तिथि	धनराशि (रु0 में)
मे0 फ्रन्टियर एलायज स्टील लि0, रनियां, भार--1200 के0वी0ए0			
30-04-2003	09-05-2003	16-06-2003	230508.00
28-05-2003	31-05-2003	13-06-2003	896633.00
30-06-2003	08-07-2003	01-09-2003	725008.00
28-08-2003	08-09-2003	26-09-2003	994648.00
29-11-2003	08-12-2003	17-12-2003	942377.00
30-12-2003	31-12-2003	14-01-2004	300000.00
30-12-2003	31-12-2003	14-01-2004	366755.00
25-02-2004	28-02-2004	09-03-2004	1078967.00
मे0 मवाना स्टील्स, जैनपुर, भार--2600 के0वी0ए0			
31-03-2003	09-04-2003	30-06-2003	3468168.00
23-04-2003	28-04-2003	30-06-2003	3500000.00
31-05-2003	05-06-2003	23-07-2003	2578000.00
30-08-2003	08-09-2003	26-09-2003	2450621.00
27-12-2003	31-12-2003	02-01-2004	2242655.00
27-12-2003	31-12-2003	02-01-2004	1700000.00
31-01-2004	05-02-2004	10-02-2004	2000000.00
26-02-2004	28-02-2004	09-03-2004	5428611.00
मे0 एल0 कान्त पेपर मिल (फर्नेस), रनियां, भार--1800 के0वी0ए0			
27-12-2003	31-12-2003	02-01-2004	2999966.00
31-01-2004	05-02-2004	10-02-2004	2721370.00
29-02-2004	05-03-2004	09-03-2004	1200000.00

पी0एस0यू0पी0--20 विधान सभा--19-5-05--813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट।)